सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2018 का प्रतिवेदन संख्या 18
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2018 का प्रतिवेदन संख्या 18
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन			v
कार्यकारी सार			vii
अध्याय I	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश	5
	1.3	सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल	17
	1.4	हानि उठाने वाले सीपीएसई	21
	1.5	सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता	23
अध्याय II	**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	27
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति	27
	2.3	सीपीएसईज़ द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	27
	2.4	सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	30
	2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	33
	2.6	लेखाकरण मानकों के प्रावधानों का अननुपालन	49
	2.7	प्रबन्धन पत्र	50
अध्याय III	**निगमित अभिशासन**		
	3.1	निगमित अभिशासन	51
	3.2	निदेशक मण्डल का गठन	53
	3.3	स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति	57
	3.4	निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस	65
	3.5	निदेशकों के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	65
	3.6	लेखापरीक्षा समिति	68
	3.7	अन्य समितियां	73
	3.8	चेतावनी तंत्र	75
	3.9	संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति	76

	3.10	सहायक कम्पनियों से संबधित नीति	76
	3.11	वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन	77
	3.12	अनुपालन रिपोर्ट	78
	3.13	निष्कर्ष	78
	3.14	सिफारिशें	79
अध्याय IV	**निगमित सामाजिक दायित्व**		
	4.1	प्रस्तावना	80
	4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	81
	4.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	82
	4.4	लेखापरीक्षा मापदंड	82
	4.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	83
	4.6	निष्कर्ष	105
अध्याय V	**प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण**		
	5.1	प्रस्तावना	107
	5.2	संस्थागत व्यवस्था	107
	5.3	निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य	108
	5.4	एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया	109
	5.5	विश्लेषण का क्षेत्र	109
	5.6	विश्लेषण का उद्देश्य	109
	5.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	110
	5.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	123
अध्याय VI	**सीपीएसई के संयुक्त उद्यम परिचालन**		
	6.1	प्रस्तावना	125
	6.2	संयुक्त उद्यमों पर सरकार की नीति	125
	6.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	126
	6.4	जेवी की लेखा परीक्षा व्यवस्था	126
	6.5	लेखापरीक्षा व्यापकता	127
	6.6	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जेवी की स्थापना	127
	6.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	128
	6.8	निष्कर्ष	134
	6.9	संस्तुति	135

अध्याय VII	**सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन**		
	7.1	प्रस्तावना	136
	7.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	137
	7.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	137
	7.4	लेखापरीक्षा मापदंड	137
	7.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	138
	7.6	निष्कर्ष	148
अध्याय VIII	**चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) में भारतीय लेखांकन स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन का प्रभाव**		
	8.1	प्रस्तावना	150
	8.2	इंड एएस का कार्यान्वयन	150
	8.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	152
	8.4	लेखापरीक्षा प्रणाली	152
	8.5	इंड-एएस के प्रथम बार अंगीकरण की समीक्षा	153
	8.6	चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इंड-एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव	156
	8.7	कर बाद लाभ (पीएटी) पर प्रभाव	157
	8.8	पीएटी में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक	158
	8.9	राजस्व की बुकिंग पर इंड एएस के अपनाने के प्रभाव	162
	8.10	परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर इंड-एएस अपनाने का प्रभाव	165
	8.11	निवल संपत्ति पर इंड-एएस के अंगीकरण का प्रभाव	169
	8.12	निष्कर्ष	172
परिशिष्ट			175

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी अपनी टिप्पणी प्रकट करते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक व्यवस्था करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षक करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है, जैसा 1984 में संशोधित किया गया था।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लेखे वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को शामिल किया गया है। ऐसे सीपीएसई जहां 30 सितंबर 2017 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संबंध में, पिछले वर्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसई के संदर्भ में, पिछले वर्ष के आँकड़े अनंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 6 में दर्शाए गए तदनुरूप आंकड़े से मेल नहीं खा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमो या सीपीएसईज' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाएं।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 636 सरकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) थे। इसमें 438 सरकारी कंपनियां, 192 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 406 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 57 सीपीएसई (19 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुऐ थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

भारत सरकार द्वारा निवेश

406 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने शेयर पूंजी में ₹ 3,24,270 करोड़ का निवेश किया था। 31 मार्च 2017 तक भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹ 79,671 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹ 25,470 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2016-17 के दौरान बकाया ऋण ₹ 11,799 करोड़ तक बढ़ा। भारत सरकार ने ₹ 56,500 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति 14 सीपीएसई में अपने शेयर के विनिवेश से ₹ 46,246.58 करोड़ की वसूली की थी।

[पैरा 1.2.1.1, 1.2.1.2 और 1.2.2]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2017 तक उन 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरो का कुल बाजार मूल्य ₹ 15,14,177 करोड़ था जिसके शेयरो को 2016-17 के दौरान बेचा गया था। 31 मार्च 2017 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरो का बाजार मूल्य ₹ 9,79,564 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

212 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो द्वारा 2016-17 के दौरान अर्जित कुल लाभ ₹ 1,58,373 करोड़ था जिसका 74.69 प्रतिशत (₹ 1,18,273 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रो अर्थात पेट्रोलियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा पॉवर में 49 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2016-17 में 212 सीपीएसई का आरओई 13.78 प्रतिशत था जबकी 2015-16 में 203 सीपीएसई का आरओई 14.83 प्रतिशत था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ ग्यारह सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 82,491 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 47,226 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 3,24,270 करोड़) पर 14.57 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सोलह सरकारी कम्पनियों ने ₹ 34,918 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 42.33 प्रतिशत का द्योतक है।

157 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा 2015-16 में ₹ 31,957 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 30,678 करोड़ की हानि वहन की गई।

20 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर सरकार के निर्देश का अनुपालन न करने के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार को भुगतान में ₹ 5456.56 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2017 तक ₹ 1,23,194 की संचित हानि वाली 188 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थे। इनमें से 71 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2017 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹ 71,935 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान इन 71 कम्पनियों में से केवल 11 ने ₹ 2958 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

630 सीपीएसई में से 544 सीपीएसई (छ: निगमों को छोड़कर) से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2017 तक) वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्राप्त किए गए। इनमें से, लेखापरीक्षा में 332 सीपीएसई के लेखाओं की समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2 तथा 2.5.2]

सीएजी ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से आम सहमति आधार पर सीपीएसई के लेखाओं की तीन चरण लेखापरीक्षा प्रणाली को आरंभ किया। इससे उनकी वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महवपूर्ण सुधार हुआ था। 71 सीपीएसई में तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में लाभप्रदता और परिसंपत्तियां/ देनदारियों के मूल्य में बदलाव क्रमश: ₹ 16,248.55 करोड़ और ₹ 21391.15 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाकरण मानकों से विचलन

वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों के प्रावधानों से 16 कंपनियों में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने 3 कंपनियों में ऐसे विचलनों को भी बताया था।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां नहीं है, प्रबंधक पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 114 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थीं।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई (49 सूचीबद्ध सीपीएसई और 3 सीपीएसई जिनके बाण्ड सूचीबद्ध थे) को शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों: डीपीई दिशानिर्देशों, कॉर्पोरेट अभिशासन से सम्बन्धित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा

था। वर्ष की दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 7 सीपीएसई में निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यकारी निर्देशकों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम थी। नौ सीपीएसई के निर्देशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 37 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी। 4 सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निर्देशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- 29 सीपीएसई में बोर्ड बैठक/बोर्ड समिति बैठकों में कोई स्वतंत्र निर्देशक उपस्थित नहीं हुआ था, और 18 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशक सामान्य बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे।

[पैरा 3.3.4 और 3.3.5]

- 41 सीपीएसई में निदेशक बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निर्देशकों का अपेक्षित निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

[पैरा 3.3.7]

- 23 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था 16 सीपीएसई में कार्यकारी निर्देशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

[पैरा 3. 5]

- जबकि स्कूटर इंडिया लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षागत सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समीति में स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या छ: सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

[पैरा 3.6.1]

- 3 सीपीएसई में चेतावनी तंत्र नहीं था। 7 सीपीएसई में लेखापरीक्षा ने चेतावनी देने वाले तंत्र की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.8.1 और 3.8.2]

IV. निगमित सामाजिक दायित्व

24 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वो की समीक्षा में 77 सीपीएसई (7 महारत्न, 17 नवरत्न, 50 मिनीरत्न श्रैणी-I और 3 मिनीरत्न श्रेणी-II) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान एक वर्ष की अवधि मार्च 2017 समाप्ति तक शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा समीक्षा ने दर्शाया कि सभी 77 सीपीएसई ने सीएसआर समितियां गठित की हैं। तथापि, निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

[पैरा 4.3]

- वर्ष 2016-17 के दौरान 15 सीपीएसई ने इनके गठन में 25 से 39 महिनों की देरी के साथ सीएसआर समितियां गठित की हैं। 2016-17 के दौरान दो सीपीएसई ने समिति में स्वतंत्र निर्देशक शामिल नहीं किया था। पांच सीपीएसई की सीएसआर नीति ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित 11 गतिविधियों में से गतिविधियों को शुरू किया जाना नहीं दर्शाया।

[पैरा 4.5.1.1, 4.5.1.2 और पैरा 4.5.1.4]

- लार्भाजन करने वाले 66 में से 49 समीक्षित सीपीएसई ने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत आवंटित किया था। 13 लार्भाजन करने वाले सीपीएसई ने सीएसआर व्यय के लिए निर्धारित राशि को आवंटित नहीं था। 41 सीपीएसई के संबंध में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत से अधिक सीएसआर पर वास्तविक व्यय था, जबकि, 25 सीपीएसई का व्यय औसत निवल लांभ के दो प्रतिशत से कम था।

[पैरा 4.5.2 और पैरा 4.5.2.1]

- सीपीएसई ने आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में अधिक खर्च किया, जबकि पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड़, सिक्किम में व्यय महत्वहीन था।

[पैरा 4.5.2.3]

- 77 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों के चयन से पूर्व कोई आधार रेखा/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया।

[पैरा 4.5.3.3]

- सीपीएसई को अपनी सीएसआर गतिविधियों में स्थानीय क्षेत्र को अधिमान देना चाहिए। 77 सीपीएसई में से 49 ने प्रचालन के स्थानीय क्षेत्र को निर्धारित किया तथापि, वे पांच सीपीएसई की सीएसआर नीति का हिस्सा नही थे। समीक्षित सीपीएसई में से 24 ने अपने सीएसआर में स्थानीय क्षेत्र को अधिमान दिया।

[पैरा 4.5.3.4]

- वर्ष 2016-17 के दौरान, 77 सीपीएसई द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं की संख्या 8840 थी तथा उन पर (गत वर्ष से आगे लाई गई राशि के खर्च सहित) सीएसआर व्यय ₹ 3150.37 करोड़ था। 1036 करोड़, ₹ 826 करोड़, ₹ 417 करोड़ तथा ₹ 394 करोड़ के कुल व्यय सहित शिक्षा तथा कौशल विकास, हेल्पकेयर, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण् निरंतरता के संबंध में गतिविधियां सीएसआर के लिए महत्व वाले क्षेत्र निर्मित किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलोजी इनकम्बेशन, सशस्त्र बल, निधि तथा गंदी बस्ती क्षेत्र पर फोकस सीमित था।

[पैरा 4.5.3.5]

- 55 सीपीएसई में से 3 सीपीएसई के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक प्रभार पर व्यय कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय का 5 प्रतिशत बढ़ाया। सीएसआर स्टॉफ के वेतन पर किये गये 66.60 करोड़ के व्यय सहित 26 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर 75.61 करोड़ का कुल व्यय हुआ जो अस्वीकार्य था।

[पैरा 4.5.3.6]

- 77 सीपीएसई में से 6 सीपीएसई के स्थान पर कोई मोनिटरिंग तंत्र नहीं था।

[पैरा 4.5.4.2]

v. प्रशासनिक मंत्रालय एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 17 नवरत्न कम्पनियों तथा संबंधित मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

[पैरा 5.5]

समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशानुसार, लक्ष्य दिये गये तथा प्रत्याक्षित परिस्थितियों के तहत अधिकतम प्राप्य होने चाहिए तथा सुसंगत वित्तीय मानदंडो के मूल लक्ष्य गत पांच वर्षो की वास्तविक प्राप्ति पर आधारित प्रक्षेपण के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए। हालाँकि, आठ सीपीएसई के संबंध में नियत लक्ष्य गत वर्ष में इन मापदंडों के

प्रति उनके वास्तविक उपलब्धि की अपेक्षा कम थे। लक्ष्यो की अंडर-पिचिंग ने अंततः अधिक बेहतर रेटिंग प्राप्त करने में सहायता की। तीन सीपीएसई में मापदंडों के अनुपयुक्त मूल्यांकन को देखा गया था।

[पैरा 5.7.1]

यद्यपि एमओयू ने दिशानिर्देश राष्ट्रीय तथा अन्तरर्राष्ट्रीय समुह के संदर्भ में मापदंडों की बैंचमार्क करने का अधिकार दिया, 6 सीपीएसई में मापदंडों का पालन नहीं देखा गया।

[पैरा 5.7.3]

यद्यपि एमओयू दिशानिर्देश उसके बोर्ड पर गैर अधिकारी निदेशकों के स्थान को भरने के लिए तथा स्वतंत्र तथा महिला निदेशकों के संबंध में लिस्टिंग करार तथा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए सीपीएसई को अधिकार दिये, 7 सीपीएसई में कुछ स्वतंत्र एवं महिला निदेशकों के कुछ स्थान खाली थे।

[पैरा 5.7.4]

5 सीपीएसई के मामलें में सार्वजनिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के विभाग को समझौता ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण में विलंब तथा अंतिम एमओयू में हस्ताक्षर करने को भी देखा गया।

[पैरा 5.7.6]

VI. सीपीएसई के संयुक्त उद्यम परिचालन

लेखापरीक्षा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत सीपीएसईज को कवर करता है। यहाँ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत 98 सीपीएसईज थी (मई 2017)। उनमें से, 46 सीपीएसईज के पास कोई जेवी नहीं है और उसी अनुसार 52 सीपीएसईज (7 महारत्न, 17 नवरत्न और 28 मिनीरत्न) इस समीक्षा के अन्तर्गत कवर की गई थी:

- 251 निगमित जेवी जिनके लिए सूचना उपलब्ध थी, उनमें 84 जेवी में जेवी सहयोगियों का चयन सरकार के निर्देशानुसार, 19 जेवी में खुली निविदा द्वारा, 75 जेवी में सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों से विकल्प के माध्यम से, 49 जेवी में नामित आधार पर और 24 मामलों में सीवीएसई पहले से मौजूद जेवी द्वारा निवेश किया गया था।

(पैरा 6.7.1)

- 4 सीपीएसई ने कम से कम दो गैर अधिकारी निदेशकों को प्रस्तुत किये बिना निदेशक मंडल की बैठक में जेवी के गठन के प्रशंसा की

(पैरा 6.7.1.(i))

- 3 सीपीएसई के संदर्भ में जेवी के प्रबंधन एवं प्रचालन में सीपीएसई का प्रस्तुतीकरण जेवी के करार के अनुसार नही था।

(पैरा 6.7.1.(ii))

- किसी भी महारत्न/नवरत्न सीपीएसई ने गठित जेवी की विस्तृत सूची और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग को उसकी स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी।

(पैरा 6.7.2)

- 158 निगमित जेवी; जिनके लिए सूचना प्राप्त की गई थी, में से वर्ष 2016-17 में 76 जेवी ने लाभ कमाया, 64 जेवी ने हानि उठाई और केवल 18 जेवी ने लाभ अर्जित किया परंतु उन्हें संचित हानि हुई।

(पैरा 6.7.3)

- जेवी गठित करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डीपीई दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले परियोजना वाणिज्यिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए कोई पायलट अध्ययन नहीं किया।

(पैरा 6.7.4)

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली ई एंड पी परियोजनाओं के लिए केबीनेट समिति के स्थान पर ओएनजीसी से ₹11239.83 करोड़ का निवेश अनुमोदन प्राप्त किया।

(पैरा 6.7.5)

VII. सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना

सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 18 सूचीबद्ध सीपीएसई शामिल किए गए। छोटे और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि अप्रैल 2015 से आवश्यक है, परन्तु कुछ सीपीएसई

द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में शामिल की गई 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देखा गया:

- सीपीएसई को एमएसई से उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत की खरीद करना आवश्यक था। 18 चयनित सीपीएसई में से 7 ने 2015-16 से 2016-17 के दौरान एमएसई से उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त किया।

[पैरा 7.5.1 (क)]

- एमएसई से माल और सेवाओं की निर्दिष्ट प्रतिशतता की खरीद नीति के अनुपालन की रिपोर्ट देते समय नौ सीपीएसई ने अपनी खरीद की काफी बड़ी मात्रा छोड़ दी।

[पैरा 7.5.1 (ख)]

- 8 सीपीएसई में एमएसई को काफी अधिक बकाया देय थे यद्यपि 45 दिनों में ऐसे भुगतान करना आवश्यक था।

[पैरा 7.5.2]

- नीति के खरीद प्राथमिकता खण्ड के प्रावधानों का 18 चयनित सीपीएसई में से 11 सीपीएसई ने अनुपालन किया और खण्ड के प्रावधान की अनुपालना के कारण कुल 5553 एमएसई को लाभ हुआ।

[पैरा 7.5.4]

- एमएसई से खरीद हेतु नामित मदों की चार सीपीएसई द्वारा गैर एमएसई से खरीद की जा रही थी।

[पैरा 7.5.5]

- 18 चयनित सीपीएसई में से आठ ने अपनी वैबसाईट पर एमएसई से अपनी वार्षिक योजना अपलोड नहीं की थी और पांच सीपीएसई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एमएसई से खरीद लक्ष्यों के लक्ष्य और प्राप्ति की रिपोर्ट की।

[पैरा 7.5.7]

- समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के लिए सीपीएसई की रेटिंग में अंकों की कटौती द्वारा डाउनग्रेडिंग नीति के अकार्यन्वयन के प्रति अधिक हतोत्साही साबित नहीं हुई है।

[पैरा 7.6]

VIII. चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) में भारतीय लेखांकन स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन का प्रभाव

निगम मामले मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एस) को अधिसूचित किया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से चरणाबद्ध रूप में कंपनियों के लिए लागू थे। महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियों वाले 67 सीपीएसई जिन्होनें 01 अप्रैल 2016 से अपने उनके वित्तीय विवरण तैयार करने में इंड-एस को स्वीकार किया, के एकल वित्तीय विवरणों का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा हेतु चयन किया गया था। उनके राजस्व, कर बाद लाभ (पीएटी), निवल सम्पत्ति और सीपीएसई की कुल परिसंपत्तियों पर इन सीपीएसई में इंड-एस के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा की गई। उक्त तिथि को भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आईजीएएपी) के अनुसार संबंधित मूल्यों की तुलना में इंड-एएस के अनुसार 31 मार्च 2016 तक मूल्यों की तुलना द्वारा प्रभाव का आकलन किया गया था।

[पैरा 8.1, 8.3]

कर बाद लाभ पर प्रभाव (पीएटी)

इंड-एस अपनाने के परिणामस्वरूप रक्षा क्षेत्र, आधारभूत सरंचना क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और शिपिंग क्षेत्र में सीपीएसई में लाभ में वृद्धि देखी गई थी जबकि संचार क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, उर्वरक खेत्र, धातु क्षेत्र और खनन खेत्र ने कमी हुई। समीखा किए गए 67 सीपीएसई में से 39 सीपीएसई ने (58 प्रतिशत) के मामले में लाभ में वृद्धि हुई, जबकि 28 सीपीएसई में (42 प्रतिशत) मामले में लाभ में कमी हुई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में सीपीएसई के कर बाद लाभ में ₹ 412.53 करोड़ की अधिकतम वृद्धि देखी गई जबकि ऊर्जा सेक्टर में सीपीएसई के पीएटी में ₹ 1454.20 करोड़ की अधिकतम कमी देखी गयी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंड-एएस के अंगीकरण के कारण लाभ में ₹ 375.99 करोड़ अधिकतम वृद्धि दर्ज की जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संबंध में ₹ 1835 करोड़ लाभ की कमी दर्ज की थी।

[पैरा 8.7]

राजस्वों पर प्रभाव

इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप समीक्षा किए गए सीपीएसईज़ में से 45 सीपीएसीई (67 प्रतिशत) ने इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व पर समायोजन किये। इन सीपीएसी में से 20 सीपीएसईज़ (44 प्रतिशत) ने वृद्धि सूचित की

तथा 25 सीपीएसईज़ (56 प्रतिशत) ने राजस्व में कमी सूचित की। कम्पनियों के राजस्व में ₹ 29691.18 करोड़ की समग्र अधिकतम वृद्धि उर्जा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ में देखी गई थी।

[पैरा 8.9]

कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

समीक्षा किए गए 67 सीपीएसई में से 49 सीपीएसई ने (73 प्रतिशत) इंड-एएस के अंगीकरण के ने परिणामस्वरूप कुल परिसम्पतियों के मूल्य का समायोजन किया। इनमें से, 29 सीपीएसई (59 प्रतिशत) ने मूल्य में वृद्धि सूचित की और 20 सीपीएसई ने (41 प्रतिशत) परिसम्पतियों के कुल मूल्य में कमी सूचित की। संचार क्षेत्र में सीपीएसई के मामले में कुल परिसम्पतियों के मूल्य में ₹ 73560 करोड़ की अधिकतम वृद्धि देखी गई जबकि रक्षा क्षेत्र सीपीएसई के मामले में ₹ 1095.99 करोड़ की अधिकतम कमी देखी गई।

[पैरा 8.10]

निवल सम्पत्ति पर प्रभाव

समीक्षा किए गए सीपीएसई में से 66 सीपीएसई ने (99 प्रतिशत) ने इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति के मूल्य का समायोजन किया। इनमें से 46 सीपीएसई (70 प्रतिशत) ने निवल सम्पत्ति में वृद्धि सूचित की और 20 सीपीएसई (30 प्रतिशत) ने निवल सम्पत्ति में कमी सूचित की। संचार क्षेत्र के सीपीएसई के संबंध में ₹ 58383.81 करोड़ की निवल सम्पित्त में वृद्धि देखी गई जबकि माइनिंग सेक्टर के सीपीएसई के संबंध में ₹ 4719.76 करोड़ की कमी देखी गई।

[पैरा 8.11]

अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार(रों) द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

---

[1] *कार्पोरेट अफेयर मंत्रालय - (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014, दिनांक 4 सितम्बर 2014*

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया (जनवरी 2017) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसईज वह सरकारी कम्पनियाँ है; जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसईज के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) एंव डीपीई द्वारा अंगीकृत परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसईज मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2016-17 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2016-17 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन कार्पोरेट अभिशासन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई द्वारा जारी दिशानिदेशों के सीपीएसईज द्वारा पालन, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, केंद्रीय सरकार तथा सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, सीपीएसईज के संयुक्त उद्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु सार्वजनिक खरीद, 2012 के प्रावधानों के पालन तथा सीपीएसईज की वित्तीय स्थिति पर भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के प्रभाव की स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसईज तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 636 सीपीएसईज थे। इनमें 438 सरकारी कम्पनियां, 06 सांविधिक निगम[2] तथा 192 सरकार नियंत्रित अन्य

• सरकारी कंपनियां	438
• सरकारी द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	192
• सांविधिक निगम	6
• कुल सीपीएसई	636

[2] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय भण्डारण निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण*

कम्पनियां शामिल थी। इनमें से, 579 सीपीएसईज का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसईज की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज का कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप

सीपीएसईज की प्रवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए सीपीएसईज की संख्या
		2016-17 तक के लेखे	निम्न तक लेखे		कुल	
			2015-16	2014-15		
सरकारी कम्पनियां	438	376	21	3	400	38
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	444	382	21	3	406	38
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	192	168	3	2	173	19
जोड़	**636**	**550**	**24**	**5**	**579**	**57**

2016-17 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 57 सीपीएसईज (19 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसईज को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II ए तथा परिशिष्ट II बी** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सार

(सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम)

सीपीएसई की संख्या	444
कवर किए गए सीपीएसई	406
प्रदत्त पूंजी (406 सीपीएसई)	₹ 4,34,734 करोड़
दीर्घावधि कर्जे (406 सीपीएसई)	₹ 11,70,568 करोड़
बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	₹ 15,14,177 करोड़
निवल लाभ (212 सीपीएसई)	₹ 1,58,373 करोड़
निवल हानि (157 सीपीएसई)	₹ 30,678 करोड़
शून्य लाभ/हानि (37 सीपीएसई)[3]	
घोषित लाभांश (111 सीपीएसई)	₹ 82,491 करोड़
कुल परिसंपत्तियां (406 सीपीएसई)	₹ 39,98,986 करोड़
उत्पादन का मूल्य (406 सीपीएसई)	₹ 17,26,452 करोड़
निवल सम्पत्ति (406 सीपीएसई)	₹ 14,28,319 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2017 के अंत में 406[4] सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में इक्विटी निवेश और दीर्घावधि ऋण की राशि निम्नलिखित तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: सरकारी कम्पनियों और निगमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	जोड़	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	जोड़
1. केन्द्र सरकार	324270	79671	403941	298800	67872	366672
2. केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	48699	24777	73476	38640	24072	62712

[3] *406 में से 37 सीपीएसई थे, जिन्होंने 2016-17 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि ओपरेशन शुरू नहीं किया गये थे या घाटे/शुद्ध खर्च को कोष या परियोजन लागत के साथ समायोजित किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के मामले में आईडब्ल्यूएआई अधिनियम 1985 के तहत गठित आईडब्ल्यूएआई कोष में हानि ₹ 145.83 करोड़ को समायोजित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए एनएचएआई अधिनिमय 1988 के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के और इससे जुडे मामले या आकस्मिक मामले, ₹ 278.72 करोड़ की निवल हानि को उसकी अचल आस्ति के साथ समयोजित किया गया था।*

[4] *444 सीपीएसई - 38 सीपीएसई जिनके लेखे बकाया थे।*

3. राज्य सरकारों/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां तथा निगम	26572	12196	38768	24480	9839	34319
4. वित्तीय संस्थाएँ/अन्य	35193	1053924	1089117	31822	970084	1001906
जोड़	**434734**	**1170568**	**1605302**	**393742**	**1071867**	**1465609**
कुल निवेश से केन्द्र सरकार के निवेश की प्रतिशतता	74.59	6.81	25.16	75.89	6.33	25.02

1.2.1 इक्विटी में निवेश

1.2.1.1 इक्विटी सूचना

2016-17 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 406 सीपीएसईज की इक्विटी[5] के अंकित मूल्य में कुल निवेश में ₹ 40,992 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई है। सीपीएसई में केन्द्र सरकार की होल्डिंग के अंकित मूल्य में ₹ 25,470 करोड़[6] की वृद्धि हुई है। ₹ 28,153 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयर जारी करने का शुद्ध परिणाम 54 सीपीएसई में ₹ 25,470 करोड़ की वृद्धि थी तथा 11 सीपीएसई[7] में ₹ 2,683 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयरों की विनिवेश एवं पुनर्खरीद की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र

---

[5] ***इक्विटी/शेयर धारकों की निधि = प्रदत्त शेयर पूंजी (+)मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष (-), संचित हानि (-) आस्थगित राजस्व व्यय।***

[6] ***एयर इंडिया लि. सहित 21 सीपीएसई के अनंतिम आंकडे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपने अंतिम लेखापरीक्षित खातों के आंकडो के आधार पर शामिल किए गए है क्योंकि 2016-17 के खातो के लिए 30 सितम्बर 2017 की अंतिम तारीख से पहले प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए, वर्ष 2016-17 के दौरान एयर इंडिया लिमि. में केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 2,465.21 करोड़ की डाली गई इक्विटी को कुल डाली गई इक्विटी ₹ 28,153 करोड़ में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान कैब्लेश लिमि एवं मुम्बई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन में वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: ₹ 4,755.56 करोड़ एवं 100 करोड़ की इक्विटी डाली गई, तथापि उक्त को कुल डाली गई इक्विटी ₹ 28,153 करोड़ में शामिल नहीं किया वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरों का आवंटन बकाया था।***

[7] ***14 सीपीएसई के मामले में इक्विटी का विनिवेश किया गया तथापि 03 सीपीएसई के मामले में, जैसे इंजिनीयर्स इंडिया लिमि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमि. एवं एनबीसीसी (इडिया) लिमिटेड, विनिवेश को बोनस शेयर जारी करने की राशि में समायोजित किया गया और बोनस शेयरों की निवल राशि की डाली गई इक्विटी के रूप में दर्शाया गया।***

सरकार द्वारा ₹ 28,153 करोड़ का नया इक्विटी निवेश किया गया, संबंधित सीपीएसई में रोकड आवक को मुख्य इक्विटी के रूप में ₹ 22,297 करोड़ का नया निवेश किया गया था एवं ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण तथा बोनस शेयर जारी करने के रूप में ₹ 5,856 करोड़ था जिसमें संबंधित सीपीएसई का रोकड आवक शामिल नहीं था। ₹ 22,297 करोड़ की इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के उद्देश्य की समीक्षा लेखापरीक्षा की गई, जिसे कैश सीपीएसई में शामिल कैश फ्लो सूचित करता है कि 28 सीपीएसई में प्रमुख मदों के व्यय के लिए ₹ 21,499 करोड़ का निवेश किया, ₹ 509.89 करोड़ सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की बैठक व्यय हेतु, जिसमें 04 सीपीएसई राजस्व प्रकृति के थे। ₹ 66.78 करोड़ राजस्व मदों के व्यय जैसे वेतन भुगतान, भविष्य निधि, सांविधिक कर आदि भारत वैगन तथा अभियांत्रिकी कम्पनी लिमिटेड के लिए मिले और मुम्बई मैट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड में पूंजीगत एवं राजस्व व्यय दोनो हेतु ₹ 221 करोड़ का निवेश किया गया।

31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार तथा अन्य द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश चार्ट I में दर्शाया गया है।

चार्ट I: सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश

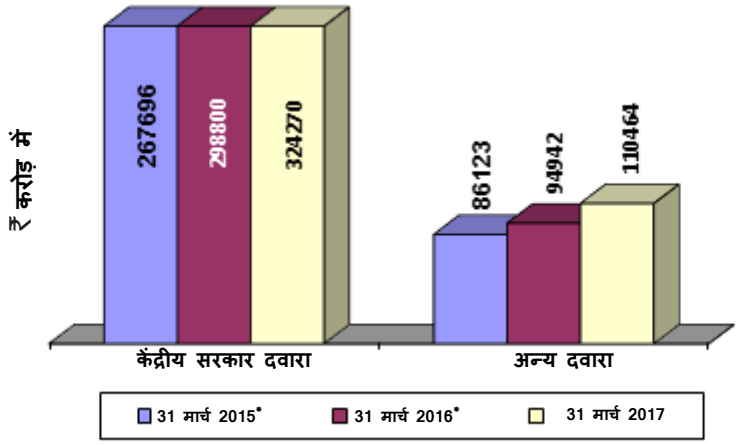

*(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2016-17 के दौरान अद्यतित किए गए क्योकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2016-17 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ 2,000 करोड़ से अधिक के निवेश) के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	14,079
सरकारी कम्पनियां		
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	2,856
इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	2,000

1.2.1.2 विनिवेश

31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीपीएसई के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष वार विनिवेश लक्ष्य तथा उसके प्रति उद्ग्रहीत राशि चार्ट II में दर्शाइ गई है:

चित्र II: विनिवेश लक्ष्य तथा वास्तविक उद्ग्रहण (₹ करोड़ में)

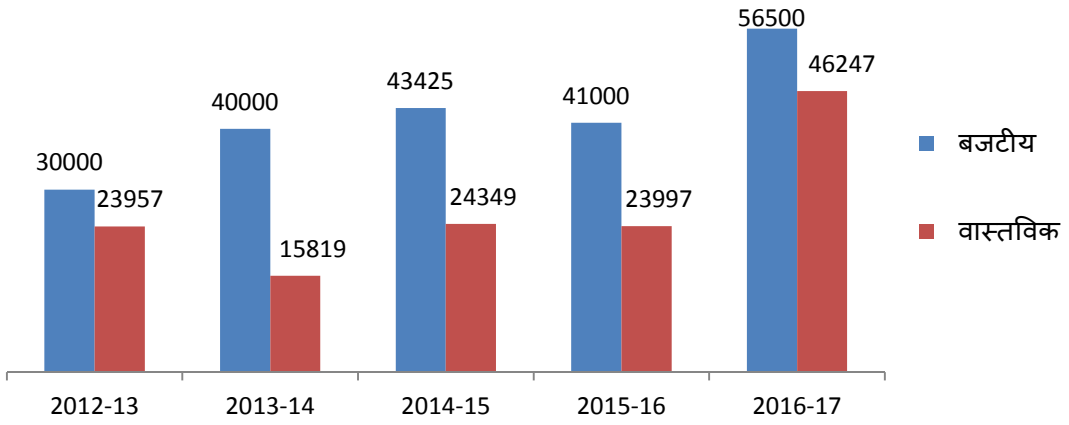

केंद्रीय सरकार ने 2016-17 के दौरान विनिवेश पर ₹ 56,500 करोड़ की बजटीय प्राप्ति की तुलना में ₹ 46,246.58 करोड़[8] की वसूली की। इसमें सीपीएसई के विनिमय ट्रेडिड फंड (सीपीएसई-इटीएफ)[9] से ₹ 8499.98 करोड़, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेष उद्यम

---

[8] *स्रोत: निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग।*

[9] *सीपीएसई ईटीएफ विभिन्न सीपीएसई के शेयरो से बना एक बास्केट है जो इंडेक्स निधि का मार्ग है, परन्तु विनियम पर स्टॉक की तरह व्यापार करता है 10 सीपीएसई के शेयरों के विनिवेश से प्राप्त राशि ₹ 8,499.98 करोड़ है जो इनमें शामिल है ओएनजीसी लिमि., कॉल इंडिया लिमि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमि., पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमि., रूरल इलेक्ट्रिफिक्शन कॉरपोरेशन लिमि., कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि., भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि., ऑयल इंडिया लिमि. इंजिनीयर्स इंडिया लिमि.।*

(एसयूयूटीआई)[10] की नीतिगत सम्पत्ति के विनिवेश से ₹ 10,778.71 करोड़ तथा 14 सीपीएसई में सम्पत्ति के विनिवेश से ₹ 26967.89 करोड़ शामिल है। सीपीएसई वार विनिवेश आय तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: विनिवेश आय की प्राप्ति

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वापस खरीद; ओएफएस[11])	5.61	3475.26
2	कोयला इंडिया लिमिटेड (वापस खरीद)	1.25	2638.24
3	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.25	9.34
4	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.09	0.93
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.5	31.38
6	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (ओएफएस)	7	399.93
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.5	262.49
8	मोइल लिमिटेड (वापस खरीद; ओएफएस)	15.36	1278.82
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (वापस खरीद)	6.36	2831.71
10	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (ओएफएस)	15	2201.14
11	एनएचपीसी लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस; वापस खरीद)	11.46	4686.34
12	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (वापस खरीद)	0.68	1429.38
13	एनएमडीसी लिमिटेड (वापस खरीद)	5.06	7519.15
14	एनटीपीसी लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.22	203.78
	कुल		**26967.89**

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2016 में जारी सीपीएसई की पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई कि कम से कम ₹ 2,000 करोड़ के कुल मूल्य तथा ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के नकद तथा बैंक शेष वाले प्रत्येक सीपीएसई को अपने शेयरों की वापस खरीद का विकल्प प्रयोग

---

[10] *एसयूयूटीआई का गठन पूर्ववर्ती यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) की यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पुन संरचना द्वारा किया गया था और यह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उद्यम एवं रिपील हस्तांतरण) अधिनियम, 2002 के पारित होने पर 1 फरवरी 2003 से लागू हुआ था। एसयूयूआईटी को रिपील अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित योजनाओं के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। एलएंडटी लिमि. एवं आईटीसी लिमि. के शेयरों की बिक्री माध्यम में एसयूयटीआई के द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10,778.70 करोड़ प्राप्ति हुई।*

[11] *ओएफएस: बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) वह खंड है जिसमें प्रमोटर/प्रमोटर समूह इकाई/गैर प्रमोटर अपने शेयरों को पारदर्शी तरीके से एक्सचेंज फार बिडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से बेच सकते है।*

करना चाहिए। तथापि, तालिका 1.5 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था (30 सितम्बर 2017):

तालिका 1.5: शेयरों की वापस खरीद पर दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	एसजेवीएन लिमिटेड
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
8	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

दिशानिर्देशों में आगे परिकल्पना की गई कि प्रत्येक सीपीएसई को बोनस जारी करना चाहिए यदि इसका निश्चित आरक्षित तथा अधिशेष इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुणा के बराबर या अधिक थी। तथापि, तालिका 1.6 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2017):

तालिका 1.6: बोनस शेयर जारी करने पर दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	निश्चित आरक्षित	अभ्युक्तियां
		31 मार्च 2017 तक ₹ करोड़ में		
1	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	7.33	211.05	बोनस शेयर जारी करने के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है
2	बीईएमएल लिमिटेड	41.77	2139.78	मांगी गई छूट हेतु अनुमोदन
3	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.00	1422.59	
4	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	430.00	18015.77	अक्टूबर 2017 में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी किया
5	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	100.00	3779.24	--
6	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	1.37	15.33	--
7	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	113.28	1905.72	अगस्त 2017 में आईपीओ जारी किया
8	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28.00	1220.00	अनुच्छेद में संशोधन हेतु अनुमोदन मांगा गया है

1.2.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2017 को बकाया दीर्घावधि ऋणों का परिकलन

31 मार्च 2017 को सभी स्रोतो 406 सीपीएसई बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 11,70,568 करोड़ थे 31 मार्च 2016 की तुलना में सभी स्रोतो के दीर्घावधि ऋणों में सीपीएसई ने 31 मार्च 2017 तक ₹ 98,701 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। 31 मार्च 2017 को सीपीएसई के कुल ऋणों में केन्द्र सरकार के ऋण ₹ 79,671 करोड़ थे। सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्योंरो को चार्ट III में दर्शाया गया है।

चार्ट III: सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋण

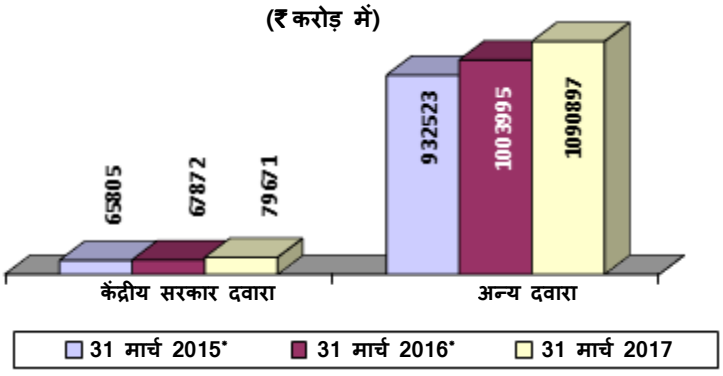

(*पिछले साल के आंकड़े 2016-17 के दौरान अद्यतित किए गए जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

406 सीपीएसई में से 243 सीपीएसई (01 सावंधिक निगम सहित) के कोई बकाया दीर्घावधि ऋण नहीं है।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को देने के लिए संपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कम्पनी ऋण चुका सकती है या नहीं। ऋण चुकाने में सक्षम उसे माना जाए जिस इकाई की संपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्जो के कुल योग से ज्यादा है। 163 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज जिसमे 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण को तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसंपत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीए सई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीए सई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	5	107167	489139	456.43				
सूचीद्ध कम्पनियां	31	681449	1779915	261.20	3	2292	1869	81.54
असूचीबद्ध कम्पनियां	105	375784	850000	226.19	19	3877	910	23.47
कुल	141	1164400	3119054		22	6169	2779	

163 सीपीएसई में से जिसमें 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण था, 22 सीपीएसई के संबंध में **(परिशिष्ट-III)** कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम थी।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं तथा इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज तथा कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होगा उतनी ही कम कम्पनी की ऋण पर ब्याज भुगतान की योग्यता होगी। एक से नीचे कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का ब्यौरा तालिका 1.8 में दिया गया है:

तालिका 1.8: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई की सं.[12]	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसई की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2014-15	10971	12223	4	2	2
2015-16	11421	13747	4	2	2
2016-17	10163	13389	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2014-15	47569	111861	34	24	10
2015-16	53045	123300	33	23	10
2016-17	56564	153194	34	23	11
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2014-15	18880	35784	129	61	68
2015-16	16111	30989	133	62	71
2016-17	18724	34470	124	58	66

यह देखा गया था कि 2016-17 के दौरान असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में मामूली रुप से घट गई थी। 11[13] सीपीएसई के संबंध में, 31 मार्च 2017 को ऋणों पर देय ब्याज उनकी कुल परिसपत्तियों के मूल्य से अधिक था जो इन कम्पनियों के दिवालिया होने के उच्च ज़ोखिम को दर्शाता है।

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा 173[14] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेशित पूंजी चार्ट IV में दर्शाई गई है:

---

[12] *उन सीपीएसई को छोड़कर जिनकी कोई ब्याज देयता नहीं है।*

[13] *अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड, अंडमान एण्ड निकाबार द्वीप, वन और वृक्षारोपण विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड, बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटोफील्मस् (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयलस कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, टीसीआईएल बिना टोल रोड़ लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोटेक्टस लिमिटेड।*

[14] *173=192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां - 19 जिनके लेखे बकाया थे।*

चार्ट IV: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में शेयर पूंजी की संरचना

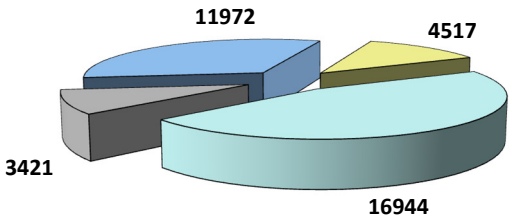

केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सरकारी कम्पनियॉ तथा निगम – ₹ 16,944 करोड़

राज्य सरकार, राज्य सरकारी कंपनियां तथा निगम – ₹ 4,517 करोड़

वित्तीय संस्थान एवं बैंक – ₹ 11,972 करोड़

अन्य – ₹ 3,421 करोड़

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को इन सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 36,854 करोड़ थी जो 2016-17 में ₹ 4,320 करोड़ तक बढ़ गई।

1.2.4 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कम्पनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रस्तुत करता है जिनके शेयर सूचीबद्ध है। 31 मार्च 2017 तक 59 सरकारी कम्पनियां, जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां सहित सरकारी कम्पनियों की 05 सहायक कम्पनियां और 08[15] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के शेयर भारत में विभिन्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध थे।

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2016-17 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों का व्यापार हुआ था और 4 कम्पनियों[16] के शेयरों का व्यापार नहीं हुआ था। सरकारी कम्पनियों की 05 सहायक कम्पनियों के संबंध में 04 में व्यापार किया गया था और वर्ष के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।

31 मार्च 2016 को ₹ 11,06,539 करोड़ के इक्विटी निवेश की तुलना में 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2017 को ₹ 15,14,177 करोड़ था। 31 मार्च 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 4,07,638 करोड़ (36.8 *प्रतिशत)* तक बढ़

---

[15] *(1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (4) बिसारा स्टोन लिम कंपनी लिमिटेड, (5) उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड, (7) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड*

[16] *(1) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और (4) केआईओसीएल लिमिटेड*

गया था। 31 मार्च 2017 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 14,87,365 करोड़ पर स्थिर था जिनमें से केंद्रीय सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 9,79,564 करोड़ था।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स[17] 31 मार्च 2016 को 25,341.86 से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2017 को 29,620.50 हो गया। एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इन्डैक्स[18] 31 मार्च 2016 को 1,171.64 से 31 मार्च 2017 को 1,657 तक 41.42 प्रतिशत बढ़ गया।

31 मार्च 2017 तक 04 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों का व्यापार 2016-17 के दौरान हुआ था, ₹ 26,812.07 करोड़ पर स्थिर रहा था। 31 मार्च 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक चार सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 10,449.65 करोड़ (63.86%) तक बढ़ गया था। 31 मार्च 2017 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष 10 सीपीएसई तालिका 1.9 में दिए गए हैं:

तालिका 1.9: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,37,479
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,83,294
3	कोल इंडिया लिमिटेड	1,81,753
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,36,833
5	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,03,167
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	93,849
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	63,669
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53,380
9	एनएमडीसी लिमिटेड	42,111
10	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	39,920

[17] एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना मुख्य भागों में बड़े सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से ठोस दर्शाते हुए 30 घटक स्टॉक दर्शाते हुए बाजार पूंजीकरण भारित तंत्र पर की जाती है।

[18] एस एंड पी बीएसई सीपीएसई इन्डेक्स में बीएसई में सूचीबद्ध मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल होते है।

31 मार्च 2017 को 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में से 40 सीपीएसई के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में ₹ 20,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसई तालिका 1.10 में दिए गए है:

तालिका 1.10: ₹ 20,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2016 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2017 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	95,528	1,83,294	87,766
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,83,729	2,37,479	53,750
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,06,202	1,36,833	30,631
4	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	72,771	1,03,167	30,396
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65,193	93,849	28,656
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26,601	53,380	26,779

डीआईपीएएम द्वारा मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई जहां इसके शेयर की बाजार कीमत या बुक मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा अधिक हों, को उचित रूप से अपने शेयरों को विभाजित करना चाहिए बशर्ते कि शेयर का इसका मौजूदा अंकित मूल्य ₹ 1 के बराबर या अधिक हो। तथापि, तालिका 1.11 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2017)।

तालिका 1.11: शेयरों के विभाजन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2017 को अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च 2017 को बाजार मूल्य (₹)	31 मार्च 2017 को बुक मूल्य (₹)	50 गुणा अंकित मूल्य (₹)	अधिक बाजार मूल्य (₹)	अभ्युक्तियां
बीईएमएल लिमिटेड	10	1360.7	524	500	860.7	--
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	687.55	543.08	500	187.55	अनुच्छेद में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	648.95	225.45	500	148.95	पश्च बोनस बाजार कीमत की 50 गुणा से अधिक बढ़ने की संभावना नहीं थी।
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	2	172.1	18.60	100	72.1	शेयरों का अंकित मूल्य केवल 2016 में विभाजित किया गया था।

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या 2015-16 में 203 की तुलना में 2016-17 में 212 थी। अर्जित लाभ 2015-16 में ₹ 1,54,497 करोड़ से 2016-17 में ₹ 1,58,373 करोड़ हो गया। 2016-17 में 212 सीपीएसई का आरओई 13.78 प्रतिशत था जबकी 2015-16 में 203 सीपीएसई का आरओई[19] 14.83 प्रतिशत था। सभी 406 सीपीएसई में इक्विटी पर रिर्टन अर्थात् 2016-17 में 157 हानि उठाने वाली और 37 शून्य लाभ वाली कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए 8.91 प्रतिशत था।

2014-15 से 2016-17 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट-v में दर्शाई गई हैं:

चार्ट v: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या

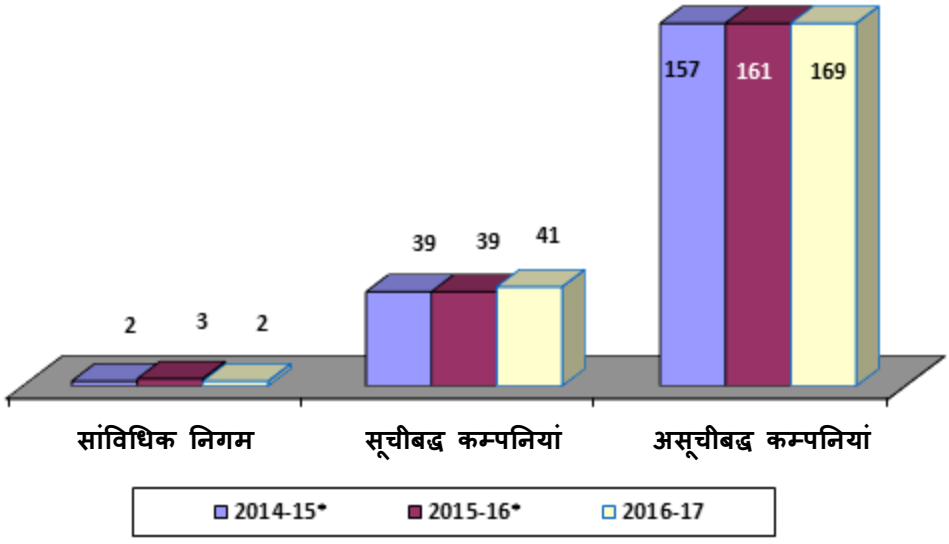

(*2016-17 के दौरान पिछले वर्षों के आंकड़ों को अद्यतित किया गया था जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.12 में सारांशीकृत किया गया हैः

[19] *इक्विटी पर रिटर्न = कर के बाद सकल लाभ और अधिमानी लाभांश/इक्विटी x 100*
जहाँ इक्विटी = भुगतान की गई पूंजी+मुक्त आरक्षित निधि-संचित हानियां-आस्थिगित राजस्व व्यय

तालिका 1.12: वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ से लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	60969	38.5
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	4570	2.89
जोड़	15	65539	41.39
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	16843	10.64
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	5	10010	6.32
जोड़	7	26853	16.96
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	21095	13.32
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	23	4786	3.02
जोड़	27	25881	16.34
जोड़ (1) से (3)	**49**	**118273**	**74.69**

2015-16 के दौरान 47 सीपीएसई द्वारा 72.75 *प्रतिशत* योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 49 सीपीएसई द्वारा 2016-17 के दौरान सीपीएसई के कुल लाभ के 74.69 *प्रतिशत* ₹ 1,18,273 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था।

25 सीपीएसई द्वारा ₹ 34,721 करोड़ का निवल लाभ का योगदान दिया गया था। जो कि रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत थे जो बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए खोले नहीं गए थे। इससे 2016-17 के दौरान सभी 212 सीपीएसई में ₹ 1,58,373 करोड़ को कुल लाभ का 21.92 प्रतिशत हो गया था। 2016-17 में इन 25 सीपीएसई के आरओई प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में कार्य कर रही 187 सीपीएसई में 13.76 प्रतिशत की तुलना में 31.83 प्रतिशत था।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान 173[20] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनिया में से, 119 कम्पनियों ने ₹ 7,666 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन 119 सीपीएसईज का आरओई, 2016-17 में 4.81 प्रतिशत था। 173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में

[20] *173=192 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां - 19 जिनके खाते बकाया थे।*

(अर्थात 41 हानि वहन करने वाली और 13 शून्य लाभ वाली कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) आरओई 2.01 प्रतिशत था।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.13 में दी गई है:

तालिका 1.13: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसई की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,106
2	ऑयल एण्ड नैचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,900
3	कोल इंडिया लिमिटेड	14,501
4	एनटीपीसी लिमिटेड	9,182
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,039
6	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7,570
7	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	6,246
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,209
	कुल	**88,753**

यह देखा जा सकता है कि इन 8 सीपीएसई ने 2016-17 के दौरान 212 सीपीएसई द्वारा कुल अर्जित लाभ के 56 *प्रतिशत* का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है:

तालिका 1.14: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	3,347	1,031
सूचीबद्ध कम्पनियां	35	63,288	1,15,446	62,655
असूचीबद्ध कम्पनियां	74	58,679	33,518	18,805
कुल	111	1,22,692	1,52,311	82,491

2016-17 में लाभांश की घोषणा करने वाले 111 सीपीएसई थे। इन सीपीएसई द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2015-16 में 47.85 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2016-17 में 54.16 *प्रतिशत* हो गया, जिसे चार्ट VI में दर्शाया गया

है। कुल मिलाकर, सीपीएसई द्वारा 2016-17 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,961 करोड़ तक बढ़ गया।

चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)

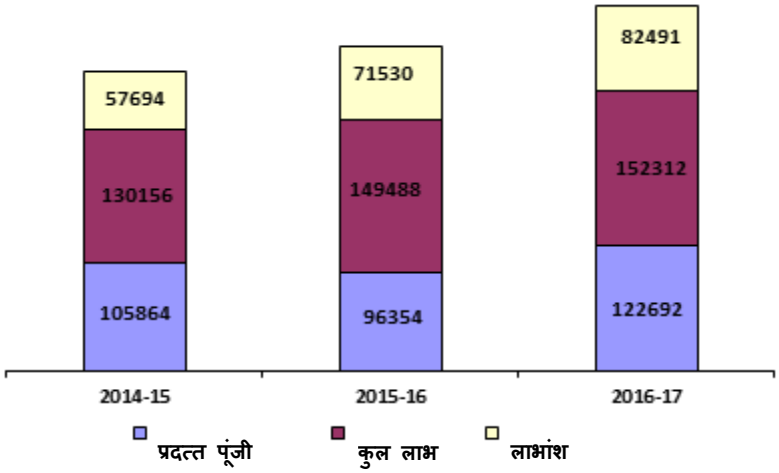

वर्ष 2016-17 के लिए 111 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 82,491 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 47,226 करोड़ था। 406 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ₹ 3,24,270 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 2015-16 के दौरान 13.68 *प्रतिशत* की तुलना में 14.57 *प्रतिशत* था। इसी प्रकार 38 सीपीएसई ने अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹ 23,844 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 17,799 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 16 सीपीएसई ने ₹ 34,918 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2016-17 में 111 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 82,491 करोड़ के कुल लाभांश का 42.33 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश के अध्यधीन, कर पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल सम्पत्ति के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के वार्षिक लाभांश भुगतान करेगा। तथापि, 20 सीपीएसई (5 सूचीबद्ध सीपीएसई सहित) ने

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया था, जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है। इसके कारण 2016-17 में कुल कमी ₹ 5,456.56 करोड़ थी।

2016-17 में 60 सरकार नियंत्रित कम्पनियां थी जिन्होंने ₹ 1,495 करोड़ की मूल्यराशि के लाभांश की घोषणा की थी जो कि उनके द्वारा भुगतान की गई ₹ 11,472 करोड़ की पूंजी का 13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती थी। सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों जिन्होने 2016-17 के दौरान लाभांश घोषित किया था, का क्षेत्र वार वर्गीकरण तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	अर्जित निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएं	39	4957	2535	796
विद्युत	4	4488	1307	321
पेट्रोलियम	3	260	166	156
इंश्योरेंस	1	1000	955	150
परिवहन सेवाएं	2	264	47	38
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	3	446	232	22
व्यापार एवं विपणन	1	41	13	6
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	6	15	21	5
खनिज एवं धातु	1	1	7	1
जोड़	**60**	**11472**	**5283**	**1495**

1.4 हानि उठाने वाले सीपीएसई

157 सीपीएसई को वर्ष 2016-17 के दौरान हानि हुई थी। इन सीपीएसई द्वारा 2015-16 के दौरान उठाई गई हानि ₹ 31,957 करोड़ से कम होकर 2016-17 में ₹ 30,678 करोड़ हो गई जिसका तालिका 1.16 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.16: वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल सम्पत्ति[21]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम				
2014-15	1	1334	0	13944
2015-16	1	1143	0	13268
2016-17	1	907	0	12891
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2014-15	12	8841	26366	-12634
2015-16	12	11830	31297	75113
2016-17	10	9713	29770	10425
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/निगम				
2014-15	119	20686	81685	47916
2015-16	140	18984	73459	91747
2016-17	146	20058	74960	86885
जोड़				
2014-15	132	30861	108051	49226
2015-16	153	31957	104756	180128
2016-17	157	30678	104730	110201

वर्ष 2016-17 के दौरान तालिका 1.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई ₹ 1,000 करोड़[22] से अधिक की हानि वहन की।

तालिका 1.17: 2016-17 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाले सीपीएसई

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3187
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2941
3	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2917
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1914
5	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1691
6	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1263

[21] *निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि तथा बेशी घटाएं संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड़। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी राजस्व परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिलेखन में से सृजित राजस्व को शामिल नहीं किया गया है*

[22] *2016-17 के लिए लेखाओं के रूप में इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए हुए अपने अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं से एयर इंडिया के आकड़ों का सम्मिलित करते हुए 21 सीपीएसई में कट-ऑफ तिथि से पहले अर्थात 30 सितम्बर 2017 में रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान एयर इंडिया द्वारा ₹ 5,765 करोड़ की हानि वहन की गई।*

173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से, 41 कम्पनियों को वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 4,308 करोड़ की हानि हुई और 13 कम्पनियों ने अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया या वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किया।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2017 तक 188 सीपीएसई जिनकी संचित हानि ₹ 1,23,194 करोड़ थी। वर्ष 2016-17 के दौरान 188 सीपीएसई में से 127 सीपीएसई ने ₹ 16,274 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2016-17 में 61 सीपीएसई ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 18,465 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

188 सीपीएसई में से 71 की निवल संपत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 71 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2017 को ₹ 36,290 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)71,935 करोड़ थी। इसमें सात सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 7,178 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)27,686 करोड़ थी। 71 सीपीएसई जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (नकारात्मक निवल सम्पत्ति होने पर), में से केवल 11 सीपीएसई ने 2016-17 के दौरान ₹ 2958 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था **(परिशिष्ट-V)**।

71 सीपीएसई में से 22, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (नकारात्मक निवल संपत्ति होने पर), की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2017 को ₹ 6,147 करोड़ थी। इसमें ₹ 1,948 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली चार सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है।

संभावित वित्तीय रूग्णता दर्शाते हुए 332 सीपीएसई, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 28 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2017 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान 406 सीपीएसई में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

चार्ट VII: उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियां और नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)

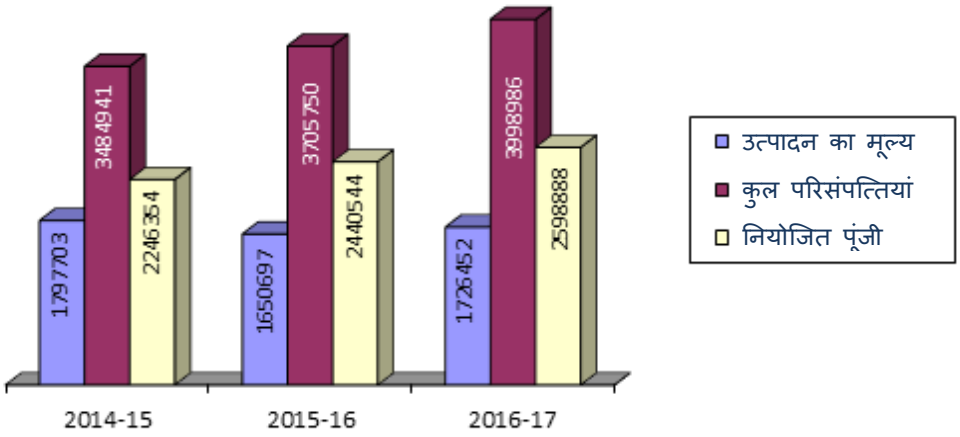

पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 नियोजित पूंजी पर रिर्टन

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो कम्पनी को लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना नियोजित पूंजी[23] के द्वारा ब्याज और करो से पहले कम्पनी की आय (ईबीआईटी) को विभाजित करके किया जाता है। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान 406 सीपीएसई के आरओसीई के ब्यौरे तालिका 1.18 में नीचे दिये गए है:

तालिका 1.18: नियोजित पूंजी पर रिर्टन

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	159868	2246354	7.12
2015-16	168036	2440544	6.89
2016-17	201053	2598888	7.74

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 के लिए इसकी तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 406 सीपीएसई के आरओसीई सीमांत रूप से अधिक थे।

[23] *नियोजित पूंजी = भुगतान की गई शेयर पूंजी+मुफ्त आरक्षित निधि और अधिशेष+दीर्घ अवधि ऋण-संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय*

1.5.3 बिक्री एवं विपणन

2016-17 के दौरान, 406 सीपीएसई की कुल बिक्री ₹ 19,49,214 करोड़ थी। इनमें से 120 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 9,75,073 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,23,433 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में सरकारी क्षेत्रों को इन 120 सीपीएसई की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, 22.91 *प्रतिशत* बनती थी।

53 सीपीएसई थे जिन्होंने ₹ 72,752 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 11,99,017 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 6.07 *प्रतिशत* बनता था। 406 सीपीएसई द्वारा की गई ₹ 19,49,214 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 3.73 *प्रतिशत* थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई तालिका 1.19 में दिए गए है:

तालिका 1.19: 2016-17 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14666
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	14457
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8923
4	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7448
जोड़		**45494**

इन चार सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसई के कुल निर्यात का 62.53 *प्रतिशत* है।

1.5.4 अनुसंधान एवं विकास

सतत् विकास के लिए मौजूदा उत्पादों का विकास करने के लिए और नये उत्पाद, प्रक्रियाओं आदि को विकसित करने के लिए प्रत्येक संस्था को अनुसंधान और विकास करनी पड़ती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कार्रवाई 44 सीपीएसई ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ₹ 4,621.79 करोड़ का व्यय किया जिसके प्रति 356 पेटेंट पंजीकृत किये गये थे। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान सीपीएसई द्वारा पंजीकृत किये गये आर एंड डी व्यय और पेटेंट के विवरण नीचे तालिका 1.20 में दिये गये हैं:

तालिका 1.20: आर एण्ड डी व्यय और पंजीकृत पेटेंट

2014-15		2015-16		2016-17	
आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट
4551.70	327	5171.40	320	4621.79	356

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई जिन्होंने वर्ष 2016-17 में ₹ 500 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय किए थे, को तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: ₹ 500 करोड़[24] से अधिक के आर एंड डी व्यय वाले सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ से आर एंड डी व्यय की प्रतिशतता
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1284	2616	49.08
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	777	1548	50.19
3	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	592	17900	3.31

[24] भेल में, लाभ और हानि विविरण के अनुसर कंपनी का आर एण्ड डी पर व्यय ₹ 240.74 करोड़ था। तथापि, कंपनी की निदेशक रिपोर्ट के अनुसार ₹ 793.62 करोड़ की राशि आर एण्ड डी व्यय के रूप् में दर्शायी गई थी जिसमें ग्राहक आवश्यकताओं के संबंध में उत्पादों/डिजाइनों में बड़े संशोधनों/सुधारो के लिए विनिर्माण इकाईयो पर आर एण्ड डी प्रयास करने के लिए किया गया व्यय सम्मिलित था जिसमें आर एण्ड डी परियोजनाओं को कवर नहीं किया गया था। इसलिए, उपरोक्त 1.21 तालिका में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था।

अध्याय II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2016 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2016-17 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2016 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसईज़ द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की

एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तिय विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अनुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्यवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज़ के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

630 सरकारी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से 81 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2017 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 438 सरकारी कम्पनियां तथा 192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। वर्ष 2016-2017 के लिए इनमें से 433 सरकारी कम्पनियों और 192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों से लेखे देय थे। 5 सरकारी कम्पनियों जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2017 या इससे पहले कुल 376 सरकारी कम्पनियों

तथा 168 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 57 सरकारी कम्पनियों तथा 24 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

विवरण		**सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां जहां सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई**					
		सरकारी कम्पनियां		**सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां**		**कुल**	
31.03.2017 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कम्पनियों की संख्या		438		192		630	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध/असुचीबद्ध		51	387	8	184	59	571
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2016-17 के लिए देय नहीं थे।		0	5	0	0	0	5
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2016-17 के लिए देय थे।		51	382	8	184	59	566
30 सितम्बर 2017 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे।		51	325	8	160	59	485
बकाया लेखाओं की संख्या		0	57	0	24	0	81
बकाया के ब्यौरें	(i) परिसमापनाधीन	0	22	0	8	0	30
	(ii) समाप्त	0	3	0	6	0	9
	(iii) पहला लेखा जमा नहीं	0	2	0	1	0	3
	(iii) अन्य	0	30	0	9	0	39
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2016-17)	0	21	0	3	0	24
	दो वर्ष (2015-16 और 2016-17)	0	3	0	2	0	5
	तीन वर्ष और अधिक	0	6	0	4	0	10

परिशिष्ट ।। क और परिशिष्ट ।। ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से चार[25] सांविधिक निगमों ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2016-17 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2017 को प्रतीक्षित थे। केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखा समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय प्रस्तुतीकरण ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

---

[25] *भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।*

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 चयनित सीपीएसईज़ के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

तीन चरण लेखापरीक्षा

सीपीएसई में वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएजी द्वारा लागू की गई वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक तीव्र, नवीन, केन्द्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण।

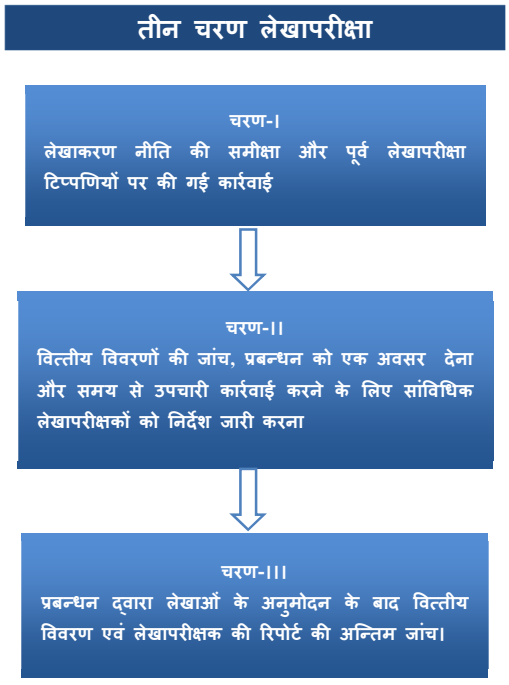

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने "तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली" के द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक तीव्र, नवीन, केंद्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण आरम्भ किया। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए सूचीबद्ध, नवरत्न, मिनीरत्न और सांवधिक निगमों की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित गए सीपीएसईज़ में लागू किया गया था:

- सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसईज़ के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसईज़ के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरण लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रारंभिक आपत्तियां के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की

जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2016-17 के लिए 71 सीपीएसईज़ की तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसईज़ ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किए थे जिसके कारण इन सीपीएसईज़ के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2016-17 के लिए इन सीपीएसईज़ के वित्तीय विवरणों में तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव

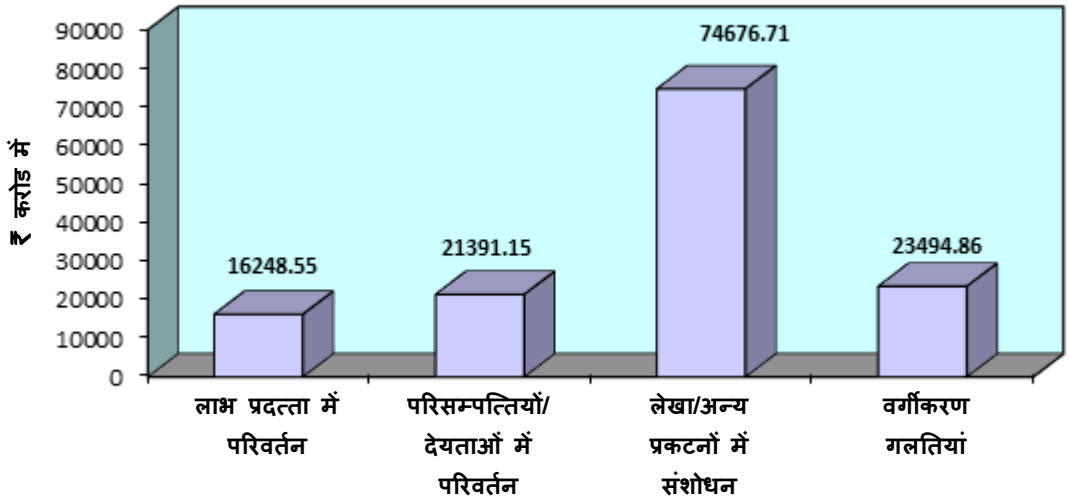

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गयाः

क्र.सं.	सीपीएसईज़ का नाम
1.	गेल इंडिया लिमिटेड
2.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
4.	हाऊसिंग एण्ड अरबन डिवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
7.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

8.	एनएचपीसी लिमिटेड
9.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
10.	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	सदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2016-17 के लिए 332 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण 376 सरकारी कम्पनियों (51 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 168 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (8 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 251 सरकारी कम्पनियों और 81 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

कुल मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त लेखाओं में से 67 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और 48 *प्रतिशत* सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

2.5.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संशोधन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 35 सरकारी कम्पनियां और 6 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट संशोधित कीं।

2.5.4 सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने अनुपूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

❖ **सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	• भारत सरकार द्वारा कम्पनी के लिए अनुमोदित (25 मई 2017) पुनर्गठन योजना के अनुसार कम्पनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक विच्छेद योजना के संबंध में किये गये व्यय ₹ 84.46 करोड़ को शामिल नहीं किये जाने के कारण कर्मचारी लाभ खर्चे और हानि कम बताये गये थे। • रसायनी इकाई के वेतन संशोधन (1997 और 2007) के प्रावधान के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 22.08 करोड़ तक कर्मचारी लाभ खर्चे कम दर्शाये गए थे और पूर्व अवधि समायोजन अधिक बताये गये थे।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	• दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम अधिक दर्शाये गये थे और अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए प्रावधान तथा हानियाँ ₹ 123.66 करोड़ तक कम बताये गये थे: • वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के अपरिवर्तनीय डिबेचरों में संदिग्ध परिसंपत्तियों के स्थान पर मानक संपत्ति के रूप में ₹ 56.74 करोड़ के अंशदान के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 51.03 करोड़ का कम प्रॉवधान, • अवमानक परिसंपत्ति के रूप में कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिये गए ₹ 50 करोड़ ऋण के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.68 करोड़ का कम प्रवधान, • कोस्टल एनर्जीन प्रा. लि. को दिए गए (जुलाई 2013

		और जुलाई 2015) ₹ 368.97 करोड़ के मियादी ऋण के संबंध में आरबीआई के एस4ए[26] योजना के अनुसार ₹ 69.95 करोड़ का प्रावधान नहीं बनाना। • दीर्घ अवधि निवेशों के मूल्य में कमी के लिए किया गया ₹ 155.46 करोड़ का अपर्याप्त प्रावधान।
3.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• देनदारियां और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य निम्न के कारण ₹ 84.45 करोड़ तक कम बताया गया: • 31 मार्च 2017 तक कार्य संविदाओं के लिए देय राशि होने के कारण ₹ 76.03 करोड़ का लेखाकरण नहीं किया जाना। • मुम्बई मैट्रो लाइन-3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान इन्टनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी से ऋण संबंधी प्रारंभिक छूट के भुगतान के प्रति ₹ 8.42 करोड़ का प्रावधान न करना।
4.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• मैसर्स पूम्पुहार शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ चार्टर पार्टी एग्रीमेन्ट के आधार पर मार्च 2014 और मार्च 2017 के बीच तैनात आठ पोतो के संबंध में अप्रत्याशित रूप से बंद भाड़ा और सेवा कर के कम भुगतान के कारण ₹ 6.05 करोड़ तक कारोबार प्राप्यों के साथ-साथ लाभ अधिक बताए गए और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान कम बताएं गये थे।
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड - समेकित और एक मात्र वित्तीय विवरण	• अनुमेय मुक्त समय के अन्तर्गत वैगनों की उतराई/चढ़ाई में कम्पनी की विफलता के कारण दिसम्बर 2015 और दिसम्बर 2016 के बीच की अवधि के लिए इंजन किराया प्रभारों के प्रति रेलवे द्वारा ₹ 8.15 करोड़ की कटौती दावे वसूली के रूप में दिखाये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ तक वर्ष के लिए अन्य खर्चों और हानियों को कम बताया गया और वसूली योग्य दावों को अधिक बताया गया था। • अन्य खर्चे और हानियां, 2008 से 2010 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा लम्बी पटरियों की अधिप्राप्ति पर पहले से अधिक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के भुगतान के प्रति भारतीय रेलवे द्वारा कटौती की गई राशि के प्रावधान नहीं करने के कारण ₹ 15.75 करोड़ कम बताए गए थे। • आस्थगित देनदारी के प्रति एनटीपीसी और कम्पनी के मध्य 50:50 संयुक्त उद्यम कम्पनी एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) से ₹ 22.87 करोड़ के दावे का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 22.87 करोड़ तक अन्य खर्चो और हानि को कम बताया गया।

[26] ***महत्वहीन परिसंपत्तियों के सतत ढांचे के लिए योजना***

6.	दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	• मौजूदा पट्टा समझौते की निबंधन और शर्तों में एकतरफा या किसी भी परिवर्तन के बिना एक कार्यालय इमारत के संबंध में, 2004-05 से 2015-16 की अवधि के लिए भूमि और विकास कार्यालय को देय 25 *प्रतिशत* पट्टा किराये के प्रति देनदारी के प्रतिलेखन के परिणामस्वरूप ₹ 66.12 करोड़ तक विशेष मदों-आय को अधिक बताया गया और समान मात्रा तक हानि के साथ-साथ देनदारियों को कम बताया गया।

प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा मांगे गए 2007-08 से 2010-11 और 2012-13 की अवधि से संबंधित ₹ 590.90 करोड़ की लाइसेंस फीस का प्रावधान नहीं करने पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखे पर टिप्पणियां की गई थीं। इस के उत्तर में, कम्पनी ने बताया कि विषय डीओटी के द्वारा समीक्षा के अधीन थे, कोई देय लाइसेंस शुल्क लम्बित नहीं था, इस विषय को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण कोई ऋण स्वीकार नहीं था और इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान बनाने का कोई ऑचित्य नहीं था। तथापि, वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों में उपरोक्त का प्रकटन नहीं किया गया था।
2.	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	• लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने ₹ 1904.24 करोड़ की बकाया राशि वाले एक व्यापार सहयोगी के द्वारा वर्ष 2004 से 2016 के दौरान षड़यंत्र, धोखाधड़ी और भंडार के दुरूपयोग के मामले को प्रकट नहीं किया।

❖ **असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के	• नौ विमानों के संबंध में ₹ 306.43 करोड़ के मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया था जो निपटान के लिए परिसंपत्ति

	लिए)	में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय कम बताया गया और ₹ 306.43 करोड़ तक निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति को अधिक बताया गया। परिणामस्वयप, इसी सीमा तक हानि को भी कम बताया गया था। • कम्पनी ने पट्टे पर दी गई भूमि के ऋण परिशोधन के प्रति ₹ 14.01 करोड़ की राशि प्रतिलेखित की थी जो स्थायी पट्टे पर नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप मूल्यह्रास कम बताया गया और हानि ₹ 14.01 करोड़ तक कम बताई गई।
2.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	• पुर्जो की बिक्री में ₹ 40.82 करोड़ मूल्य के पुर्जों को शामिल किया गया था, जो 31 मार्च 2017 के बाद जारी किए गए अदिनांकित निरीक्षण प्रमाणपत्र पर लेखांकित किये गये थे। पुर्जों के विक्रय में इन पूर्जों के विक्रय मूल्य को शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.82 करोड़ तक पुर्जों का अधिक विक्रय बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप वस्तुसूची को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया, जिसके प्रभाव को मापा नहीं जा सका था।
3.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• भण्डार मूल्य बही खाते में बिन कार्ड के अनुसार खपत का लेखाकरण नहीं होने के परिणामस्वरूप माल-सूचियों को अधिक बताया गया और ₹ 6.55 करोड़ तक भण्डारों और पूर्जो और कच्चे माल की खपत को कम बताया गया। परिणामस्वरूप समान राशि तक हानि को कम बताया गया।
4.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	• अप्रैल 2004 से मई 2009 की अवधि के लिए सीडीए पैटर्न कर्मचारियों हेतु 50 *प्रतिशत* महंगाई भत्ते के विलय के कारण बकायों का प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ तक मौजूदा देनदारियों के साथ-साथ खर्चों को कम बताया गया। फलस्वरूप समान राशि तक हानि को कम बताया गया।
5.	एमपीसीओएन (एकत्र और समेकित वित्तीय विवरण)	• अन्य मौजूदा देनदारियों में ₹ 1.20 करोड़ शामिल नहीं थे, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा निर्धारित कर्मचारियों को क्रेडिट करने के लिए संचित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी है जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी को कम बताया गया और ₹ 1.20 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।
6.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	• वर्ष 2015-16 के साथ-साथ 2016-17 के लिए कुवैत एजेंसी (कम्पनी का शाखा कार्यालय) की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दिये गए उपयुक्त मत के अनुसार, पुनर्बीमा सत्तान्तरित

		प्राप्यों के संबंध में ₹ 31.05 करोड़ की राशि की वसूली के लिए लेखापरीक्षक अपने आप को संतुष्ट करने में असमर्थ थे। ₹ 18.75 करोड़ की शेष राशि को वसूल करने की संभावना के लिए किसी भी साक्ष्य के बिना इसके विपरीत केवल ₹ 12.30 करोड़ का एक प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.75 करोड़ तक प्रावधान और हानि को कम बताया गया। • प्रीमियम घाटा आरक्षित (पीडीआर) ₹ 107.65 करोड़ तक कम बताया गया था क्यों कि उसे इरडा के परिपत्र (04 अप्रैल 2016) के खण्ड सं. 3 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के खण्ड सं. 64 V (1) (ii) (ब) के अनुसार उसे सृजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष की हानि को ₹ 107.65 करोड़ से कम बताया गया था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	• कम्पनी ने भारत सरकार को देय बकाया देय के एक *प्रतिशत* पर देय गांरटी शुल्क की तुलना में 0.5 *प्रतिशत* की दर पर प्रावधान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.91 करोड़ तक अन्य मौजूदा देनदारियां का कम प्रावधान हुआ और लाभ को अधिक बताया गया था।
2.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	• एयर इंडिया एयर ट्रान्सपोर्ट सर्विसिस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के साथ सहभाजित राजस्व पर लागू होने पर 2015-16 तथा 2014-15 वर्षों के लिए सेवा कर के लिए क्रमश: ₹ 7.56 करोड़ तथा ₹ 7.68 करोड़ तक अल्पावधि प्रावधान कम बताए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 करोड़ तक अल्पावधि प्रावधानों को कम बताया गया और ₹ 7.68 करोड़ तक पूर्व अवधि समायोजन (निवल) और ₹ 7.56 करोड़ तक अन्य खर्चों को कम बताया गया था। फलस्वरूप ₹ 15.24 करोड़ तक वर्ष की हानि को कम बताया गया था।
3.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	• परियोजनाओं के प्रति अग्रिम को ₹ 1.10 करोड़ तक कम बताया गया था और जिसका भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से प्राप्त अग्रिम से वर्ष 2013 में भुगतान किया गया था, जबकि एमएचआरडी द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप

		अन्य दीर्घ अवधि देयताओं (परियोजनाओं के प्रति अग्रिमों) को कम बताया गया और इस अवधि के लाभ को ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
4.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	• सामान्य परिसम्पत्तियों के पूँजीकरण में दो महीनों के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 7.16 करोड़ के मूल्यह्रास का कम प्रभार हुआ। इसके परिणामस्वरूप समान राशि की अप्रचलित परिसम्पत्तियों तथा लाभ अधिक दिशाये गए थे।
5.	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लिमिटेड	• तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को देय व्यापार देय में निम्न भुगतान शामिल नहीं थे: • वर्ष 2016-17 में मरीन रूट द्वारा ओएनजीसी द्वारा नेफ्था की आपूर्ति के लिए ₹ 28.92 करोड़ के लोडिंग प्रभार और ₹ 8.58 करोड़ के प्रीमियम और निर्यात संबंधित व्यय। • 2016-17 के दौरान मीथेन की आपूत्ति के लिए ओएनजीसी को किए जाने वाले भुगतान के लिए गलत फार्मुले के अंगीकरण के कारण ₹ 15.49 करोड़ का कम भुगतान। • नेफ्था, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन की खरीद के लिए अतिदेय भुगतान पर ओएनजीसी को ₹ 7.35 करोड़ के ब्याज की देयता। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए वर्तमान देततायें एवं हानि को ₹ 60.34 करोड़ तक कम बताया गया। • दिसम्बर 2016 में मेसर्स सैमसन्ग इंजीनियरिंग क. लि. द्वारा भेजी गई एक इनवॉयस का लेखाकरण न करने के कारण ₹ 10.50 करोड़ के प्रावधानों का अल्प वर्णन हुआ था। पूर्वोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष में ₹ 10.50 करोड़ तक वर्तमान देयता, अन्य व्ययों के साथ-साथ हानि का कम दर्शाया गया।
6.	सिडकुल कॉन्कोर इंफ्रा कम्पनी लिमिटेड	• तीन महीनों से अधिक किंतु बारह महीनों से कम की वास्तविक परिपक्वता के ₹ 12.26 करोड़ के सावधि जमा अन्य बैंक जमा शेषों के बजाय रोकड़ एवं रोकड़ समराशियों में निहित थे। • गैरचालू परिसम्पत्तियां अधिक बताई गई थीं तथा चालू परिसम्पत्तियां, निजी मालभाड़ा टर्मिनल (पीएफटी) के संस्थापन के बाद रेलवे द्वारा प्रत्यर्पणीय ₹ 0.99 करोड़ की प्रतिभूमि जमा को शामिल अप्रचलित परिसम्पत्तियों के तहत करने के कारण कम बताई गई थीं।

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	• एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड 'रोटेबल्स' एवं 'अन्य स्थाई परिसम्पत्ति' के संबंध में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण वर्ष के मूल्यह्रास का प्रावधान कर रहा था और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं था। • वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियाँ के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तु सूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए।
2.	एयर इंडिया लिमिटेड - समेकित वित्तीय विवरण (वर्ष 2015-16 के लिए)	• वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियों के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए।
3.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	• 'बिक्री के लिए परिसम्पत्तियों' के संबंध में लेखाकरण नीति लेखाकरण मानक 10 - अचल परिसम्पत्तियों के अनुरूप नहीं थी। • एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड को 'रोटेबल्स' एवं 'अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों' के संबंध में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण वर्ष के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया था और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं था। • वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियों के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए। • वसंत विहार में स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी के लिए लीज़ के रद्द डीड और खजुराहो में भूमि के संबंध में हाउसिंग कॉलोनी के लिए लीज़ डीड की समाप्ति के तथ्य प्रकट नहीं किये गए थे। • बुकिंग ऑफिस के लिए भोपाल में भूमि और वाराणसी में भूमि के संबंध में लीज डीड अभिलेखों में नहीं पाई गयी थी।

4.	आईएफसीआई वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	• सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 मार्च 2017 की अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया था जिसमें प्रावधान किया गया कि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में एक टिप्पणी शामिल होनी चाहिए कि क्या 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) होल्डिंग्स के साथ-साथ की इसमें डीलिंग के लिए वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटन प्रदान किया गया था और यदि ऐसा है तो क्या वे कम्पनी द्वारा रखे गए लेखा बही के अनुरूप हैं।
5.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	• वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर के तुलना समय के बजाय वर्ष के अंत पर शेयरों की अंतिम संख्या पर विचार द्वारा प्रति शेयर अर्जन की गलत ढंग से गणना की गई थी जो लेखाकरण मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन के प्रावधानों के प्रतिकूल था।
6.	इंडिया मेडिसिन्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	• आकस्मिक देयताओं में गलत ठंग से दंड प्रभारों के लिए ₹ 0.69 करोड़ शामिल किया गया था जो पहले ही उत्पादों की विलम्बित आपूर्ति के लिए तीन दलों द्वारा काटे गए थे। • पूँजी लेखे पर किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि के लिए वचनबद्धता में वर्तमान सुविधाओं के नवीनीकरण एवं संशोधन के लिए दी गई संविदा की शेष अनुमानित राशि के लिए पूंजी वचनबद्धता के लिए ₹ 5.09 करोड़ शामिल नहीं थे।
7.	कामारजार पोर्ट लिमिटेड	• सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित 8.48 एकड़ भूमि को शामिल किया गया जिसे अब भी इसके नाम पर परिवर्तित किया जाना था। तथापि, भूमि, धोखाधड़ी से एक तीसरी पार्टी द्वारा विभिन्न बैंकों में गिरवी रखी गयी थी और उक्त बैंक ने उसे संलग्नित किया है। यह तथ्य वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया था।
8.	एनएचडीसी लिमिटेड	• रोकड़ प्रवाह विवरण में 12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले (उगाहे गए ब्याज के प्रभाव सहित) बैंक जमा के लिए ₹ 269.98 करोड़ का रोकड़ प्रवाह 'निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह' के बजाय 'परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह' में शामिल किया गया था जो आईएनडी एएस 7 - नकद प्रवाहों के विवरण की आवश्यकताओं के प्रतिकूल था।
9.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	• कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों एवं अन्य वर्ग के नोट

		रखे एवं संव्यवहार किया। तथापि 30.03.2017 को कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में प्रकटन वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया था। इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अप्रकटन की रिपोर्टिंग के बजाय गलत बताया कि कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों नहीं रखे एवं सव्यवहार नहीं किया।
10.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	• वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एवं सुख-सुविधाऐं प्रदान करने के लिए अनुरक्षण, विकास एवं अन्य व्यय के लिए मैंगलोर सेज़ लिमिटेड से प्राप्त ₹ 15.23 करोड़ की कुल मांग में से कम्पनी ने विरोध के तहत ₹ 6.09 करोड़ का भुगतान किया और एक औपचारिक परिचालन एवं अनुरक्षण करार की अनुपस्थिति में कुल मांग की गणना के संबंध में एक विवाद के कारण ₹ 3.83 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, विवाद एवं बकाया मांग ₹ 5.31 करोड़ का प्रकटन नहीं किया गया था।
11.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	• इरडा के निवेश विनियमों 2016 और इरडा परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2017 के साथ पठित दिनांक 4 अप्रैल 2016 के इरडा के परिपत्र के अनुसार निवेशों के गैर-द्विभाजन के परिणामस्वरूप ₹ 2370 करोड़ का अंशधारकों के निवेश का अधिक कथन और पालिसीधारकों के निवेशों का अल्पकथन हुआ था। • इसके अतिरिक्त, पालिसीधारकों की निधियों और अंशधारकों की निधियों के तहत उचित मूल्य परिवर्तन लेखे को विभाजित करने के इरडा के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। • वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 150.11 करोड़ की राशि की स्थिर परिसम्पत्तियों के कुल जुड़ाव के प्रति कम्पनी ने नकद प्रवाह विवरण में ₹ 162.89 करोड़ का वर्णन किया। इसके परिणामस्वरूप लेखा बही एवं नकद प्रवाह विवरण के बीच ₹ 12.78 करोड़ का अंतर था।
12.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड	• कम्पनी ने विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के विवरणों को प्रकट नहीं किया यद्यपि 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान उसे रखा और संव्यवहार किया। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 30 मार्च 2017 की अधिसूचना के प्रतिकूल था।

		• इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों के विवरण में कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे गए एवं संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसपीएन) के विवरण को प्रकट किया एवं वे उपरोक्त के अनुसार कम्पनी द्वारा रखे गए लेखा बहियों के अनुरूप तथ्यपूर्ण नहीं थे।

❖ **असूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां**

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रिकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	• अक्तूबर 2012 में जारी इरडा मास्टर परिपत्र के उल्लंघन में सरकारी प्रतिभूतियों/बांड में निवेशों पर प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.07 करोड़ के प्रावधानों का अधिक कथन और ₹ 4.17 करोड़ तक वर्तमान वर्ष के लिए लाभ का कम कथन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 करोड़ के आरक्षित एवं अधिशेष का कम कथन भी हुआ था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रिकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	• इरडा के निवेश विनियम 2016 और इरडा परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2017 के साथ पठित दिनांक 4 अप्रैल 2016 इरडा के परिपत्र के अनुसार निवेशों के गैर-द्विभाजन के परिणामस्वरूप ₹ 1059.63 करोड़ का पालिसीधारकों के निवेश का अधिक वर्णन और अंशधारकों के निवेशों का अल्पकथन हुआ था। • पालिसीधारकों की निधियों और अंशधारकों की निधियों के तहत उचित मूल्य परिवर्तन लेखे को विभाजित करने के इरडा के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

❖ सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

i. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके संयुक्त उद्यमकार जोकि है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) और मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाइअड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) से उत्पन्न राजस्व और संबंधित परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौतों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतरित राजस्व के भाग के सत्यापन के लिए मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। संबंधित रिकार्ड की अनुपस्थिति में डीआईएएल एवं एमआईएएल से प्राप्त ₹ 3826.38 करोड़ के राजस्व की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

ii. लेखाओं पर टिप्पणियों में दर्शाये गए अन्य आय, उपार्जित ब्याज के लिए 18 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 597.00 करोड़ की सावधि जमा पर देय ₹ 6.89 करोड़ की राशि को प्रकट नहीं किया गया था।

iii. लेखाकरण नीति के प्रतिकूल डूबंत ऋण एवं संदिग्ध देय का ₹ 38.48 करोड़ अधिक कथन किया गया था।

iv. एएआई के हवाई अड्डों पर भूमि के अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए 1996-97 से 2013-14 तक निर्मित अन्य प्रावधान पुनर्वासन में ₹ 445.74 करोड़ की राशि शामिल थी। चूँकि 31 मार्च 2017 तक ऐसे प्रावधान के प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा और व्यय परिकल्पित नहीं था, इसलिए प्रावधानों की निरंतरता लेखाकरण मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप दीर्घाकाधिक प्रावधानों का अधिक कथन एवं फलस्वरूप ₹ 445.74 करोड़ के लाभ का कम कथन हुआ।

v. अन्य चालू देयताओं में निम्न विवरणों के अनुसार ₹ 25.14 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	लुधियाना, पठानकोट, लेह और भुन्तर हवाईअड्डों पर सुरक्षा कार्मिक के नियोजन की देयता, बकाया वेतन/डीए का प्रावधान न करना	12.02
2.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को देय कमीपूरक प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान न करना	5.17
3.	अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि के लिए अमृतसर हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा मांगे गए लागत वसूली प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान न करना	5.72
4.	चेन्नई निगम को देय सेवा-प्रभार के लिए देयता का प्रावधान न करना	0.92
5.	महाराणा प्रताप हवाईअड्डे, उदयपुर पर रनवे एवं सम्बन्धित कार्यों के विस्तारण एवं मजबूतीकरण के संबंध में मुआवजा देने का प्रावधान न करना	0.32
6.	मार्च 2017 में आपूर्तिकार द्वारा वितरित पुर्जों की देयता का प्रावधान न करना	0.99
	जोड़	**25.14**

vi. चालू देयताओं में निम्न के कारण ₹ 109.43 करोड़ की देयता का अधिक प्रावधान शामिल किया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	डीआईएएल एवं एमआईएएल से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए खर्च न किए गए मुआवजे शेष के कारण देयता का समायोजन न करना	106.02
2.	पहले से भुगतान किए गए कर्मचारियों से स्रोत पर काटे गए कर की देयता का समायोजन न करना	2.65
3.	आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाला एंटी-हाईजैकिंग व्यय एएआई की देयता के तौर पर दिखाया गया	0.76
	जोड़	**109.43**

vii. मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में लेखाओं के नोट में ₹ 4.71 करोड़ की राशि शामिल की गई जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लेखा बहियों में पूँजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	जयपुर हवाईअड्डे पर टैंगो टैक्सी एवं पेरोमीटर रोड पर रिकार्पेटिंग कार्य (₹ 2.58 करोड़); लेह हवाईअड्डे पर फ्लोरिंग एवं फॉल्ट सीलिंग के प्रतिस्थापन (₹ 0.48 करोड़); भुन्तर हवाईअड्डे पर स्ट्रिप की लेवलिंग एवं ग्रेडिग से संबंधित भूमि कार्य (₹ 0.22 करोड़) और जोधपुर हवाईअड्डे पर क्षतिग्रस्त बिटुमन रोड़ के ऊपर पेवर ब्लॉक्स की लागत (₹ 0.17 करोड़)।	3.45
2.	लखनऊ हवाईअड्डे पर एकीकृत ऑफिस कॉम्प्लेवस एवं फर्नीचर के लिए नागर विमानन महानिदेशक से वसूली योग्य आनुपातिक लागत	0.68
3.	विजय वाड़ा हवाईअड्डे पर ठेकेदार को दिया गया संघटन अग्रिम पर अर्जित ब्याज टर्मिनल बिल्डिंग, सेरेमोनियल लाउंज आदि के निर्माण की लागत के विरूद्ध नहीं किया गया।	0.58
	जोड़	**4.71**

viii. नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ₹ 22.14 करोड़ की राशि मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं की गई है जिसे एएआई की लेखा बहियों में पूँजीकृत करना चाहिए था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	नागंल देवत गांव के भूमि मालिकों के स्थानांतरण के लिए रंगपुरी में भूमि के विकास की लागत।	21.08
2.	जयपुर में पूर्ण बिल्डिंग कार्य की लागत (₹ 0.88 करोड़) और जम्मु हवाईअड्डे पर न्यायालय आदेशों के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा और भूमि मालिकों को प्रदत्त ब्याज (₹ 0.18 करोड़)।	1.06
	जोड़	**22.14**

ix. पूँजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) पर लेखाओं पर नोट में ₹ 106.34 करोड़ की राशि शामिल की गई जो कि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी में बुक नहीं की जानी चाहिए थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि	मूल्यह्रास की राशि
1.	**सीडब्ल्यूआईपी में शामिल सम्पूर्ण कार्य**		
	कोलकाता हवाईअड्डे पर सामान्य हैडलिंग लाइन के लिए कन्वेयर लाईन और अतिरिक्त प्रस्थान कन्वेयर	10.08	1.11
	अलीगढ़ हवाईअड्डे पर लोक कार्य सहित रेडियो नेवीगेशन उपकरण	0.51	0.03
	सूरत हवाईअड्डे पर यात्री बोर्डिंग पुल, कार पार्किंग कार्य, कम्पाउंड वॉल का संस्थापन	3.25	0.30 (पूर्व अवधि ₹ 0.01 करोड़)
	इन्दौर में एक्स-बीआईएस (बैगेज जांच प्रणाली) की आपूर्ति संस्थापन और परीक्षण	1.61	0.18
	एएआई के कार्पोरेट मुख्यालय पर फोटोकापीअर, मास्टर क्लॉक सिस्टम, प्रिंटर और एसएपी का गैर-पूँजीकरण	3.99	3.05 (पूर्व अवधि ₹ 2.26 करोड़)
	उप योग	**19.44**	**4.67**
2	**अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित कार्य किंतु एएआई के सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया था**		
	निक्षेप कार्य के प्रति नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागर विमानन एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से निर्मित भारतीय विमानन अकादमी के निर्माण की लागत	82.27	--
	अमृतसर हवाईअड्डे पर बीसीएएस/एएआई बिल्डिंग एवं फर्नीचर की आनुपातिक लागत जो बीसीएएस से वसूली योग्य थी	3.48	--
	उप योग	**85.75**	-

3	**सीडब्ल्यूआईपी के तहत बुक किए गए राजस्व प्रकृत्ति के व्यय**		
	कांगडा हवाईअड्डे पर शोचालयों, ग्लास पार्टिशन और गलत सीलिंग का नवीनीकरण (₹ 0.10 करोड़) और श्रीनगर हवाईअड्डे पर वर्तमान टाइल फ्लोरिंग का प्रतिस्थापन (₹ 10.05 करोड़)	**1.15**	--
	कुल योग (1+2+3)	**106.34**	**4.67**

x. आकस्मिक देयताओं के तहत देय के तौर पर न माने गए दावों पर लेखाओं के नोट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार के तहत और चारदीवारी से घेरी गई 43.49 एकड़ भूमि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई ₹ 246.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी।

2.6 लेखाकरण मानकों के प्रावधानों का अननुपालन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखाकरण मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखाकंन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट- VI** में ब्यौराबद्ध 16 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखाकरण मानक		कम्पनी का नाम	विचलन
एएस 13	निवेश का लेखाकरण	आईएफसीआई लिमिटेड	• कम्पनी ने ₹ 155.46 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के मूल्य में न्यूनता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया था।
एएस 15	कर्मचारी लाभ	एमपीसीओएन लिमिटेड	• भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जैसा कि आंकलन किया गया कर्मचारियों के क्रेडिट पर संचित अवकाश पर छुट्टी भुनाने के लिए देयता की गैर-मान्यता।

एएस 22	आस्थगित कर परि-सम्पत्तियां	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	• आस्थगित कर परिसम्पत्तियों में आस्थगित कर गणना में निष्पादन संबंधित वेतन के लिए बनाए प्रावधान को शामिल न करने के कारण ₹ 0.05 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई थी।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियॉ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियॉ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थीः

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसईज़ के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 114 सीपीएसईज़ को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए थे।

अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा पर कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित आवश्यकता प्रदान करती हैः

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानो को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 जो 1 दिसम्बर से लागू हुई, को अधिसूचित किया।

सेबी ने (13 अक्टूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017 और 15 फरवरी 2017 को संशोधित किए गए थे।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों

और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयूस में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2017 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 636 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। सीपीएसई को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल तथा सितम्बर 2014) दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी और निर्धारण रूपरेखा में वर्ष 2016-17 के दौरान इन प्रावधानों का विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन को प्रदर्शित किया गया था। समीक्षा में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 52 सीपीएसई (48 सूचीबद्ध सीपीएसई और 4 सीपीएसई जिनके बाण्ड सूचीबद्ध थे) शामिल किए गए हैं। सीपीएसई की सूची **परिशिष्ट-VII** में दी गई है।

3.2 निदेशक मण्डल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में अनुबद्ध है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-

कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं होने चाहिए।

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, कुल बोर्ड संख्या के 50 प्रतिशत से कम संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

तालिका 3.1 सीपीएसई जहां गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11	5	45.55
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7	2	29.57
3	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड	7	2	29.57
4	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	3	42.85
5	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	13	5	38.46
6	एनटीपीसी लिमिटेड	12	5	41.67
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	2	33.33

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली 2014 के अध्याय XI के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहॉ बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिती निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	एनएमडीसी लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
2	केआईओसीएल लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	2
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
4	एचएमटी लिमिटेड	5	गैर-कार्यकारी	2	1
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8	गैर-कार्यकारी	3	1
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	5
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	गैर-कार्यकारी	4	2
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
9	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	4	कार्यकारी	2	1
10	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
11	बीईएमएल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
12	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
13	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
14	महानगर टेलीफोन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
15	आईटीआई लिमिटेड	6	रिक्त		1
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	कार्यकारी	8	6
17	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
19	बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
20	एंड्रयू यूल एंड कॉ लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
22	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	16	कार्यकारी	8	7
23	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
24	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
25	एमएमटीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
26	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
27	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	3
28	गेल (इंडिया) लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
29	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5

30	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
31	एनटीपीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
32	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
33	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
34	एनएचपीसी लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
35	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	1
36	एसजेवीएन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
37	मोइल लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	2

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसई जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड
4	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), कम्पनी (निदेशको की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसईस में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: अपने बोर्ड में महिला निदेशक न रखने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी
3	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड

6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड
8	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3 स्वतन्त्र निदेशको की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना

सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) अनुबद्ध करता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई में शर्तो एवं निबंधन का विवरण देने वाला कोई भी नियुक्तिपत्र, जारी नहीं किया गया था:

तालिका 3.5 सीपीएसई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को जारी न किए गए नियुक्ति पत्र

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	भारतीय रेल वित्त निगम
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
6	एनएचपीसी लिमिटेड
7	एसजेवीएन लिमिटेड
8	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

3.3.2 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17 (5)(ख) अनुबद्ध करता हैं कि निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित आचार संहिता कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा निर्धारित के कर्तव्यों को शामिल करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV स्वतंत्र निदेशक के लिए संहिता की व्यवस्था करती है

(पैरा-III स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य)। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं करता है।

3.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.3.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-III स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य), सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ख) (7) (क) और (ख) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कम्पनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कम्पनी संचालित होती है, कम्पनी के व्यापार मॉडल इत्यादि के विषय में परिचित करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2016-17 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारतीय रेल वित्त निगम
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.3.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V (सी) (2) (जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.7: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	भारतीय रेल वित्त निगम

6	महानगर टेलीफोन लिमिटेड
7	भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान कार्बनिक केमिक्लस मिलमिटेड

3.3.4 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.8 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.8: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	3	-
2	केआईओसीएल लिमिटेड	2	2
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2	1
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	1
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	1	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	1
7	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2	2
8	भारतीय रेल वित्त निगम	1	1
9	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2	-
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	1
11	कोल इंडिया लिमिटेड	3	2
12	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	5	1
13	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2	1
14	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	-
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	-
16	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन	1	2

	लिमिटेड		
17	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2
18	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	3	4
19	इंडिया टूरिजम डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन	1	-
20	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2
21	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	-
22	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4	4
23	आईएफसीआई लिमिटेड	3	1
24	एनटीपीसी लिमिटेड	3	2
25	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	-
26	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6	1
27	एनएचपीसी लिमिटेड	4	2
28	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1
29	मोइल लिमिटेड	3	2

3.3.5 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.9 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनियों की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	केआईओसीएल लिमिटेड	5
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	1
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1
7	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	2

10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3
11	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1
12	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1
14	आईएफसीआई लिमिटेड	2
15	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1
16	एनएचपीसी लिमिटेड	1
17	मोइल लिमिटेड	1
18	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	1

3.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.6.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) और सूचीगत करार के खंड 49 II बी(6) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधंन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना मिलना होगा। तालिका 3.10 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.6.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
3	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	आईएफसीआई लिमिटेड

यद्यपि पृथक बैठक आयोजित की गई थी लेकिन तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में बैठक का कोई कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां पृथक बैठक का कार्यवृत्त नहीं बनाया गया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड

3.3.6.3 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII)(3), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के नियमन 25(4) तथा सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (बी)(6)(बी) में अपेक्षित है कि पृथक बैठक में स्वतंत्र निदेशक (क) गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा पूर्ण रूप में बोर्ड के प्रदर्शन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन (ग) प्रबन्धन और निदेशक बोर्ड जो बोर्ड के लिए उनके कर्त्तव्यो को प्रभावी तथा उपयुक्त रूप से करने के लिए अनिवार्य है, के बीच सूचना के प्रवाह के निर्धारण की समीक्षा करेंगे। तालिका 3.13 में दिए गए सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित की गई थी परन्तु ऐसी बैठकों मे उपरोक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थीः

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां अपेक्षित मामलों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	बीईएमएल लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	भारतीय रेल वित्त निगम
6	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	कोल इंडिया लिमिटेड
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

11	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड
12	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
14	एमएमटीसी लिमिटेड
15	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
17	गेल (इंडिया) लिमिटेड
18	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
19	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
20	एनटीपीसी लिमिटेड
21	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23	एसजेवीएन लिमिटेड
24	मोइल लिमिटेड

इसके अलावा, न तो अधिनियम में और न ही विनियमों में यह प्रावधान किया गया कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसा मूल्यांकन किसे प्रेषित किया जाना था।

3.3.7 स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा

सूचीगत करार के खण्ड 49(11)(बी)(5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(10), और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VIII) में प्रावधान है कि सम्पूर्ण निदेशक बोर्ड (मूल्यांकित हो रहे निदेशको को छोड़कर) स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि विस्तारित या जारी रखी जाए। तालिका 3.14 उन सीपीएसई को दर्शाती है, जहां ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.14: सीपीएसई, जहां बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4	एचएमटी लिमिटेड
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
8	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
9	बीईएमएल लिमिटेड
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
11	भारतीय रेल वित्त निगम
12	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
13	आईटीआई लिमिटेड
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	कोल इंडिया लिमिटेड
16	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड
17	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
18	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
19	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड
20	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
22	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
23	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
24	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
27	एमएमटीसी लिमिटेड
28	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30	गेल (इंडिया) लिमिटेड
31	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
32	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
33	एनटीपीसी लिमिटेड
34	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
36	एनएचपीसी लिमिटेड
37	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

39	एसजेवीएन लिमिटेड
40	मोइल लिमिटेड
41	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति या नियुक्ति की अवधि का विस्तारण/निरंतरता निदेशक बोर्ड के अधिदेश में नहीं है। तथापि, न तो अधिनियम, और न ही विनियमों में यह प्रावधान है कि सीपीएसई के निदेशक बोर्ड द्वारा भेजे गए ऐसे निष्पादन मूल्यांकन को किसे भेजा जाना था।

3.4 निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) में वर्णित है कि निदेशक बोर्ड की बैठकों के लिए नोटिस ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पहले परिचालित किया जाएगा। तालिका 3.15 उन सीपीएसई को दर्शाती है जहां ऐसी बैठकों के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस परिचालित नहीं किया गया था।

तालिका 3.15: निदेशक बोर्ड की बैठक से कम से कम सात दिन पहले नोटिस परिचालित नहीं किया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
4	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
5	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	मोइल लिमिटेड

3.5 निदेशकों के पदों की भर्ती- कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI (2) त्याग पत्र या पद से हटाना) सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25(6)

और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(डी)(4) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.16 में वर्णित सीपीएसई ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में देरी के साथ भरा गया	महीनों में खाली रहना
1	केआईओसीएल लिमिटेड	-	08
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	28
3	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	28	
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	-	24
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	-	39
7	बीईएमएल लिमिटेड	-	40
8	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	28
9	आईटीआई लिमिटेड	-	18
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	12
11	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड		12
12	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड		46
13	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड	-	62
14	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	12
15	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	-	19
16	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	08
17	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	-
18	गेल (इंडिया) लिमिटेड	-	25
19	एनटीपीसी लिमिटेड	-	08
20	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-	40
21	एनएचपीसी लिमिटेड	-	07
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	12
23	मोइल लिमिटेड	-	04

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई, में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थीः

तालिका 3.17: सीपीएसई जहां कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	चूक महीने में
1	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	09
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	निदेशक (एचआर)	14
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	07
4	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (परियोजनाएं)	06
5	आईटीआई लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21
6	एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12
7	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	08 09
8	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	निदेशक (विपणन) निदेशक (वित्त)	13 07
9	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	07
10	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक (आर एण्ड डी)	31
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	निदेशक (बीडी) निदेशक (विपणन	30 18
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	15
13	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	13
14	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	12
15	एनटीपीसी लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	17
16	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (विद्युत)	07

3.6 लेखापरीक्षा समिति

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि स्कूटर्स इंडिया लि. के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.18 में वर्णित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.18: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	भारतीय रेल वित्त निगम
4	आईटीआई लिमिटेड
5	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
6	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.6.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगें। तथापि, तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसई की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2016-17 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.19: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
6	महानगर टेलीफोन लिमिटेड
7	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
9	आईएफसीआई लिमिटेड
10	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

3.6.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

3.6.3.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18 (2)(ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49 (III)(बी) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होगा। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थिति होने चाहिए।

एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम 4 बैठकें वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.20 में सीपीएसई के संबंध में, वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त संख्या के दृष्टांत देखे गए थे:

तालिका 3.20: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त संख्या

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
8	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लि. के संबंध में, दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था।

3.6.3.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18(1) (एफ) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49(III)(ए)(5) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों (तथा विशेष रूप से वित्त कार्य के अध्यक्ष) को आमंत्रित कर सकती है, जैसा वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपयुक्त समझें। लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम्पनी के किसी कार्यकारी की उपस्थिति के बिना भी हो सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षक का एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितगण के रूप में उपस्थित हो सकते है।

पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफॅ इंडिया लिमिटेड के संबंध में, हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था। तथापि, वित्त निदेशक एक बैठक में और आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की चारों बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

3.6.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(डी)(11) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.21 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.21: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	मोइल लिमिटेड

3.6.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

3.6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.6.6.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.22 में दिए गए निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.22: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	मोइल लिमिटेड

3.6.6.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। यह भी पाया गया कि मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी।

3.6.7 सीएजी के अनुपूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

3.6.7.1 सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) (iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसई के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

तालिका 3.23 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रबंधन पत्र, सीएजी की टिप्पणियों, लेखापरीक्षा पैराग्राफ, सीएजी रिपोर्ट में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं तथा पूरक लेखापरीक्षा करने के बाद जारी सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.23: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी लिमिटेड
2	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	एनटीपीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.6.7.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें), नियमावली 2015 के खण्ड II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी (बी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण, (iii) प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्रों पर, (iv) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित सूचना की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक शर्तों तथा इससे विचलनों

का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में इसकी समीक्षा नहीं की गई थी।

3.6.7.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी(ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.24 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी चर्चाएं नहीं की।

तालिका 3.24: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समितियों ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा
2	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा - पूर्व
3	भारतीय रेल वित्त निगम	पूर्व लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा
4	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा

3.7 अन्य समितियां

3.7.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), कम्पनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां), नियमावली 2014, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV)(ए) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें सभी, गैर-कार्यकारी निदेशक

होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसाकि तालिका 3.25 में उल्लेख किया गया है। यद्यपि कुछ सीपीएसई में समिति का गठन किया गया था किन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

तालिका 3.25: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
4	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
5	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले सीपीएसई का विवरण तालिका 3.26 में दिया गया है।

तालिका 3.26: नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.7.2 पणधारक संबंध समिति

कम्पनी अधनियम, 2013 की धारा 178 (5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 20(1) में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि तालिका 3.27 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी।

तालिका 3.27: पणधारक संबंध समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
2	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.7.3 धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) तथा धारा 178 (नामंकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं पणधारक संबंध समिति) के किसी उल्लंघन के मामले में कम्पनी पर जुर्माना लगाया जाएगा जो एक लाख से कम नहीं होगा और पांच लाख रूपए तक बढाया जा सकता है और कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा एवं इसे एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों। तथापि, यह देखा गया कि 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई।

3.8 चेतावनी तंत्र

3.8.1 कम्पनी अधनियम, 2013 की धारा 177 (9), कम्पनी (बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7, सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(।।)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित करते हैं कि कम्पनी निदेशकों तथा कर्मचारियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी अथवा कम्पनी की आचार-संहिता या नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी। यह पाया गया कि तालिका 3.28 में सूचीबद्ध सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.28 : चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.8.2 कम्पनी अधनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा III (10) और सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(।।।)(डी) 18 तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची ।। के विनियम 18 (3) भाग सी (ए) (18) में लेखापरीक्षा समिति

द्वारा 'चेतावनी तंत्र' के कार्यों की समीक्षा करने का प्रावधान है, यदि ऐसा तंत्र कम्पनी में हो । नीचे तालिका 3.29 में वर्णित सीपीएसई में, यद्यपि चेतावनी तंत्र मौजूद है तथापि लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.29 : चेतावनी तंत्र वाले सीपीएसई परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	भारतीय रेल वित्त निगम
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
6	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.9 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा समाधान के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.30 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई थी:

तालिका 3.30 : संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.10 सहायक कम्पनियों से संबधित नीति

सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(V)(डी) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 46(एच) तथा अनुसूची V(सी)(10)(ई) उल्लिखित करता है कि कम्पनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निर्धारण करने के लिए

एक नीति का निर्माण करेगी तथा ऐसी नीति वार्षिक रिपोर्ट में तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेब-लिंक के साथ वेबसाइट पर तथा स्टॉक एक्सचेंज को प्रदर्शित करेगी। एचएमटी लिमिटेड के संबंध में ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

3.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.11.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए) तथा (एफ) और (जी) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों से संबंधित नीति (iii)गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदण्डों पर सूचना प्रकट करेगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो। तालिका 3.31 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

तालिका 3.31: सीपीएसई जिन्होंने वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन नहीं किया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
3	भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी
4	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.11.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। तालिका 3.32 ऐसी सीपीएसई की सूची प्रस्तुत करती है जहां वेबसाइट में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

तालिका 3.32: वेबसाइट पर समितियों से संबंधित सूचना का प्रकटन न करना

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.12 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनो के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह पाया गया कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही के बदले वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3.13 निष्कर्ष

चयनित 52 सीपीएसई में से 04 सीपीएसई में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था और 37 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त नहीं किये गये थे; नौ सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 23 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको की रिक्तियों को भरने में तीन माह से अधिक का विलम्ब पाया गया था; 16 सीपीएसई में बोर्ड में कार्यकारी निदेशको की रिक्तियां भरने में छः माह से अधिक का विलम्ब पाया गया; एक सीपीएसई में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; तीन सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया; पांच सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई थी, दो सीपीएसई में कोई भी हितधारक संबंध समिति नहीं थी और तीन सीपीएसई में संबद्ध पार्टी संव्यवहारों पर कोई नीति नहीं थी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया (मार्च 2018) कि सीपीएसईज द्वारा संबंधित कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की चूक/मॉनिटरिंग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों पर भी निर्भर करती है जो अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में समय पर नियुक्ति के लिए जवाबदेह है।

इस अध्याय पर कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के उत्तर (मार्च 2018) को संबंधित पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

3.14 सिफारिशें

भारत सरकार, दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अध्याय IV

निगमित सामाजिक दायित्व

4.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, समुदायों सहित अपने शेयरधारकों के हितों की पहचान करते समय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से परिचालन करने की कम्पनी की प्रतिबद्धता है। लाभ कमाने वाली कम्पनियों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे जिसमें कार्य करते है उसी से सामाज को देने के लिए अपने लाभों का एक भाग समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर अधिदेश में शामिल कर विकास के लाभों को समान रूप से देना और देश के विकास एजेंडों से निगमित विश्व को जोडना सरकार के प्रयत्नों को पूर्ण करने के प्रयास है।

चार्ट 4.1 निगमित सामाजिक दायित्व

अगस्त 2013 में भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया। धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान वाले कम्पनी अधिनियम, (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अधिनियमन के साथ सीएसआर हेतु अधिदेश देश में निगमित अभिशासन का एक भाग बन गया है।

नये कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ पांच सौ करोड़ या अधिक की निवल संपत्ति अथवा ₹ एक हजार करोड़ या अधिक के टर्नओवर अथवा ₹ पांच करोड़ या अधिक का लाभ अर्जित करने वाली प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मण्डल को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट करती है कि कम्पनी तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो *प्रतिशत* अपने निगमित सामाजिक दायित्व के उद्देश्य हेतु खर्च करती है।

कम्पनी अधिनिमय 2013 की अनुसूची VII में सीएसआर के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य सूचीबद्ध हैं और स्वास्थय, शिक्षा और कौशल विकास, सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता, राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति, सशस्त्र बल, खेलकूद, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निधि, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, ग्रामीण विकास परियोजनाऐं, झुग्गी बस्ती का विकास, क्षमता वर्धन आदि शामिल हैं।

अधिनियम के अलावा, निगमित मामला मंत्रालय (एमसीए) ने कम्पनी (निगम सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 जारी की तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पारदर्शिता के अवलोकन तथा चयन में सावधानी और सीपीएसई द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर दिनांक 1/8/2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कम्पनी (निगम सामाजिक दायित्व) नियमावली 2014 तथा डीपीई के दिनांक 1/8/2016 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के प्रतिपादन तथा अनुपालन, निष्पादन के योजना स्तरों से संबंधित प्रावधानों, का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट कार्यों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या सीपीएसई द्वारा किये जाने वाले सीएसआर परियोजनाए अथवा कार्यक्रम, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र को संस्थागतकरण करने के लिए संबंधित प्रावधान है;
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

- मार्च 2017 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 636 सीपीएसईज थे। इसमें 438 सरकारी कम्पनियां, 192 सरकारी नियंत्रण की अन्य कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे।
- वर्तमान समीक्षा में, 79 सीपीएसईज कवर किये गये थे। दो सीपीएसई[27] के संबंध में डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। समीक्षा में 24 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 77 सीपीएसईज (7 महारत्न[28], 17 नवरत्न[29] और 50 मिनीरत्न[30] श्रेणी-I, 3 मिनीरत्न श्रेणी-II[31]) कवर किये गये थे **(परिशिष्ट-VIII)**। मार्च 2017 को समाप्त एक वर्ष की अवधि समीक्षा में कवर की गई थी।

4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के प्रति किया गया था:

i. कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों

ii. कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधानों तथा

iii. डीपीई दिशानिर्देश का दिनांक 1/8/2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन ।

---

[27] *एफसीआई अरावली जिप्सम और मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल)*

[28] *₹ 5000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक लाभ था ₹1000 करोड़ या अधिक के औसत वार्षिक निवल मूल्य या पिछले तीन वर्षों के लिय ₹2000 करोड़ या अधिक के कारोबार वाले सीपीएसई*

[29] *सीपीएसई जिन्हें पिछले पाचं वर्षों में से तीन मे समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त हुई हो और छह पैरामीटरों के आधार पर 60 (100 में से) का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ हो जिसमें निवल लाभ, निवल सम्पत्ति, कुल श्रमबल लागत, उत्पादन की कुल लागत, सेवा की लागत, पीबीडीआईटी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ), पूंजीगत लागत आदि शामिल हों और कंपनी को पहले मिनीरत्न होना चाहिये और उसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उसके बाद ही उसे नवरत्न बनाया जा सकता है।*

[30] *सीपीएसई जिसने पिछल तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो और तीन वर्षों से एक में ₹30 करोड़ या अधिक का कुल लाभ अर्जित किया हो।*

[31] *सीपीएसई जिसनें पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो और सकारात्मक निवल सम्पत्ति हो।*

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

समीक्षा के निष्कर्ष आगामी पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए है।

4.5.1 योजना

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए सभी 77 सीपीएसईज ने सीएसआर समिति गठित की थी। 15 सीपीएसई ने वर्ष 2016-17 के दौरान 25 से 39 महीनों की देरी से सीएसआर समिति का गठन किया **(परिशिष्ट-IX)**।

4.5.1.2 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) वर्णित करती है कि अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। यह पाया गया कि दो पात्र सीपीएसईज[32] के पास 2016-17 के दौरान समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

4.5.1.3 सीएसआर तथा धारणीयता नीति बनाना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनानी चाहिये। समीक्षाधीन 77 सीपीएसईज के मामले में सीएसआर तथा धारणीयता नीति बनाई गई थी और सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत की गई थी तथा इसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

4.5.1.4 सीएसआर नीति में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्यकलाप

यह पाया गया कि 77 सीपीएसईज में से पांच सीपीएसईज अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसीएल), इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीएएल), राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसीएल)

[32] *एमएसटीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)*

की सीएसआर नीति ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट 11 कार्यकलापों में से किए जाने वाले कार्यकलापों को नहीं दर्शाया था।

4.5.2 सीएसआर पर व्यय की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में वर्णित है कि प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर नीति के अनुसरण में पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कम्पनी के औसत निवल लाभों का कम से कम दो *प्रतिशत* खर्च करें, बशर्ते कि धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत यदि कम्पनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट कार्यों हेतु आंवटित राशि को व्यय न करने के कारणों को उल्लिखित करेगा। वर्ष 2016-17 के दौरान, 77 सीपीएसईज ने 8840[33] परियोजनाऐं आरम्भ की और उन पर सीएसआर व्यय (पूर्व वर्ष की अग्रेनीत राशि से व्यय की गई राशि सहित) ₹ 3150.37 करोड़ था। 77 सीपीएसईज की समीक्षा से पता चला कि 66[34] लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसई में से 49 ने पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए कम्पनी के औसत निवल लाभों का कम से कम दो *प्रतिशत* आबंटित किया था। 13 लाभ अर्जक सीपीएसईज **(परिशिष्ट-X)** ने सीएसआर व्यय के लिए निर्धारित राशि आवंटित नहीं की थी। यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) घाटे में जा रही सीपीएसईज के लिये, सीएसआर पर व्यय के आवंटन की आवश्यकता उल्लिखित नहीं करती परन्तु यह देखा गया कि घाटे में जा रहे 11 सीपीएसईज में से पांच सीपीएसईज[35] ने भी सीएसआर के लिये ₹18.30 करोड़ की राशि आवंटित की थी जिसमें से वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटित राशि में से ₹14.66 करोड़ का व्यय किया गया था। शेष 6 घाटे में जा रहे सीपीएसईज ने पूर्व वर्ष की अग्रेनीत राशि से ₹1.97 करोड़ का व्यय किया था।

---

[33] ***एनएससीएल के संबंध में परियोजना की संख्या उपलब्ध नहीं है।***

[34] ***रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया टूरिजम डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है।***

[35] ***स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), मैंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल), टेलीकम्यूनिकेशन्स कंस्लटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और चेन्नई पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)।***

4.5.2.1 निधियों का उपयोग

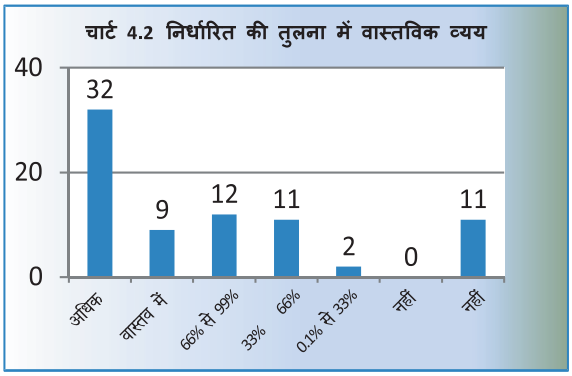

77 सीपीएसईज में से, वर्ष 2016-17 के लिये सीएसआर कार्यकलापों पर 66 लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज द्वारा व्यय की गई राशि ₹ 2761.50 करोड़ की अपेक्षित राशि के प्रति ₹ 2789.78 करोड़ थी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष (वि.व) 2016-17 के दौरान अपेक्षित राशि का 98-97 *प्रतिशत* उपयोग किया गया था। 41 सीपीएसईज का सीएसआर पर व्यय औसत वार्षिक लाभ के दो *प्रतिशत* से अधिक था, जबकि, 25 सीपीएसईज का व्यय **(परिशिष्ट-XI)** निधियों के 2 *प्रतिशत* से कम था।

4.5.2.2 पूर्व वर्ष से अग्रेनीत अव्ययित राशि

- समीक्षा के अधीन 77 सीपीएसईज में से, 39 सीपीएसईज में पूर्व वर्ष से अग्रेनीत ₹ 2438.42 करोड़ की अव्ययित राशि थी। इन सीपीएसईज में से 35 में, वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिये ₹ 214.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया। चार सीपीएसईज अर्थात, इरेडा, ऑयल एंड नैचुरल गेस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आईटीपीओ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल) ने ₹ 1636.11 करोड़ की अग्रेनीत राशि का उपयोग नहीं किया जिसमें से केवल ओएनजीसी की अव्ययित राशि ₹ 1520.90 करोड़ थी।
- पूर्व वर्ष की अग्रेनीत अव्ययित शेष वाले 39 सीपीएसईज में से आठ[36] सीपीएसईज ने पूर्व वर्ष से अग्रेनीत अव्ययित राशि का पूर्ण उपयोग किया। छह[37] सीपीएसईज ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) में अलग से निर्दिष्ट अनुसार अग्रेनीत राशि से वास्तविक व्यय के संबंध में विवरण नहीं बनाया था।

---

[36] *पीडीआईएल, आरईआईएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), नूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), एसजेवीएन सेल, सीडब्ल्यूसी, भारतीय रेल खानपान और पर्यटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)*

[37] *भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), एनएमडीसी, एनएससीएल, भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड (बीसीसीएल), डब्ल्यूएपीसीओ, गेल*

4.5.2.3 राज्य-वार सीएसआर व्यय

77 सीपीएसईज के सीएसआर पर राज्य-वार व्यय चित्र में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि सीपीएसईज ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में ज्यादा व्यय किया, जबकि, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में कम व्यय किया। विस्तृत सीएसआर व्यय, राज्य-वार **परिशिष्ट-XII** में दर्शाया गया है।

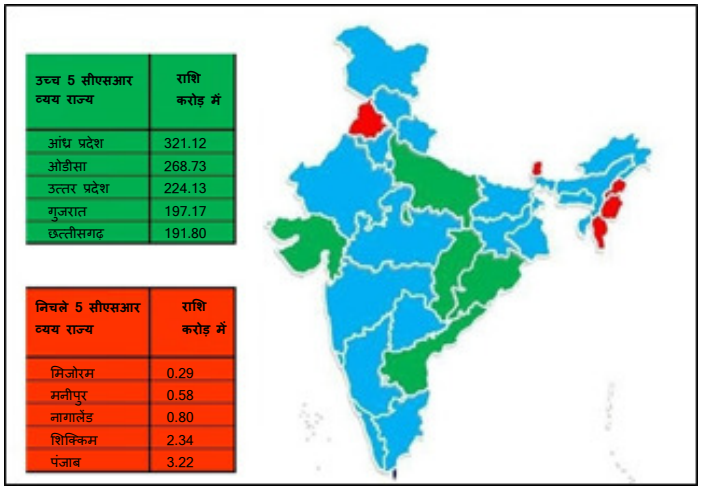

उच्च 5 सीएसआर व्यय राज्य	राशि करोड़ में
आंध्र प्रदेश	321.12
ओडीसा	268.73
उत्तर प्रदेश	224.13
गुजरात	197.17
छत्तीसगढ़	191.80

निचले 5 सीएसआर व्यय राज्य	राशि करोड़ में
मिज़ोरम	0.29
मनीपुर	0.58
नागालैंड	0.80
शिक्किम	2.34
पंजाब	3.22

4.5.3 सीएसआर कार्यकलापों का क्रियान्वयन

4.5.3.1 क्रियान्वयन योजना

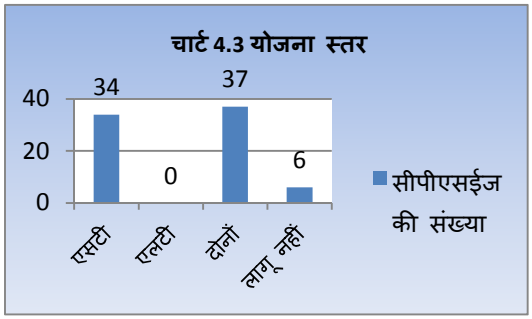

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के नियम 6(1) के अनुसार, सीपीएसईज की सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों को सूचिबद्ध करना चाहिए जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की अनूसूचियों के अनुपालन में कम्पनी की योजना जो कार्यक्रमों और कार्यान्वयन कार्यक्रमों के लिए परियोजनायों के निष्पादन की विधियों को वर्णित करती है। डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1/8/2016 के पैरा 2(IV) के अनुसार "सीएसआर को कार्यान्वित करने के लिए सीपीएसईज द्वारा निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए संस्थागतकरण तंत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह पाया गया था कि 77 सीपीएसईज में से 59 सीपीएस ने वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना का गठन कर लिया। 41 सीपीएसईज के मामले में, परियोजनाओं हेतु कार्यान्वयन कार्यक्रम सीएसआर नीति में उल्लिखित नहीं किया गया था। एनएसआईसीएल की सीएसआर योजना में सीएसआर के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यकलापों की सूची अनुमोदित नहीं थी। 16 सीपीएसईज ने वर्ष 2016-17 के लिये कोई भी वार्षिक सीएसआर योजना तैयार नहीं की थी।

4.5.3.2 सीएसआर कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा

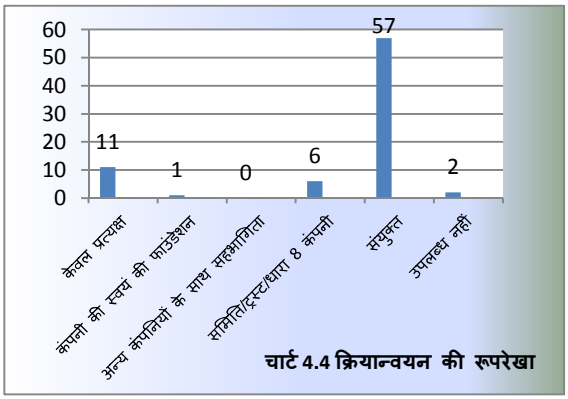

चार्ट 4.4 क्रियान्वयन की रूपरेखा

सीएसआर नियमावली के नियम 4(2) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मण्डल सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलापों के शुरू करने का निर्णय ले सकता है,

(क) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कोई स्थापित कम्पनी अथवा कोई पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, किसी कम्पनी द्वारा स्थापित, या तो एकल रूप से अथवा किसी अन्य कम्पनी के सहयोग से अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत स्थापित कम्पनी अथवा कोई पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सतत्व द्वारा स्थापित किसी संसदीय अधिनियम अथवा राज्य विधान सभा के अन्तर्गत स्थापित:

सीपीएसईज द्वारा नियोजित कार्यान्वयन संगठन के प्रकार हेतु अलग-अलग रूपरेखा चार्ट संख्या 4.4 में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 57 सीपीएसई ने अपने क्रियान्वयन हेतु एकमात्र प्रत्यक्ष, स्वयं के फाउंडेशन, अन्य कम्पनियों/समिति/ट्रस्ट/धारा 8 कम्पनी के संयोजन से कार्यान्वयन के माध्यम को वरीयता दी, जबकि 11 सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यकलाप करने के लिये कार्यान्वयन के एकमात्र प्रत्यक्ष माध्यम को वरीयता दी।

39 सीपीएसईज की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 2016-17 के दौरान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित कुल 1986 परियोजनाओं में से, 833 (41.94 *प्रतिशत*) परियोजनाऐं निविदा के आधार पर आवंटित की गई थीं, 727 (36.61 *प्रतिशत*) नामांकन आधार पर दी गई थीं और 426 परियोजनाऐं (21.45 *प्रतिशत*) अन्य माध्यमों से क्रियान्वित की गई थीं अर्थात सरकारी मशीनरी या समुदाय आधारित संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय निगमित सामाजिक दायित्व (एनसीएसआर) हब, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ

सोशल सर्विस, मुबई (टीआईएसएस) आदि के माध्यम से परियोजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ओएनजीसी ने, कम्पनी के सीएसआर कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु नवंबर 2014 में ओएनजीसी फाउंडेशन नाम की ट्रस्ट बनाई और पंजीकृत की। यह देखा गया कि यद्यपि ओएनजीसी फाउंडेशन सीएसआर कार्यकलाप करने और सीएसआर परिसंपत्तियां तैयार करने के प्रबंधन हेतु बनाई गई थी, परन्तु ट्रस्ट गठित होने के 33 महीने समाप्त होने के बाद भी पूर्ण से सक्रिय नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की दो परिसंपत्तियां अर्थात लखीमपुर-खीरी जिला (उ.प्र) में ओएनजीसी कम्यूनिटी हॉस्पिटल और सिबसागर हॉस्पिटल जिसकी कीमत क्रमश: ₹ 4.89 करोड़ और ₹ 3.75 करोड़ थी, को ओएनजीसी फाउंडेशन की पहली बैठक (दिसंबर 2014) और बोर्ड बैठक (नवंबर 2016) में लिये गये निर्णय के बावजूद ओएनजीसी फाउंडेशन के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया गया था (अगस्त 2017 तक)। कम्यूनिटी हॉस्पिटल के संबंध में ₹ 4.89 करोड़ का व्यय 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि परिसंपत्ति को ओएनजीसी कम्यूनिटी हॉस्पिटल से ओएनजीसी फाउंडेशन में ट्रासंफर करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

4.5.3.3 बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण

डीपीई दिशानिर्देशों के दिनांक 1/8/2016 के का.ज्ञा. के पैरा 2 (ii) में अपेक्षित है कि सीपीएसईज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देने और सीएसआर गतिविधियों के अन्तर्गत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के चयन के लिए हितधारकों के साथ चयन और जुडाव के मापदंड स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, आवश्यकताओं के अनुपालन की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क) 77 सीपीएसईज में से 19 सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यकलापों के चयन से पूर्व कोई भी बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया।

ख) समीक्षा किये गये 77 सीपीएसईज में से 50 ने 2016-17 में सीएसआर योजना के अंतर्गत 3441 नई परियोजनाऐं आरम्भ की थी। इसमें से, 2804 परियोजनाओं

के लिये बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण किया गया था और आरम्भ की गई कुल नई परियोजनाओं में से 637 (18.5 *प्रतिशत*) के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

ग) ईआईएल के संबंध में, एजेंसी जिसने सीएसआर के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु कम्पनी से संपर्क द्वारा किये गये आवश्यकता निर्धारण के आधार पर किसी भी सीएसआर कार्य और सीएसआर व्यय के चयन से पूर्व कोई भी बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया गया था। प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2017) में बताया कि बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण ईआईएल को सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सीएसआर प्रस्तावों का भाग बनाए गए हैं और उसके लिए मार्गनिर्देशों में कोई सुनिश्चित आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह शेष रहता है कि सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं कम्पनी को बेसलाइन/निर्धारण सर्वेक्षण करने हैं।

घ) वर्ष 2016-17 के दौरान, एनबीसीसी का कुल सीएसआर व्यय ₹ 7.74 करोड़ था। कम्पनी ने न तो बेसलाइन सर्वेक्षण किया और न ही अपने सीएसआर कार्यकलापों के लिये आवश्यकता निर्धारण किया। कम्पनी ने बताया कि बेसलाइन सर्वेक्षण/आवश्यकता निर्धारण में व्यय होता है और इस अध्ययन के बाद भी, जिला प्रशासन/सरकारी निकाय/किसी अन्य सरकारी एजेंसी से निर्धारित फार्मेट में घोषणा पत्र/मांग पत्र लेना अपेक्षित था। कम्पनी ने यह भी बताया कि सर्वेक्षण/निर्धारण से भूमि, संसाधन की उपलब्धता और अन्य प्रभार/रखरखाव मुद्दों के बारे में स्पष्ट नहीं होगा।

4.5.3.4 परिचालन क्षेत्र हेतु वरीयता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी, प्रत्येक वित वर्ष में, अपने निगमित सार्वजनिक दायित्व नीति के अनुपालन में तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित वर्षों के दौरान कम्पनी को हुए औसत निवल लाभ में से कम से कम दो प्रतिशत खर्च करें।

जो प्रावधान करता है कि कम्पनी को निगमित सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के लिए निर्धारित राशि को व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और परिचालन क्षेत्र के समीप ही वरीयता देगी।

यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से 49 ने, परिचालन के स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया। 24 सीपीएसईज ने अपने परिचालन का स्थानीय क्षेत्र परिभाषित नहीं किया। 77 सीपीएसईज मे से 62 ने सीएसआर निधि के व्यय हेतु अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी। दस[38] सीपीएसईज ने परिचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी। चार सीपीएसईज[39] ने बताया कि उनके पास कोई भी विशेष भौगोलिक स्थान नहीं है और इसलिये सीएसआर कार्यकलाप अखिल भारतीय आधार पर आरम्भ किया। भारत डायनामिक लिमिटेड (बीडीएल) के मामले में डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.3.5 सीपीएसईज द्वारा किये गये सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 4(1) और पैरा 6(1) के प्रावधान के अनुसार, कम्पनी को अपनी सीएसआर नीति में उल्लिखित अनुसार सीएसआर कार्यकलाप करने चाहिये अर्थात कम्पनी अधिनिमय 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंदर आने वाली परियोजनाऐं तथा कार्यक्रम।

77 सीपीएसईज में विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों/क्षेत्रों पर व्यय के केन्द्र चार्ट 4.5 में दर्शाये गये हैं।

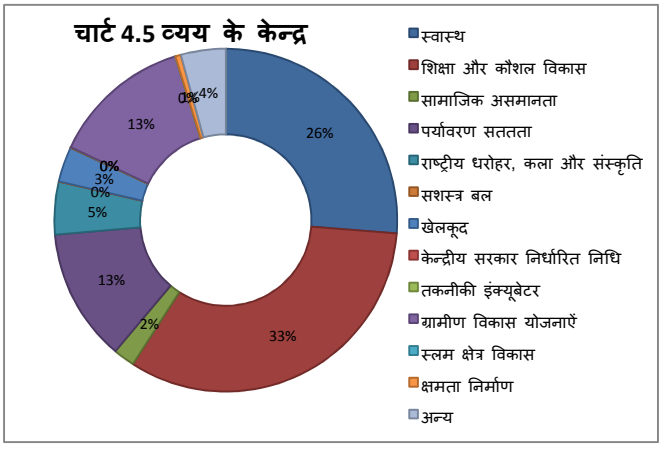

वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की संख्या 8840[40] थी और उन पर सीएसआर व्यय (पिछले वर्ष की अग्रेनीत राशि से व्यय राशि सहित) ₹ 3150.37 करोड़ था। जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है,

---

[38] *गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), आईटीपीओ, सीडब्ल्यूसी, आईआरईडीएएल, डब्ल्यूएपीसीओ, टीसीआईएल, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, राइट्स, पीडीआईएल*

[39] *हुडको, आरईसी, पीएफसी और पीईसी*

[40] *एनएससीएल से संबंधित परियोजनाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।*

शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सततता पर कुल व्यय क्रमश: ₹ 1036 करोड़, ₹ 826 करोड़, ₹ 417 करोड़ और ₹ 394 करोड़ था, जो सीएसआर का मुख्य क्षेत्र था। प्रौद्योगिकी उद्भवन, सशस्त्र बलों, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निधियों और स्लम एरिया डेवलपमेंट जैसे कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में दिए गए अन्य क्षेत्रों पर केन्द्र सीमित था।

4.5.3.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(6) के अनुसार, कम्पनियां अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों का कम से कम तीन वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकार्ड वाले संस्थानों के माध्यम से सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कर सकेंगी लेकिन प्रशासनिक उपरिव्यय[41] सहित ऐसे व्यय एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के 5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xvii) में उल्लेख है कि बेसलाइन सर्वेक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर होने वाला व्यय सीएसआर व्यय के प्रशासनिक उपरिव्यय के 5 *प्रतिशत* के अंदर होना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज में से 55 सीपीएसईज द्वारा सीएसआर के लिए सूचित कुल व्यय कुल सीएसआर व्यय[42] का 2.52 *प्रतिशत* था। यह देखा गया कि इन 55 सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज अर्थात एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल लाइफकेयर), राइट्स लिमिटेड (राइट्स) और बीईएल का वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के 5 *प्रतिशत* से अधिक था।

एमसीए ने अपने स्पष्टीकरण (सितम्बर 2014) में कुल सीएसआर व्यय की सीमा से कम्पनी के वालिंटियरों के साथ-साथ नियमित सीएसआर स्टॉफ को कम्पनियों द्वारा दिए गए वेतन पर व्यय से छूट दी थी। तथापि 55 में से 26 सीपीएसईज **(परिशिष्ट-XIII)** ने सीएसआर स्टॉफ और वालिंटियरों के वेतन पर खर्चे कुल ₹ 66.60 करोड़ को प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में शामिल किया था। इन 26 सीपीएसईज द्वारा सीएसआर

---

[41] निगम मामले मंत्रालय की दि. 12.09.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधन

[42] ₹ 75.61 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय (55 सीपीएसई के लिए) के प्रति ₹ 2996.42 करोड़

गतिविधियों पर कुल ₹ 75.61 करोड़ व्यय में सीएसआर कर्मचारियों के वेतन के प्रति व्यय किया गया था जो अस्वीकार्य था।

4.5.3.7 सीएसआर परियोजनाओं से होने वाला अधिशेष

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के नियम 6(2) के अनुसार "कम्पनी की सीएसआर नीति में यह विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से होने वाला अधिशेष कम्पनी के कारोबारी लाभ का भाग नहीं बनना चाहिए"।

यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से 19 की सीएसआर नीति में उपरोक्त सूचना विनिर्दिष्ट नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान 77 सीपीएसईज में से छः[43] सीपीएसईज ने सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष की सूचना दी। छः सीपीएसईज में से दो सीपीएसईज (एनएलसीएल तथा बीडीएल) के अधिशेष जैसे कम्पनी बस सेवाओं से टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व और सीएसआर गतिविधियों के लिए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज का पुनर्निवेश नहीं किया है। चार सीपीएसईज ने सीएसआर के लिए अनिवार्य 2 *प्रतिशत* आवंटन के अतिरिक्त ऐसा पुनर्निवेश किया।

एनबीसीसी के मामले में, यह देखा गया कि गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में तीन सार्वजनिक शौंचालयों का निर्माण कार्य ₹ 0.59 करोड़ की राशि में एलएसएल सर्विसेज लिमिटेड (एनबीसीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) को दिया गया था। वर्ष 2016-17 के लिये सीएसआर व्यय के विवरण से पता चला कि उपरोक्त कार्य के लिये पहले और अंतिम बिल के प्रति एनएसएल को ₹ 0.65 करोड़ दिये गये थे। तथापि, उसी कार्य के लिये ₹ 0.08 करोड़ की राशि देयता के रूप में भी दिखाई गई थी (जनवरी 2017) तथा उसे 31.03.2017 को एनएसएल को दे दिया गया था। यह देखा गया कि सीएसआर विभाग ने कम्पनी के वित्तीय विभाग को इस विसंगति के बारे में यह कहते हुये सूचित किया कि सीएसआर विभाग में ₹ 0.09 करोड़ की राशि वाला कार्य करने हेतु ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया था (जनवरी 2017)। सीएसआर के खण्ड 2.7 और एनबीसीसी की एसडी नीति के अनुसार, बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को सीएसआर

---

[43] ***एनएलसीएल, एचएएल, बीडीएल, आरआईएनएल, एनआरएल, एनएससीएल***

कार्यकलाप और सीएसआर कार्यकलाप पर हुये व्यय को स्वीकृत/अनुमोदित करना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के अनुमोदन या सीएसआर विभाग से अनुरोध के बिना एनएसएल को ₹ 0.09 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने टाउनशिप से परिधीय गांवों को बस से जोड कर सस्ती पहुंच उपलब्ध कराई। उस पर ₹ 1.44 करोड़ का व्यय सीएसआर व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था। तथापि, टिकट की बिक्री से अर्जित ₹ 1.83 करोड़ के राजस्व को कम्पनी की अन्य आय के रूप में माना गया था। प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि 2016-17 के लिये निवल व्यय (आय और कर्मचारी लागत संमजित करने के बाद) ₹3 करोड़ था। इसमें से, जन-प्रवेश, जो नेवेली टाउनशिप की सामाजिक सुविधाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करने हेतु योजना है, के अंतर्गत सीएसआर के प्रति एक भाग का अंतरण किया गया है। इसके अलावा, सीएसआर कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध ऑटो यार्ड के व्यय, को भी सीएसआर व्यय को प्रभारित किया गया है। तथापि, तथ्य यह शेष है कि ₹ 1.83 करोड़ के राजस्व को सीएसआर आय के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

बीडीएल के मामले में, कम्पनी ने अव्ययित राशि में से सावधि जमा में ₹ 12.04 करोड़ की राशि का निवेश किया था और उस पर ₹ 0.96 करोड़ (@8 *प्रतिशत* की दर) की राशि के अर्जित ब्याज का सीएसआर कार्यों हेतु पुनर्निवेश नहीं किया गया था।

4.5.4 सीएसआर गतिविधियों की निगरानी

4.5.4.1 सीएसआर नीति की निगरानी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3-सी) प्रावधान करती है कि सीएसआर समिति को समय-समय पर कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करनी चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया था कि 76[44] में से चार सीपीएसईज अर्थात् कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल), एनएलसीएल, एसटीसीआईएल, और आरसीआईएल की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की आवधिक रूप से निगरानी नहीं की थी।

---

[44] एक सीपीएसई आईटीडीसी का डाटा उपलब्ध नहीं था।

77 सीपीएसईज में से, नौ[45] सीपीएसईज के मामले में, वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर नीति में परिवर्तन अनुमोदित किये गये थे ताकि उसे कारोबार नीति और रणनीति के साथ मिलाया जा सके।

4.5.4.2 निगरानी तंत्र का गठन

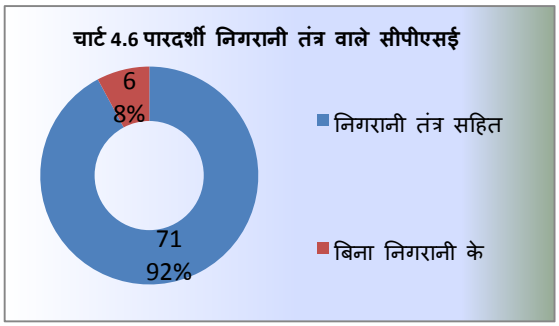

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 5(2) में बताया गया कि सीएसआर समिति को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, डीपीईओएम दिनांक 01.08.2016 में सीपीएसईज के कार्यान्वयन द्वारा सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन हेतु संस्थागत ढांचे होने के निर्देश दिये। यह देखा गया कि 77 सीपीएसईज में से छह[46] सीपीएसईज में कोई निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था।

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 6(1) में बताया गया है कि कम्पनी की सीएसआर नीति में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली वो परियोजनाऐं और कार्यक्रम जो कम्पनी ने आरंभ करने की योजना बनाई है, को निगरानी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिये। तथापि, 77 सीपीएसईज में से, चार[47] सीपीएसईज की सीएसआर नीति में यह जानकारी शामिल नहीं थी।

गेल ने, वर्ष 2013-14 के लिये ₹ 3.13 करोड़ के अंशदान के माध्यम से झाबुआ, मध्य प्रदेश में गांवों में जलधर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डिवेलपमेंट और मैनेजमेंट कार्यक्रम नामक सीएसआर परियोजना का वित्तपोषण करने के लिये कम्यूनीटी फ्रेंडली मूवमेंट (सीएफएम) के साथ जुलाई 2013 में दो करार किये। इसके बाद, अप्रैल 2014 में, परियोजना को 2014 से 2018 तक जारी रखने के लिये सीएफएम के साथ एक और करार हस्ताक्षरित

---

[45] *बीईएल, बीडीएल, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), एनबीसीसीएल, आईटीडीसी, ओआईएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), बीपीसीएल, पीडीआईएल*

[46] *एमआरपीएल, एनएलसीएल, आईटीडीसी, एसीएल, एनएससीएल, आरवीएनएल*

[47] *एमएसटीसीएल, आईटीडीसी, आईओसीएल, एसीएल*

किया गया था, जिसमें ₹ 12.50 करोड़ का कुल अंशदान था। करार की शर्तों के अनुसार, 6 वाटरशेड, फ्लुराइड मिटिगेशन यूनिट और 100 शौचालय मार्च 2017 तक पूर्ण रूप से तैयार किये जाने थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 40 वाटरशेड्स और 4 फ्लोराइड मिटिगेशन इकाइयों से संबंधित कार्य पूरे हो गये थे लेकिन मार्च 2017 तक कोई भी शौचालय नहीं बनाए गए थे। जबकि सीएफएम ने ठोस परिसंपत्तियों के सृजन के प्रति कुल लागत का 62.4 *प्रतिशत* बजट प्रदान किया था, फिर भी इसने केवल 30 *प्रतिशत* परिसंपत्तियों के सृजन पर और बाकी 70 *प्रतिशत* अन्य गतिविधियों पर खर्च किया था। व्यय के पृथक्करण के अभाव में गेल विभिन्न परिदेयों के लिए खर्च की गई लागत की व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं कर सका। आपत्ति पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।

4.5.4.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र

डीपीई ओएम दिनांक 01.08.2016 के अनुसार वर्ष हेतु आबंटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग हेतु सीपीएसईज द्वारा सभी प्रयास किये गये।

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 77 सीपीएसईज में से 9[48] सीपीएसईज के मामले में, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति को मॉनीटर नहीं किया जा रहा था। 10[49] सीपीएसईज के मामले में, पूर्व आबंटन के उपयोग का सत्यापन किए बिना निधियों को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सदस्य सगठंनो के रूप में अन्य सीपीएसईज अर्थात गेल, आईओसीएल, ओआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ईआईएल, सीपीसीएल तथा एमआरपीएल के साथ ओएनजीसी ने भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास के प्रमुख उद्देश्य से एक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) की स्थापना के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 4.34 करोड़ की कुल राशि का योगदान दिया (31.07.2017 तक)। ऑयल पीएसई द्वारा विकसित किए जा रहे छः कौशल विकास संस्थानों को राष्ट्रीय कौशल

---

[48] *सीपीसीएल, एनएलसीएल, एमईसीओएन, एससीआईएल, आरसीएफएल, एनबीसीसी, एसटीसीआईएल, एनएससीएल, आरसीआईएल*

[49] *केपीएल, एनएलसीएल, आरईआईएल, बीईएमएल, एमडीएनएल, एमईसीओएन, एमएसटीसी, एससीआईएल, एनबीसीसी, एनएससीएल*

विकास परिषद (एनएसडीसी) से पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र के लिए एचएसएससी के साथ संबद्ध होना अपेक्षित है। यह पाया गया कि एचएसएससी तथा एनएसडीसी के बीच करार को अभी हस्ताक्षरित किया जाना था (सितम्बर 2017)। इसके अलावा, एचएसएससी ने अभी तक (सितम्बर 2017) केवल ₹ 0.09 करोड़ का उपयोग किया है। तथापि, ₹ 4.25 करोड़ की अव्ययित राशि को उक्त सीपीएसईज द्वारा सीएसआर व्यय के रूप में सूचित भी किया गया। ओएनजीसी के प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि परियोजना तथा व्यय की स्थिति की चर्चा करने के लिए नियमित अन्तराल पर शासन परिषद की बैठके आयोजित की गई थी।

4.5.4.4 अपात्र सीएसआर गतिविधियां

कम्पनी निगम सामाजिक दायित्व नियमावली 2014 के नियम 4(4) के प्रावधानों के अनुसार, भारत में आरम्भ की गई सीएसआर परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा गतिविधियां केवल सीएसआर व्यय करती है। नियम 4(5) बताता है कि सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां जो केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए लाभदायक है, पर सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सीएसआर नियमावली का नियम 4(7) बताता है कि किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के योगदान पर सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 77 सीपीएसईज द्वारा की गई गतिविधियों की योग्यता की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- एनएलसीएल के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक पुस्तक मेला कार्यक्रम पर ₹ 0.45 करोड़ की राशि व्यय की गई है जो दिनांक 18.06.2014 तथा 12.01.2016 के एमसीए के उस परिपत्र के अनुसार नहीं थी जो यह बताता है कि एक ऑफ इवेंट को सीएसआर व्यय के भाग के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं होगी। प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि पिछले 19 वर्षों से निरन्तर पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा था तथा राज्य में द्वितीय सबसे बड़े पुस्तक मेले में आसपास के गांवों के विद्यालयों से रोज लगभग 1000 से 1500 विद्यार्थी आते थे। तथापि पुस्तक मेला एमसीए के प्रावधानों के अनुसार नहीं था तथा इसीलिए व्यय सीएसआर व्यय के रूप में पात्रता नहीं रखता है।

- सेल ने वो गतिविधियां आरम्भ की थी जो केवल कम्पनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए लाभदायक थी। सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(5) के तहत ये गतिविधियां सीएसआर गतिविधियों के प्रति संगणित होने के योग्य नहीं थी। गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित था (i) 2016-17 के दौरान ₹ 0.13 करोड़ की लागत पर इस्पात टाउनशिप के अन्दर तथा उसके आसपास प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने का कार्य करना, (ii) 2016-17 के दौरान ₹ 0.90 लाख की लागत पर दुर्गापुर म्यूजियम का परिचालन एवं अनुरक्षण, तथा (iii) 2016-17 के दौरान ₹ 0.08 करोड़ की लागत पर बीएसएल स्कूल बिल्डिंग का अनुरक्षण। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2017) कि उक्त परियोजनाओं/गतिविधियों को वार्षिक सीएसआर बजट योजना 2016-17 के अनुसार सेल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया तथा यह कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों अर्थात् स्वच्छता, पर्यावरण, स्थायित्व, राष्ट्रीय परिसम्पत्ति, कला तथा संस्कृति की सुरक्षा, शिक्षा के सवंर्धन के व्याख्या में आते हैं। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन व्यय के अधिकतर लाभार्थी कर्मचारी तथा उनके परिवार थे, इसलिए परिवार गतिविधियों की देखभाल इस्पात संयंत्र द्वारा व्यवसाय की सामान्य उपक्रम में की जानी थी।

- गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की यादगार के लिए 'सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एसवीपीआरईटी)' नामक गुजरात संगठन के माध्यम से 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' नाम की परियोजना लागू की। अक्तूबर 2018 तक पूर्ण होने के लक्ष्य के साथ ₹ 2989 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर लार्सन एंड टूब्रो लि. को अक्तूबर 2014 में कार्य के लिए ठेका दिया गया था। विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार, परियोजना में निम्नलिखित का निर्माण सम्मिलित था (i) सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची कांस्य परत की प्रतिमा जोकि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, (ii) मेमोरियल तथा विजिटर केन्द्र, गार्डन तथा (iii) 'श्रेष्ठ भारत भवन' नाम का सम्मेलन केन्द्र। ट्रस्ट ने पांच सीपीएसईज अर्थात् ऑयल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड से परियोजना में भाग लेने तथा अधिक निधियों का योगदान करने के लिए सम्पर्क किया

क्योंकि वर्ष 2016-17 में निधियों में ₹ 780 करोड़ तक की कमी थी। इसके पश्चात, सभी पांच सीपीएसईज ने सीएसआर के तहत इस परियोजना के प्रति कुल ₹ 146.83 करोड़ (ओएनजीसी ₹ 50 करोड़, आईओसीएल ₹ 21.83 करोड़, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल प्रत्येक ₹ 25 करोड़) का योगदान दिया। इस गतिविधि को अनुसूची VII की मद (V) अर्थात राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिसम्पतियों, कला तथा संस्कृति का सरंक्षण के अन्तर्गत दर्शाया गया। इस परियोजना के प्रति योगदान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधि के रूप में पात्रता नहीं रखता क्योंकि यह एक ऐतिहासिक परिसम्पत्ति नहीं थी।

ओएनजीसी के प्रबंधंन ने बताया है कि परियोजना में शिक्षा संवर्धन, भरूच तक नर्मदा नदी के किनारों का विकास आदि जैसी गतिविधियां सम्मिलित थी। व्यय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल एवं आईओसीएल के प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि एमसीए द्वारा जारी परिपत्र सं. 21/2014 के अनुसार उन्होंने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित विषयों के सार लेने के लिए गतिविधि का प्राथमिकता से वर्णन किया।

यह पाया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (एसवीपीआरईटी) को ट्रस्ट के कोष के प्रति योगदान के रूप में ₹ 50 करोड़ की सम्पूर्ण राशि दी गई है। व्यय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। तथ्य यह है कि प्रतिमा के निर्माण के प्रति योगदान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधि के रूप में पात्र नहीं था।

- गेल ने आरयूएचएस में 'केथ लेब' की स्थापना के लिए ₹ 3 करोड़ के वित्तपोषण हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2012)। करार अवधि 1 जून 2013 से 30 जून 2014 तक थी। करार की शर्तो के अनुसार, मद की लागत के 50 *प्रतिशत* अथवा मदों हेतु भुगतान किए गए अग्रिम जो भी कम हो, की पहली किश्त को बुकिंग हेतु मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में मद के बीजक की प्रस्तुति पर रिलीज किया जाना चाहिए। गेल ने अपेक्षित दस्तावेजो की प्रस्तुति के बिना 15 फरवरी 2014 को ₹ 1.50 करोड़ की प्रथम किश्त

जारी की। अग्रिम की प्राप्ति के पश्चात भी, आरयूएचएस ने परियोजना पर कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की तथा गेल के पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीजक की प्रस्तुति के प्रति अग्रिम जारी करने के लिए करार की स्पष्ट शर्तों के बावजूद, कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना करार के प्रावधानों का उल्लंघन करके अग्रिम जारी किया। इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 1.50 करोड़ का अवरोधन हुआ जो भुगतान किए गए अग्रिम की उगाही तक जारी रहेगा। प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि प्रथम किश्त निधि मांग पत्र तथा प्रोफॉर्मा बीजक की प्राप्ति पर आरयूएचएस को जारी की गई। इसके अलावा, प्रतिदाय के मामले को राज्य सरकार के सभी उच्चतम स्तरों तक उठाया गया है, यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरयूएचएस को ई-टेंडरिंग के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ एक दृढ़ ठेके के प्रमाण के बिना ₹ 1.50 करोड़ जारी किए गए तथा अनुबंध के अनुसार बुकिंग अग्रिम/बीजक की प्राप्ति के परिणामस्वरूप सीएसआर परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के बिना तीन से अधिक वर्षों के लिए निधियों का अवरोधन हुआ।

4.5.5 सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्टिंग और स्थिरता

4.5.5.1 सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटीकरण

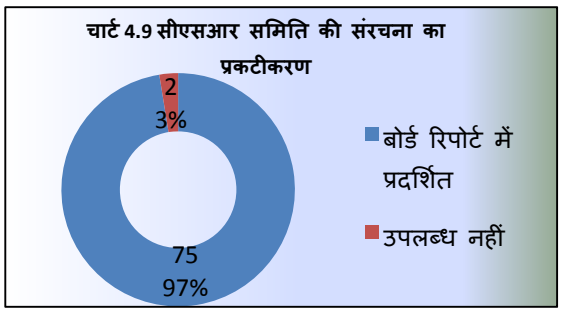

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसार, बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सभी 77 सीपीएसईज की अपेक्षित सूचना प्रकट की।

4.5.5.2 सीएसआर की विषयवस्तु प्रदर्शित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 9 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मण्डल को अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रस्तुत करनी चाहिये और उसे कम्पनी

की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये। 77 सीपीएसईज में से नौ[50] सीपीएसईज ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषय वस्तु प्रकट नहीं की। बीडीएल नाम के एक सीपीएसईज ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रदर्शित नहीं की है।

4.5.5.3 बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट का समावेशन

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 8(1) के अनुसार, कम्पनी की बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रोफॉर्मा में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित होनी चाहिए। यह देखा गया कि तीन सीपीएसईज जहां डाटा उपलब्ध नहीं था (केपीएल, एनएलसीएल तथा आईआरईडीएएल), को छोड़कर सभी सीपीएसईज में उनकी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित थी। एक सीपीएसईज (एसीएल) के मामले, में, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित एक वार्षिक रिपोर्ट सीएसआर नियमावली 2014 के तहत निर्धारित प्रारूप में नहीं थी।

सीएसआर नियमावली 2014 के अनुबंध में, यह अपेक्षित था कि बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का यह एक दायित्व व्याख्यान सम्मिलित होगा कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में था। यह पाया गया कि 4[51] सीपीएसईज की बोर्ड रिपोर्ट ने बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति के दायित्व विवरण को सम्मिलित नहीं किया।

4.5.5.4 अव्ययित राशि की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन लाभ कमाने वाले 63[52] सीपीएसईज में से, 41 सीपीएसईज ने वर्ष 2016-17 में सीएसआर की निर्धारित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया। शेष 22 सीपीएसईज में से 21 सीपीएसईज ने बोर्ड की रिपोर्ट में कारण [53] वर्णित किए। एक सीपीएसईज अर्थात ईआईएल ने वर्ष 2016-17 में निर्धारित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया। वर्ष

---

[50] *एनएमडीसी, आरआईएनएल, एमएसटीसीएल, एनएसआईसीएल, ओआईएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, आरईआईएल, एसीएल*

[51] *बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसीएल, आरआईटीईएस*

[52] *तीन सीपीएसई अर्थात् आईटीपीओ, सीडब्ल्यूसी तथा हुडको के मामलें में डाटा उपलब्ध नहीं है।*

[53] *बहुवर्षीय परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को बजट अग्रानीत किया गया परन्तु व्यय नहीं किया गया जो परियोजना प्रस्तावों आदि में नए क्षेत्रों तथा आगामी परिवर्तनों का अन्वेषण करता है*

2016-17 के लिए अव्ययित राशि ₹ 8.13 करोड़ थी। तथापि बोर्ड की रिपोर्ट में कम उपयोग के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

4.5.5.5 अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य करना

सीएसआर नियमावली 2014 का नियम 4(3) वर्णित करता है कि ''कम्पनी परियोजनाओं या काय्रक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अन्य कम्पनियों की इस प्रकार से सहायता कर सकती है कि सम्बंधित कम्पनियों की समितियां ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर पृथक रूप से रिपोर्ट देने की स्थिति में हो''।

यह पाया गया कि 77 सीपीएसईज में से 49 ने अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य किया था; यद्यपि 36 सीपीएसईज की सीएसआर समितियों ने ऐसी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों पर पृथक रूप से रिपोर्ट नहीं की।

4.5.5.6 कारोबार की सामान्य अवधि के अनुसरण में की गई सीएसआर गतिविधियां

सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 4(1) के अनुसार, ''सीएसआर गतिविधियां अपने सामान्य कारोबार के अनुसरण अंतर्गत गतिविधियों को छोड़कर बताई गई सीएसआर नीति, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों (या तो नई या चालू) के अनुसार कम्पनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों का पूरा किया जाएगा।'' लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सीएसआर प्रस्तावों के एक भाग के रूप में ओएनजीसी ने अपने हजीरा संयंत्र में मैनग्रोव प्रत्यावर्तन तथा सरंक्षण के लिए 2013-14 से 2016-17 तक की समयावधि के दौरान ₹ 0.38 करोड़ का व्यय किया था। उक्त परियोजना का प्रस्ताव वर्णित करता है कि ओएनजीसी का हजीरा संयंत्र सूरत के तटीय क्षेत्र में स्थित था। हजीरा कैम्पस के निकट की मिट्टी भारी मृदा क्षरण के अधीन थी जो हजीरा कैम्पस के लिए एक चेतावनी देती थी। अत: हजीरा संयंत्र में मैनग्रोव वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव दिया गया। तथापि कम्पनी ने सीएसआर की धारा 4(1) में निहित निर्देशों के उल्लंघन में समान्य उपक्रम व्यय के रूप में इसे दर्शाने की बजाय सीएसआर व्यय के रूप में उक्त व्यय की सूचना दी थी।

4.5.6 सीएसआर गतिविधियों का प्रभाव आकलन

डीपीई ओएम दिनांक 01.08.2016 के पैरा 2(v) के अनुसार "सीएसआर को कार्यान्वित कर सीपीएसईज द्वारा संस्थागत निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन हेतु संस्थागत तंत्र आरंभ किया जाना चाहिए।" 51 सीपीएसईज की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

क) सभी 51 सीपीएसईज ने एकसाथ कुल 454 परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन किया था। इनमें से, 259 (57.05 *प्रतिशत*) परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन इन हाउस किया गया तथा 195 (42.95 *प्रतिशत*) परियोजनाओं के लिए बाह्य एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया। तेरह सीपीएसईज ने प्रभाव आकलन पर ₹ 0.93 करोड़ का व्यय सूचित किया था। 77 सीपीएसईज में से 35[54] ने मध्य-अवधि सुधार पर विचार करने के लिए चालू सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन किया।

ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के मामले में, सीएसआर बोर्ड समिति ने अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ निष्पादन केन्द्र (सीआरआईएसपी) के माध्यम से ₹ 2.44 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीएसआर के तहत भोपाल तथा फरीदाबाद में 600 युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया (12 अगस्त 2014)। ईआईएल तथा सीआरआईएसपी के बीच जुलाई 2015 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट (04.06.2016) से पता चला कि 600 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से केवल 450 अभ्यर्थियों का पता लगाया जा सकता था तथा शेष 150 अभ्यर्थियों और उनकी रोजगार योग्यता की स्थिति का प्रशिक्षण की पूर्णता के माह के अन्दर भी पता नहीं लगाया जा सका जो अभ्यर्थियों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा ट्रैकिंग को दर्शाता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि 750 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण हेतु एमओयू जुलाई 2015 में हस्ताक्षरित किया गया तथा अभ्यर्थियों ने ₹ 7000 प्रति माह औसत वेतन प्राप्त किया। 150 अभ्यर्थियों के विवरण की अनुपलब्धता पर प्रबंधन का उत्तर

[54] *बीएलसीएल और एमडीएसएल के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है*

मौन है। प्रबंधन का ₹ 7000 वेतन के संबंध में उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित (₹ 8797 प्रति माह) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा (अक्तूबर/नवम्बर 2015) में (₹ 8810 प्रति माह) न्यूनतम मजदूरी का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।

क) हॉस्पिटैलिटी कौशन विकास विद्यालय (एसएसडीएच) ने बेरोजगार युवाओं को हॉस्पिटैलिटी में कौशल विकास परियोजना के लिए बेसलाइन रिपोर्ट के साथ सीएसआर के तहत निधियन तथा उनका रोजगार/स्व-रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गेल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च/अप्रैल 2015)। गेल ने ₹ 1.08 करोड़ की लागत पर एसएसडीएच के साथ एक करार किया (जून 2015)। कार्यक्रम की पूर्णता पर, ₹ 1.08 करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान जारी किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. एसएसडीएच द्वारा प्रस्तुत बेसलाइन रिपोर्ट ने होटल तथा रेस्टोरेंट के लिए 40-50 *प्रतिशत* और खाद्य सेवाओं के लिए 90-100 *प्रतिशत* तक अधिक आरोपण दर दर्शाई। इस अधिक आरोपण दर के बावजूद, गेल ने पूर्वोक्त परियोजना का वित्तपोषण किया।

ii. परियोजना के प्रभाव आकलन से यह पता चला कि दो माह के लिए प्रशिक्षित 500 युवाओं में से 125 प्रशिक्षार्थियों के नमूने में रोजगार दर बहुत कम थी क्योंकि वर्तमान में केवल 36 रोजगार में लगे हुए थे। अधिकतर प्रशिक्षार्थियों ने अपने रोजगार में तय भत्तो का केवल एक छोटा भाग प्राप्त किया तथा कुछ को भुगतान के बिना रखने के तीन माह पश्चात् नौकरी से निकाल दिया गया। छोटी दुकानों में भी प्लेसमेंट को सुरक्षित किया गया, उसके कारण प्रशिक्षण असंगत हुआ। इस प्रकार, अधिक अपघर्षण उद्यम के लिए वित्त को बढ़ाने के निर्णय के फलस्वरूप अपेक्षित प्रभाव की प्राप्ति नहीं हुई। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि उन्होंने कार्यक्रम में 99% उत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त की तथा 22 सगंठनो की एक सूची दी है जिसमें विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर दिए गए थे। प्रबंधन के उत्तर ने उद्यम की अधिक अपघर्षण दर तथा पश्च प्रशिक्षण प्लेसमेंट *प्रतिशत* की संतोषजनक प्राप्ति में विफलता के बावजूद परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में आपत्ति का समाधान नहीं किया है।

चयनित सीपीएसईज द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	किए गए महत्वपूर्ण कार्य
1.	ओएनजीसी	ओएनजीसी ने ऑरोविल्ले संस्थान को स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 5592 विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा। ट्रस्ट ने विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा उन समुदायों के बीच व्यवहारवादी परिवर्तन लाने तथा स्वास्थ्य स्वच्छता व्यवहार में लाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्य किया था जहां ओएनजीसी ने शौचालयों के निर्माण तथा/अथवा मरम्मत का निधियन किया है। इस हस्तक्षेप से विद्यालयों में सभी शौचालयों के अनुरक्षण की आदत डालकर यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रो को संस्थागत करना था कि वे एक स्थायी तरीके से स्वच्छ रहे।
2.	बीपीसीएल	मोखड़ा में वर्षा जल संग्रहण के एक भाग के रूप में, बीपीसीएल ने 'बूंद' परियोजना आरम्भ की थी। इस परियोजना का ध्यान 21 आदिवासी गांवों को जल की कमी वाले क्षेत्र से जल बहुलता वाले क्षेत्र में परिवर्तित करना है।
3.	ओआईएल	ओआईएल ने स्थाई आय सृजन के लिए आजीविका आधारित समूह के लिए इसके व्यवधान के रूप में अरूणाचल प्रदेश में 'ऑयल जीविका' परियोजना आरम्भ की थी। 2016-17 में आरम्भ की गई परियोजना का लक्ष्य कौशल विकास प्रदान करना तथा मधुमक्खी पालन एवं शहद संसाधन, सरसो, बक-व्हीट एवं स्थानीय दाल संसाधन पर 400 लक्षित परिवारों को उन्नत प्रशिक्षण के साथ-साथ आय के वैकल्पिक साधन के सृजन के लिए उनको हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना तथा आत्मनिर्भर रहने वाले आजीविका समूह की स्थापना करना था। ऑयल इंडिया ग्रामीण विकास सोसाइटी (ओआईआरडीएस) के तहत तिनसुकिया तथा डिब्रूगढ़ जिलो के ओआईएल के परिचालनात्मक क्षेत्रो से वि.व. 2016-17 में 12 नए गांवों को (2400 बीघा में सली फसल तथा 1105 बीघा में रबी फसल) लिया गया था।

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	किए गए महत्वपूर्ण कार्य
4.	एचपीसीएल	विशेष बच्चों के लिए उनकी सहायता के रूप में, एचपीसीएल ने महाराष्ट्र में परियोजना 'एडेप्ट' आरम्भ की है। इस परियोजना के तहत 315 विशेष बच्चों को शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ चिकित्सा संबंधी सहायता दी गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में आरम्भ की गई परियोजना नन्ही कली के तहत विशेषाधिकृत परिवारों की 12000 लड़कियों को अकादमिक, सामग्री तथा सामाजिक सहायता के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की गई।
5.	पीजीसीआईएल	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में किसान-केन्द्रित समेकित वाटर-शेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए उनके हस्तक्षेप के रूप में, कम्पनी ने 45000 क्यू.मी. वर्षा जल के सरंक्षण का 12000 क्यू.मी. संग्रहण क्षमता का विकास किया। इसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता में लगभग 10-22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
6.	सीआईएल	प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर सोसाइटी के साथ मिलकर, कम्पनी ने झारखण्ड तथा असम के नक्सली तथा विप्लव प्रभावित जिलो में अधिकारहीन बच्चो तथा युवाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रण के साथ समुदाय आधारित समेकित कार्यक्रम के लिए पहल आरम्भ की थी।

4.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए अधिकतर 77 सीपीएसईज ने सीएसआर समिति के निर्माण, समिति की सरंचना, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तथा सीएसआर नीति के निर्माण से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया।

लाभ कमाने वाले 66 सीपीएसईज (62 *प्रतिशत*) में से 41 सीपीएसईज के निदेशक मण्डल ने यह सुनिश्चित किया कि सीएसआर गतिविधियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों को पूर्ण रूप से व्यय किया गया था। तथापि, 25 लाभ कमाने वाले सीपीएसईज (38 *प्रतिशत*) के बोर्ड ने ऐसा सुनिश्चित नहीं किया। व्यय में कमी निर्धारित राशि के 0.61 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच थी। सोलह सीपीएसईज ने वार्षिक सीएसआर योजना नहीं बनाई थी। उन्नीस सीपीएसईज ने सीएसआर गतिविधियों के चयन से पूर्व कोई बेसलाइन/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया। दस सीपीएसईज ने स्थानीय क्षेत्रो को प्राथमिकता नहीं दी थी। अधिकतर सीपीएसईज ने अपने सीएसआर कार्य के रूप में शिक्षा तथा कौशल विकास, हैल्थकेयर, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित किया। यह पाया गया कि पांच सीपीएसईज ने सीएसआर कार्यो की मॉनीटरिंग के लिए बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी। यद्यपि एमसीए ने सीएसआर की परिधि में से वेतन घटक को अलग रखने का निर्देश दिया था। तथापि, 25 सीपीएसईज ने सीएसआर व्यय के रूप में सीएसआर कार्य में सम्मिलित कर्मचारियों के वेतन को सम्मिलित किया। सीपीएसईज में एमआईएस सिस्टम के कई मामलों में सुधार की आवश्यकता थी।

अध्याय में निगमित मामले और सार्वजनिक उद्यम विभाग मंत्रालय के उत्तर प्रासंगिक पैराग्राफ में जोड़े गये हैं।

अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईज़) प्रबंधन के बीच वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व लक्ष्य निर्धारण हेतु आपसी सहमति करार है और इसका आशय इन लक्ष्यों के प्रति सीपीएसईज़ के निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इसमें सीपीएसईज़ और सरकार की मंशा, उनके दायित्व और आपसी जिम्मेदारियाँ निहित होती हैं तथा नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं के द्वारा संचालन के बजाए परिणामों तथा लक्ष्यों द्वारा सीपीएसईज़ प्रबंधन के सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित है। सीपीएसईज़ की सहायक कम्पनियों को अपनी धारक कम्पनियों के साथ एमओयूज़ पर हस्ताक्षर करना होता है।

5.2. संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और सीपीएसईज़ प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन करने का एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वर्ष के अंत में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत व्यवस्थाएं एवं उनके अंतर्संबंध इस प्रकार हैं:

- **उच्चाधिकार प्राप्त समिति:** सर्वोच्च स्तर पर, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है जो कि यह स्पष्ट करता है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रतिबद्धताओं को कितना पूरा किया गया है।

- **अन्तर-मंत्रालय समिति:** अन्तर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) में अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीई, अन्य सदस्यों के रूप में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, सचिव, सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अथवा इनके प्रतिनिधि, अपर सचिव, नीति आयोग अथवा इनके प्रतिनिधि सम्मिलित है। सचिव, डीपीई किसी ऐसे अधिकारी का भी सहयोग ले सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो, यदि ऐसी आवश्यकता महसूस की जाए। आईएमसी की भूमिका वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व सीपीएसईज़ के एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण तथा उस वर्ष के समापन के पश्चात एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करने में एमओयू पर एचपीसी तथा डीपीई की सहायता करने की है।
- **डीपीई में एमओयू डिवीजन:** डीपीई में एमओयू डिवीज़न द्वारा एचपीसी एवं आईएमसी की सहायता की जाती है जो एचपीसी एवं आईएमसी के स्थायी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

5.3 निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य

2015-16 के एमओयू में दो भाग थे, वित्तीय लक्ष्य अथवा अचल मापदण्ड और गैर-वित्तीय अथवा परिवर्तनीय मापदण्ड, दोनों का अनुपात 50 *प्रतिशत* महत्व में है। वित्तीय मापदण्ड कारोबार, लाभप्रदता और विभिन्न वित्तीय अनुपातों से संबंधित है, जबकि गैर वित्तीय मापदण्ड में परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियायें, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन पहलों के साथ-साथ सेक्टर विशिष्ट मापदण्ड शामिल हैं। तथापि, एमओयू 2016-17 में ऐसा कोई पृथ्थकरण नहीं किया गया। सीपीएसईज़ एवं प्रशासनिक मंत्रालय के साथ विचा-विमर्श कर आईएमसी प्रत्येक मापदण्ड के लिए लक्ष्य एवं महत्व निर्धारित करता है।

'उत्कृष्ट' एवं 'घटिया' निष्पादन के बीच अंतर करने के नजरिए से, प्रत्येक मापदण्ड का पांच बिन्दु पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है अर्थात्, 'उत्कृष्ट' के लिए पांच फिर एक-एक घटाते हुए 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'ठीक' और 'घटिया'। सीपीएसईज़ का वास्तविक निष्पादन प्रत्येक मापदण्ड हेतु अस्थाई स्कोर से और अलग-अलग पैमानों के दिए गए स्कोर को मिलाकर समेकित स्कोर की गणना से परिलक्षित होता है।

5.4 एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

एमओयू लक्ष्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में निहित प्रक्रिया निम्नलिखित है:

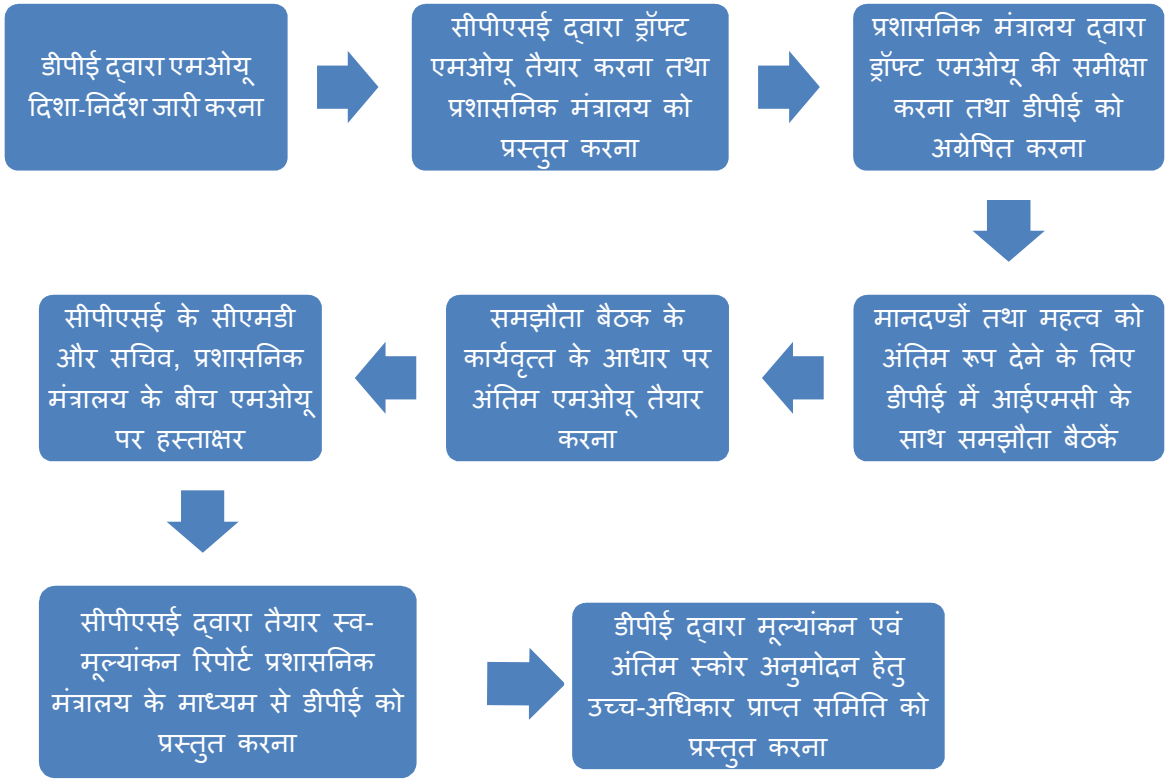

5.5 विश्लेषण का क्षेत्र

इस विश्लेषण में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ के एमओयू शामिल हैं। जबकि लेखापरीक्षा में वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, परन्तु वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू के मूल्यांकन की जांच नहीं की गई थी क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ था (सितम्बर 2017)। विश्लेषण हेतु चयनित 17 'नवरत्न' कम्पनियों का विवरण तथा वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए उनकी एमओयू रेटिंग **परिशिष्ट-XIV** में दी गई है:

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

(i) एमओयू, को डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दिया गया था और लक्ष्य व्यावहारिक एवं सीपीएसईज़ की वार्षिक योजना के अनुसार थे;

(ii) सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के सत्यापन हेतु डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) सीपीएसईज़ को सरकार से एमओयू में सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता/सहायता मिली;

(iv) सीपीएसईज़ द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को समय पर आवधिक विवरणियाँ/ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई; और

(v) उपलब्धियाँ एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ज़ द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू तथा वर्ष 2015-16 के लिए उनकी निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (पीईआर) की जांच की। सीपीएसईज़ के उत्तर, जहां प्राप्त हुए, को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.7.1 सुलभ एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण

एमओयू दिशा-निर्देश 2015-16 तथा 2016-17 में प्रावधान किया गया कि लक्ष्य यथार्थवादी फिर भी उन्नति उन्मुख तथा प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट, सीपीएसईज़ की कॉरपोरेट योजना तथा मंत्रालय/विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज के अनुरूप होने चाहिए। लक्ष्य दिए गए तथा प्रत्याशित परिस्थितियों के तहत अधिकतम प्राप्य होने चाहिए तथा संबंधित वित्तीय मानदण्ड के मूल लक्ष्य पिछले पांच वर्षों की वास्तविक प्राप्ति पर आधारित परिनियोजन के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में कवर किए गए 17 'नवरत्न' सीपीएसईज़ में से आठ में एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। देखी गई सीपीएसईज़-वार आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई है:

5.7.1.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफसी हेतु एमओयू लक्ष्यों[55] को नीचे वर्णित अनुसार कुछ मापदण्डों के संबंध में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्ति से कम पर निर्धारित किया गया:

मापदण्ड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	लक्ष्य	44000	44400	कोई मापदण्ड नहीं (एनएपी)
	वास्तविक	60276	63974	
इन्टेग्रेटिड पावर डेवलपमेंट सिस्टम को छोड़कर संस्वीकृतियां (₹ करोड़)	लक्ष्य	55000	55000	55000
	वास्तविक	60784	65042	प्रतीक्षित
परिचालन से राजस्व (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी	एनएपी	26000
	वास्तविक	24862	27474	26716
परिचालन लाभ (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी	एनएपी	8130
	वास्तविक	8333	8969	प्रतीक्षित
कर पश्चात लाभ (पीएटी/निवल सम्पत्ति/*प्रतिशतता*)	लक्ष्य	14.69	16.47	14.50
	वास्तविक	18.50	17.09	प्रतीक्षित
कर्मचारियों की संख्या/पीएटी (₹ करोड़)	लक्ष्य	8.47	11.32	एनएपी
	वास्तविक	13.36	13.59	

पीएफसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि मौजूदा विद्युत क्षेत्र परिदृश्य के आधार पर आईएमसी द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा निम्नतर लक्ष्यों के कारणों पर आईएमसी बैठको में चर्चा की गई थी तथा इन्हें कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि सभी लक्ष्यों/मापदण्डों को उनके ड्राफ्ट एमओयू में पीएफसी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह तर्क कि लक्ष्यों को मौजूदा विद्युत बाजार परिदृश्य के आधार पर निर्धारित किया गया, औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि वास्तविक प्राप्ति निरन्तर पिछले वर्षों के निष्पादन से अधिक थी।

[55] *सभी लक्ष्य संदर्भ 'उत्कृष्ट' लक्ष्य के लिए है।*

5.7.1.2 निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए आरईसी से संबंधित मापदण्डों के मामले में, लक्ष्यों को पिछले वर्षों में इसकी वास्तविक प्राप्ति की तुलना में कम पर निर्धारित किया गया।

मापदंड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
परिचालनों से राजस्व (₹ करोड़)	लक्ष्य	कोई मापदण्ड नहीं (एनएपी)		21500
	वास्तविक	20230	23638	23351
संस्वीकृत ऋण (₹ करोड़)	लक्ष्य	एनएपी		56000
	वास्तविक	61421	65471	प्रतीक्षित
परिचालन से राजस्व के *प्रतिशत* के रूप में परिचालन लाभ	लक्ष्य	एनएपी		26
	वास्तविक	35.93	33.53	प्रतीक्षित
उधारी/निवल सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	एनएपी		460
	वास्तविक	528	485	प्रतीक्षित
पीएटी/निवल सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	14.8	16.83	17
	वास्तविक	21.16	19.66	प्रतीक्षित
पीएटी प्रति कर्मचारी (₹ लाख)	लक्ष्य	480	628	एनएपी
	वास्तविक	864	932	एनए
एनपीए/ऋण संपत्तियाँ (सकल) (%)	लक्ष्य	3.9	3	एनएपी
	वास्तविक	0.74	2.11	एनए
ब्याज दर प्रसार (दर)	लक्ष्य	2.6	2.69	एनएपी
	वास्तविक	3.68	3.4	एनए
संस्वीकृतियां (₹ करोड़)	लक्ष्य	50000	56100	एनएपी
	वास्तविक	61421	65471	एनए
संसाधन संघटन (₹ करोड़)	लक्ष्य	26000	35000	एनएपी
	वास्तविक	41190	52027	एनए

आरईसी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि डीपीई को प्रेषित किये जाने से पहले कमतर लक्ष्यों का औचित्य एमओपी को स्पष्ट किया गया था और आईएमसी में पुन: विचार-विमर्श किया गया था। यह भी बताया गया कि सेक्टर विशिष्ट मापदंडों को पूर्व लक्ष्यों के साथ सीधे तौर पर सहसंबंध नही किया जा सकता क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के आधार पर वर्षानुवर्ष भिन्न हो सकते है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय बीतने के साथ लगातार निष्पादन में सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि कम्पनी द्वारा लक्ष्यों को कमतर तय किया गया था।

5.7.1.3 पीजीसीआईएल ने कुछ मापदंडो के लिए पूर्व वर्षों में इसकी वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में कमतर लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें नीचे तालिकाबद्ध किया गया है।

मापदंड	लक्ष्य/वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17
पीएटी/निवल-सम्पत्ति (%)	लक्ष्य	मापदंड नहीं (एनएपी)	12.33	13.80
	वास्तविक	13.09	14.15	प्रतीक्षित
पीजीसीआईएल के कारण प्रति लाईन ट्रिपिंग की संख्या	लक्ष्य	1.50	1.50	एनएपी
	वास्तविक	0.53	0.66	एनए
परियोजना प्रबंधन में पीजीसीआईएल का प्रमाणीकरण	लक्ष्य	33	50	एनएपी
	वास्तविक	83	132	एनए

पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि पीएटी/निवल-सम्पत्ति पर मापदंड 2015-16 से पहले उपलब्ध नहीं थे। संशोधित टैरिफ विनियम (2014-19) और उपलब्ध अनुमान पर विचार करते हुए 2015-16 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2014-15 के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों उपलब्ध नहीं थे। प्रति लाईन ट्रिपिंग अप्रत्याशित थी और इसमें आगे मापदंडों में सुधार की संभावना नहीं थी और इसलिए उसे 2016-17 के लिए एमओयू से हटा दिया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है। लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों के पूर्व निष्पादन आधार पर प्रस्तावित किये जाने थे और पूर्ववर्ती वर्ष के तत्काल निष्पादन के आधार पर तय नहीं किए जाने थे। यह भी देखा गया कि पूर्व वर्षों में उपरोक्त मापदंडों का वास्तविक निष्पादन 2015-16 और 2016-17 में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अधिक था। पीजीसीआईएल ने 'पीजीसीआईएल कर्मचारियों के प्रमाणीकरण' के लिए एमओयू लक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

5.7.1.4 ईबीआईटीडीए/निवल ब्लॉक के संबंध में 2015-16 के लिए एचएएल के एमओयू लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों में वास्तविक उपलब्धियों से कम पर निर्धारित किया गया था।

एचएएल से उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

5.7.1.5 'पीएटी/निवल-संपत्ति' और 'इबीआईटी/औसत नियोजित पूंजी' के संबंध में एमओयू 2015-16 में नालको के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्व वर्ष में वास्तविक उपलब्धियों से कम थे।

नालको ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमओयू लक्ष्य से बेहतर निष्पादन परिचालन सुधारों के कारण प्राप्त किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है। एमओयू दिशा निर्देश यथार्थवादी और वृद्धि अभिप्रेत रीति पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिदेश करते है, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया।

5.7.1.6 एमओयू 2015-16 में 'ईबीआईटी/औसत नियोजित पूंजी' और 'वर्तमान अनुपात' के संबंध और एमओयू 2016-17 में 'निवल संपत्ति के लिए लाभांश' पर में एनएलसी के लक्ष्य पिछले वर्ष में वास्तविक उपलब्धि से कम पर निर्धारित थे। 'फ्लाई ऐश के उपयोग' के लिए लक्ष्य 70 *प्रतिशत* पर निर्धारित था, हॉलाकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसके लिए 100 *प्रतिशत* उपयोग निर्धारित किया था।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि पूर्व वर्ष में उपलब्धियों के साथ लक्ष्यों की हमेशा तुलना नहीं की जा सकती। एमओयू ड्राफ्ट में फ्लाई ऐश उपयोग पर मापदंड को उपयोग शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में स्थाई समिति/आईएमसी ने इसके लिए प्रस्तावित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के वास्तविक प्राप्ति पर आधारित अनुमानों के आधार पर संबंधित मापदंड के मूल लक्ष्य को निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, 100 *प्रतिशत* फ्लाई ऐश उपयोग को अधिदेशित करने वाले दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया गया था।

5.7.1.7 एनएलसी ने एमओयू 2015-16 के भाग के रूप में 'लागतों और उत्पादन दक्षता' पर अनिवार्य मापदंडो को शामिल नहीं किया था। उसी प्रकार, दिशानिर्देशों में निर्धारित 'लाभ प्रदता पर मापदंड का महत्व दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं से अधिक था।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अधिक महत्वपूर्ण और संगत मापदंडो पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनिवार्य मापदंडो को शामिल न करना और मानदंडो को अतिरिक्त महत्व एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

5.7.1.8 एनएलसी ने 'आरएंडडी योजना तत्वों' और 'प्रतिपादनाधीन परियोजनाओं' को एमओयू 2016-17 में पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) के भाग के रूप में बनाया यद्दपि इसे एमओयू के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएपीईएक्स के तहत शामिल नहीं किया गया था,

चुकि एमओयू 2016-17 का मूल्यांकन पूर्ण नहीं किया गया था (सितम्बर 2017), इसलिए समग्र रेटिंग पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि कम्पनी के कुल सीएपीईएक्स के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं पर न्यूनतम व्यय हुआ था और भूगर्भीय जाँच पर होने वाले व्यय में नई खनन परियोजनाओं के लिए लिग्नाईट और संबंधित क्रियाकलापों का अन्वषेण करना शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सीएपीईएक्स के अंतर्गत उपरोक्त दो मापदंडो का समावेश एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

5.7.1.9 एससीआई ने एमओयू 2015-16 में 'ब्याज और अन्य आय' को छोड़कर कुल बिक्री कारोबार पर मापदंड के लिए 14 के महत्व को सौंपा और फिर उनको तीन खंडों में वितरित किया गया। 'बल्क कैरियर और टैंकर्स खंडो' (कारोबार ₹3256 करोड़) के लिए 'अति उत्कृष्ठ' की रेटिंग के लिए 7 का महत्व नियत किया था, 'अपतटीय' खंड (कारोबार ₹286 करोड़) के लिए 4 का महत्व नियत किया था और 'लाईनर' खण्ड (कारोबार ₹1079 करोड़) के लिए 3 का महत्व नियत किया था। इस प्रकार खंडों के लिए नियत किये गये महत्व उनके राजस्व के अंशदान के प्रति असंगत थे।

एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि आगामी वर्ष में खंड की संभावनाओं पर आधारित महत्वों की सिफारिश की गई थी और उसे आईएमसी द्वारा स्वीकार किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न खंडो के लिए एमओयू में प्रस्तावित लक्ष्यों के महत्व को समान रूप से आंवटित नहीं किया गया था। खंडो की राजस्व अर्जन क्षमता की संभावनाए उपलब्धियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में प्रतिबिंबित हुई थी।

5.7.2 एमओयू के तहत निष्पादन और सीपीएसईज़ द्वारा स्व-निर्धारण

5.7.2.1 पीईआर और आईएमसी बैठक में मापदंड मूल्य में अनिरन्तरता

'निविदा आधार पर कार्य आदेशों के प्रति नामांकन आधार पर नये परामर्श कार्य आदेशों के अनुपात' मापदंड के लिए एनबीसीसी के लक्ष्य एमओयू-2015-16 70:30 के रूप में निर्धारित किये गये थे। 2015-16 के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीईआर) (नवम्बर 2016) के अनुसार इस मापदंड के प्रति उपलब्धि 75:25 थी ('बहुत अच्छी' रेटिंग)। दूसरी ओर, एमओयू 2016-17 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय, एनबीसीसी ने आईएमसी को सूचित किया (जून 2016) कि 2015-16 के इस लक्ष्य के

प्रति उपलब्धि लगभग 90:10 थी जिसके कारण 2016-17 के लिए 90:10 के आसान लक्ष्य तय किया गया था।

एनबीसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधारित पर थी, आईएमसी बैठक के दौरान, यह सूचित किया गया कि अनुपात 90:10 था (लगभग) और यह विवरण किसी एमओयू मापदंड के संबंध में विशिष्ट विवरण नहीं माना जा सका लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त व्यवसायिक आदेशों को प्रवृति पर आधारित एक सामान्य विवरण था। साथ ही, वर्ष 2015-16 के लिए 75:25 के अनुपात की उपलब्धि को पिछले कुछ वर्षों में एनबीसीसी की मानक उपलब्धि के रूप में माना नहीं जा सकता है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एनबीसीसी ने पीईआर 2015-16 में 75:25 अनुपात दर्ज किया था, जबकि 2016-17 के लिए एमओयू लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए आईएमसी बैठक में 90:10 के रूप में इसे सूचित किया गया था।

5.7.2.2 उपलब्धि का अनुचित मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने चयनित सीपीएसईज़ की उपलब्धि के मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित देखा:

(i) एमओयू 2015-16 के प्रति उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय, बीपीसीएल ने व्यापार की गणना करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय मानी गई उत्पाद दरों का उपयोग किया। डीपीई ने उत्पाद कीमत में भिन्नता के मामले में मूल्यांकन के समय लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए अनुदेश (नवम्बर 2016) दिये थे। अत: टर्नओवर (लक्ष्य और उपलब्धियां) वास्तविक दरों पर आधारित होना चाहिए था जो नहीं किया गया। बेहतर निष्पादन दर्शाया गया।

बीपीसीएल जिससे सहमत हुआ (अक्टूबर 2017) कि हस्ताक्षरित एमओयू निर्दिष्ट करता था कि बिक्री मूल्यों में किसी भी भिन्नता के लिए समायोजन अनुमति दी जाएगी।

तथापि, वास्तविक कीमतों की तुलना में एमओयू में प्रस्तावित कीमतों में कोई समायोजन नहीं किया गया था।

(ii) एससीआई ने जहाजों हेतु के आदेश देने की वास्तविक तिथि पर विचार करने के बजाय उस के लिए बोर्ड का केवल अनुमोदन प्राप्त करने के द्वारा 'कोचिन शीपयार्ड लिमिटेड से अपतटीय जहाजों के आदेशों' के संबंध में पीईआर 2015-16 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया।

एससीआई ने बताया (अक्टूबर 2017) कि अगस्त 2015 में समाप्त वार्ताओं के समापन पर और 12.08.2015 को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने अर्थात 30.11.2015 की 'उत्कृष्ट' लक्ष्य तिथि से काफी पहले इस 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्ष्य तिथि के पहले जहाजों का आदेश नहीं दिया गया था और मापदंड जहाजों के आदेश देने हेतु था।

(iii) एमओयू दिशा निर्देशों 2016-17 के अनुसार, सीपीएसईज़ जिन्हें 'उत्कृष्ट' रेटिंग नहीं दी गई थी उन्हें कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना था, जिसमें असफल रहने पर उनकी रेटिंग कंपोजिट स्कोर से 5 स्कोर कम की जानी थी। यहाँ एक शर्त थी कि परिचालनों से राजस्व के 0.1 *प्रतिशत* अनुपात की राशि/अधिक/लाभ/हानि का विवरण (अधिशेष/घाटा) परिसंपत्तियों/देयताओं के किसी निधियों का दुरूपयोग इंगित करने वाले सीएंडएजी के द्वारा वार्षिक लेखाओं पर कोई प्रतिकूल आपत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। एससीआई के वार्षिक लेखाओं 2016-17 वर्ष में ₹6.05 करोड़ द्वारा 'प्राप्य लाभ और व्यापार के अधिककथन' पर सीएजी टिप्पणी शामिल है। इस कथन का प्रभाव 0.176 *प्रतिशत* परिचालन से राजस्व पर हुआ (₹3447 करोड़)। एससीआई[56] ने, तथापि, पीईआर 2016-17 में कंपोजिट स्कोर को कम नहीं किया था।

एससीआई ने बताया (अक्टूबर 2017) कि अतिरिक्त योग्यता मापदंडो के साथ अननुपालन के कारण अंको में कमी स्थाई समिति/आईएमसी के विवेक पर की जाएगी।

तथापि, तथ्य, यह रहता है कि एससीआई ने अतिरिक्त योजना मापदंड पूरे नहीं किये और पीईआर 2016-17 में इसे कंपोजिट स्कोर के तदनुसार मूल्यांकित करना चाहिए था।

5.7.2.3 अपूर्ण परिभाषित मापदंड

एनबीसीसी के एमओयू 2015-16 ने 6 वर्ष के दौरान मापदंड 'नये आदेशों' के निर्धारण के लिए आधार निर्दिष्ट नहीं किये। एनबीसीसी ने एमओयू 2015-16 के लिए पीईआर में, 2015-16 के दौरान प्राप्त नये आदेशों के रूप में 61 परियोजनाओं की सूची पर विचार किया। तथापि, इन 61 परियोजनाओं में से 20 के लिए एमओयू 2014-15 के दौरान हस्ताक्षरित किये थे। 20 परियोजनाओं को 2015-16 में प्राप्त नये आदेशों के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही एमओयू 2015-16 के 'वर्ष के दौरान नये आदेश' इस प्रकार मापदंड में यह निर्दिष्ट नहीं था कि एनबीसीसी के रीयल एस्टेट अभिग्रहण/विकास को मापदंड के प्रति उपलब्धियों को लिया जाना चाहिए। एनबीसीसी ने रीयल एस्टेट परियोजनाओं के

---

[56] *एससीआई ने 2012-13 से 2015-16 तक के लिए 'बहुत अच्छा' का दर्जा दिया था।*

संबंध में ₹426.19 करोड़ मूल्य के कार्यों को शामिल किया क्योंकि कार्य आदेश 2015-16 के दौरान प्राप्त कार्यों को शामिल करता है। रीयल एस्टेट कार्यों, पर एनबीसीसी के अपने कार्य होते हुए, 2015-16 के दौरान प्राप्त गये नये आदेशों के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

एनबीसीसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि किसी परियोजना को प्राप्त रूप में लेने के लिए, कई मापदंडों जैसे पक्षकार द्वारा भूमि की उपलब्धता, अवधारणा योजना/अनुमानों का अनुमोदन, वैधानिक स्वीकृति आदि, पर विचार किया जाना था और रीयल एस्टेट कार्यों को निवेश/आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह भी बताया गया कि रीयल एस्टेट परियोजनाएं कम्पनी के कारोबार लाभ और निवल संपत्ति के प्रति भी सहयोग देती है, और इसलिए, इन्हें इनकी अपनी परियोजना नही माना जा सकता और जायज़ तौर पर 'नये प्राप्त कार्य आदेशों' के रूप में विचार किया गया था।

उत्तर तर्कयुक्त नहीं है। इस मापदंड को अस्पष्ट परिभाषित करने के परिणामस्वरूप निष्पादन का हिसाब निर्धारित अवधि से परे और अपने कार्य को नये कार्य आदेश प्राप्त करता दिखाया गया है।

5.7.3 राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बैंचमार्किंग

एमओयू दिशा निर्देश 2015-16 तथा 2016-17 के अनुसार, सीपीएसईज़ को जैसे भी लागू हो वित्तीय/अवित्तीय मापदण्डों से संबंधित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर सूचना देनी थी। आईएमसी के विचारार्थ 2015-16 के लिए एमओयू को भेजते समय लागू बेंचमार्क के साथ सीपीएसईज़ के साथ-साथ सेक्टर के निष्पादन पर मंत्रालय/विभाग द्वारा बैकग्राउंड नोट देना अपेक्षित था। एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 में भी राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम निजी क्षेत्र में सर्वोतम निष्पादक कम्पनी तथा नवरत्न सीपीएसईज़ के एमओयू मापदंड की बैंचमार्किंग के लिए एमओयू दिशानर्देशों 2016-17 में अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) पीजीसीआईएल ने 2016-17 में तुलनात्मक वैश्विक ट्रांसमिशन यूटिलिटिज के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(ii) बीईएल, एचएएल और एससीआई ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(iii) नालको ने वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी कम्पनियों के साथ बैंचमार्किंग कार्य नहीं की थी।

(iv) एनएलसी का बैंचमार्किंग कार्य ने दो मापदंड की तुलना को अर्थात कोल इंडिया लि. के साथ 'प्रतिव्यक्ति शिफ्ट आऊटपुट' और ऑल इंडिया सेन्ट्रल सेक्टर और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 'प्लांट लोड फैक्टर' तक सीमित रखा।

सीपीईएस ने निम्नवत उत्तर दिया:

- पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय यूटीलीटीज के साथ बैंचमार्किंग नहीं की क्योंकि 2016-17 में दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया था।
- एचएएल ने बताया (अक्टूबर 2017) चूंकि यह कई उत्पादों/डिवीजनों के साथ विशिष्ट एयरोस्पेस सेक्टर में परिचालन कर रहा था, इसलिए ग्लोबल कम्पनियों के साथ बैंचमार्किंग कठिन थी।
- एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि केवल विशिष्ट खंडो/मार्गों में विशेषज्ञता अन्य शिपिंग कम्पनियों के साथ तुलना व्यवहार्य नहीं थी।
- एनएलसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि खनन परिचालन के अनोखेपन को देखते हुए किसी भी खनन उद्योग से तुलना करना अनुचित था।
- बीईएल और नालको ने कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर पुष्टि करते है कि सीपीएसईज़ ने एमओयू दिशानिर्देशों का पालन नही किया और जिस उद्देश्य के लिए बैंचमार्क निर्धारित किये गये थे उस पर अमल नहीं किया गया था। हालांकि, कुछ सीपीएसईज़ के मामलों में (पीजीसीआईएल, एचएएल, एससीआई आदि), बाजार में विशिष्ट स्थिति के कारण राष्ट्रीय स्तर तुलना व्यवहार्य नहीं थी, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय तुलना नहीं की जा सकी। पीजीसीआईएल के उत्तर कि इस संबंध में दिशानिर्देश 2016-17 में संसोधित किए गए थे, के संबंध में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले निजी क्षेत्र के खिलाडी के साथ तुलना में संशोधन अपेक्षित है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ तुलना एमओयू 2015-16 से 2016-17 के दिशानिर्देश के अनुसार अपेक्षित थी।

5.7.4 प्रसासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता

एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 नियत करते है कि स्वतंत्र निर्देशकों के महत्व पर विचार करते हुए, सीपीएसईज़ के बोर्ड में गैर-सरकारी पद को भरने पर सामायिक कार्यवाही के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संबंधित विशिष्ट प्रतिबद्धता सीपीएसईज़ के एमओयू में शामिल किए जाएगें, जहाँ भी लागू हो। एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 उत्कृष्ठ रेटिंग के लिए अतिरिक्त योग्यता मापदंड का प्रावधान करते है जिसके दवारा

सीपीएसईज़ से लिस्टिंग समझौता के प्रावधानों के अनुपालन के पालन और कम्पनी अधिनियम, 2013 जो सीपीएसईज़ की परिधि के भीतर ही सीमा तक थे और वित्तीय आशय होने के कारण डीपीई दिशानिर्देशो के साथ अनुपालन के लिए पूछा गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतांए) नियम 2015 और सीपीएसईज़ 2016 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा निर्देश, 2010 के अनुसार सीपीएसईज़ के निदेशक बोर्ड में 50 *प्रतिशत* स्वतंत्र निर्देशक मौजूद होने चाहिए। इस संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और 149(1) प्रत्येक लिस्टिड सार्वजनिक कम्पनी में स्वतंत्र निर्देशको के रूप में कम से कम एक तिहाई कुल निर्देशको की संख्या और क्रमश: एक महिला निदेशक का होना अपेक्षित है।

इस संबंध में यह देखा गया कि:

- 2015-16 और 2016-17 के दौरान पीएफसी, पीजीसीआईएल, बीपीसीएल और कॉनकोर के निदेशक बोर्ड में स्वंतन्त्र निर्देशकों की अपेक्षित संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था जबकि एचपीसीएल और ईआईएल के पास 2015-16 के दौरान इसके बोर्ड में स्वतंत्र डायरेक्टरों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
- 2012-13 से पीएफसी बोर्ड में कोई महिला निर्देशक नहीं है जबकि वैधानिक रूप कम से कम एक अपेक्षित है। बीपीसीएल बोर्ड के पास 2016-17 के दौरान कोई महिला निर्देशक नहीं थी।
- बीईएल में स्वतंत्र निर्देशको की अपेक्षित संख्या भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से विशिष्ट प्रतिबद्धता को एमओयू 2015-16 शामिल नहीं किया गया था।

आरईसी, बीईएल, पीएफसी, पीजीसीआईएल और ईआईएल ने बताया (सितम्बर/अक्टूबर 2017) कि वे समय-समय पर प्रशासनिक मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाते रहे थे। एचपीसीएल ने बताया कि (अक्टूबर 2017) मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की गई थी और इसके प्रति मंत्रालय से सामयिक कार्यवाही भी आवश्यकता को एमओयू में शामिल किया गया था।

5.7.5 एनएसएमई पर दिशानिर्देशों का अननुपालन

एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 के अनुसार, सीपीएसईज़ को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) आदेश दिनाँक 25.04.2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करना अपेक्षित था। इसके अनुपालन न करने से एक अंक तक की सज़ा होगी। उपरोक्त आदेश में यह भी अपेक्षित हैं, की 2015-16 के बाद से कम से कम 20

प्रतिशत सीपीएसईज़ आश्यकताएं एमएसएमई से खरीदी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफसी, पीजीसीआईएल और एमटीएनएल ने 2015-16 के दौरान उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था।

पीएफसी ने बताया (अगस्त 2017) कि इसके लिए 2015-16 के इसके कंपोजिट स्कोर से एक अंक कम किया गया था। पीजीसीआईएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमएसएमई द्वारा प्रस्तावित उत्पाद और सेवाओं की श्रेणी में इसकी अधिकांश खरीद नहीं आती है। एमटीएनएल ने बताया (नवम्बर 2017) कि ये दिशानिर्देश प्रतिस्पर्धा माहौल और तेजी से बदलते दूरसंचार प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इसके हित के विरूद्ध थे।

तथापि, न तो प्राप्त एमएसएमई आदेशों की प्रयोज्यता से छूट थी और न ही एमओयू में शामिल लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं थी।

5.7.6 एमओयू प्रस्तुतीकरण और हस्ताक्षर

5.7.6.1 डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को एमओयू का प्रस्तुतीकरण

- एमओयू दिशानिर्देश 2015-16 में डीपीई को एमओयू की मूल प्रति का प्रस्तुतीकरण 19.12.2014 तक अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि एचएएल ने एमओयू 2015-16 की मूल प्रति डीपीई को 38 दिनों के विलंब के बाद 27.01.2015, को भेजी।

- एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 अपने बोर्ड से यथोचित अनुमोदन के बाद नियत तिथि (15.05.2016) तक संबंधित मंत्रालय को अपना ड्राफ्ट एमओयू प्रस्तुत करना के सीपीएसईज़ से अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि एमटीएनएल ने अपने बोर्ड से बिना अनुमोदन के दूरसंचार विभाग को ड्राफ्ट एमओयू 2016-17 प्रस्तुत किया था।

जबकि एचएएल ने कोई टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया वहीं एमटीएनएल ने बताया (अक्टूबर 2017) कि सीएमडी के यथोचित अनुमोदन पश्चात 15.01.2016 को 2015-16 के लिए ड्राफ्ट एमओयू की प्रति प्रस्तुत की गई थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि डीपीई दिशानिर्देश बोर्ड के अनुमोदन पश्चात ड्राफ्ट एमओयू का प्रस्तुतीकरण अधिदेशित करते है।

5.7.6.2 एमओयू हस्ताक्षर करना

एमओयू दिशा निर्देश 2016-17 के अनुसार सभी दस्तावेज/अनुबंध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन के बाद डीपीई को 15.05.2016 तक भेजे जाने चाहिए, आगे प्रावधान प्रदान किया गया कि सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के बीच एमओयू और सहायक और सर्वोच्च/होल्डिंग के मध्य सीपीएसईज़ 30.06.2016 अथवा आईएमसी बैठक के कार्यवृत के जारी होन से 15 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो। तक हस्ताक्षरित हो जाने चाहिए लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओयू हस्ताक्षर करने में देरी हुई थी:

- पीएफसी ने निर्धारित समयसीमा से 32 दिनों की देरी के पश्चात 01.09.2016 को एमओयू 2016-17 पर हस्तक्षर किये।
- आरईसी ने निर्धारित समय सीमा से 26 दिनों की देरी के पश्चात 23.08.2016 को एमओयू 2016-17 पर हस्ताक्षर किये और आरईसी और इसकी सहायक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस लिमिटेड ने एमओयू 09.11.2016 पर हस्ताक्षर किये गये थे।
- एनएमडीसी के मामले में, एमओयू 2016-17 के लिए आईएमसी बैठक का आयोजन 10.06.2016 एमओयू को हुआ था और कार्यवृत 20.06.2016 को जारी हुआ जबकि एमओयू 06.10.2016 तक हस्ताक्षरित नहीं था।

पीएफसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि डीपीई द्वारा एमओयू के प्रमाणीकरण की तिथि से 15 दिनों की समयसीमा को माना जाना था और उन्होंने इसके प्रमाणीकरण (23.08.2016) की तिथि से 15 दिनों के भीतर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरईसी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमओपी अथवा सीटीपीसीएल के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने में कोई देरी नहीं हुई थी क्योंकि डीपीई ने क्रमश, 28.07.2016 और 08.11.2016 को एमओयू की प्रमाणीकृत प्रतियों को जारी किया था। एनएमडीसी ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी थीं।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएमसी बैठक के कार्यवृत के जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक अथवा 30.06.2017 जो भी बाद में थी की समयसीमा मानी जानी थी। आईएफसी बैठक के बाद और इसके हस्ताक्षर से पहले डीपीई द्वारा एमओयू के प्रमाणीकरण के लिए अलग से एमओयू दिशा निर्देशों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

5.7.7 सामान्य

डीपीई अपनी संबंधित वेबसाईट पर सीपीएसईज़ के एमओयू डालने को प्रोत्साहित करता है। तथापि, यह देखा गया था कि पीएफसी, एचएएल और एसीआई ने अपनी वेबसाईट पर 2015-16 और 2016-17 दोनों के अपने एमओयू डाला नहीं गया था। उसी प्रकार, आरईसी और एमटीएनएल ने अपनी वेबसाईट पर क्रमश: एमओयू 2015-16 और एमओयू 2016-17 को डाला नहीं था।

पीएफसी और एससीआई ने बताया (सितम्बर 2017) कि व्यापार लक्ष्यों की गोपनीयता के कारण वेबसाइट पर एमओयू डाले नहीं गये थे। पीएफसी, आरईसी, एचएएल और एमटीएनएल ने बताया (सितम्बर/नवम्बर 2017) कि एमओयू की वेब होस्टिंग अनिवार्य नहीं थी।

5.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

2015-16 और 2016-17 के लिए 'नवरत्न कम्पनियो' के 17 एमओयू के विश्लेषण से यह पता चला कि इनमें से सात द्वारा एमओयू में निर्धारित लक्ष्य पिछले वर्षों में इन मानदडों के प्रति वास्तविक उपलब्धि की अपेक्षा निर्धारित लक्ष्य कम होने पर लक्ष्यों की अन्डर-पिचिंग बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए सीपीएसईज़ की सहायता करती है। तीन सीपीएसईज़ में मानदडों के अनुचित मूल्यांकन को भी देखा गया। एमओयू दिशानिर्देशों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों के संदर्भ में मानदडों की बेंचमार्किंग अधिदेशित की। तथापि, छ: सीपीएससी ने बेंचमार्किंग कवायद नहीं की। यद्यपि उनके बोर्ड में गैर-सरकारी निर्देशकों के पद भरने के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए और स्वतंत्र और महिला निर्देशकों से संबंधित लिस्टिंग करार और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू दिशा निर्देशों ने सीपीएसईज़ को अधिदेशित किया परन्तु सीपीएसईज़ में स्वतंत्र और महिला निर्देशकों के कुछ पद खाली पडे थे।

लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसईज़ और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

- **यह सुनिश्चित किया जाए कि एमओयू को निर्धारित समय में लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए यथावत ध्यान देते हुए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और अन्तिम रूप दिया गया है। जिससे सीपीएसईज़ का बेहतर निष्पादन हो सके।**

- **डीपीई में वैधीकरण प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ किया जाय कि किसी अपूर्ण अथवा गलत सूचना और/या प्रमाणनन की अन्य मंत्रालय और पणधारियों के उचित समन्वय के माध्यम से एमओयू के अन्तिम मूल्यांकन से पहले खोज की जा सकती है।**

डीपीई ने (मार्च 2018) में कहा है कि लक्ष्य के निर्धारण के संबंध में एक नया पैरा एमओयू 2017-18 के दिशानिर्देशों में सम्मिलित कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डीपीई द्वारा उठाये गये कदमों को मान लिया।

अध्याय VI

सीपीएसई के संयुक्त उद्यम परिचालन

6.1 प्रस्तावना

संयुक्त उद्यम (जेवी) एक संविदात्मक व्यवस्था है जहाँ दो या उससे अधिक पार्टियां आर्थिक गतिविधि शुरू करती है, जो सयुक्त नियंत्रण[57] के अधीन है। उद्यमी संयुक्त उद्यम की एक पार्टी है और उस संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण होता है। जेवी तीन रूपों का हो सकता है। अर्थात संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई, संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन। संयुक्त उद्यम इकाई वह ईकाई होती है जो भारतीय कम्पनी अधिनिमय अथवा अन्य देश के संबंधित कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत है। ये इकाईयां देश के संबंधित कानूनों द्वारा शासित की जाती है जहाँ कम्पनी निगमित होती है। जेवी के अन्य रूप अर्थात संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन अनिगमित है, ये सहयोगियों के मध्य हस्ताक्षरित करार द्वारा शासित होते है।

6.2 संयुक्त उद्यमों पर सरकार की नीति

सरकार का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम बताता है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहचानी हुई कम्पनियों होगी जिनके पास उन्हें वैश्विक दिग्गज बनने के उनके अभियान के लिए तुलनात्मक सुअवसर और समर्थन करेंगे। प्रतिस्पर्धी वातावरण में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) के परिचालन को सफल लाभदायक बनाने के लिए प्रबंधकीय और व्यावसायिक स्वयंशासन बनाने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) ने रणनीतिक गठबंधन या तकनीकी में प्रवेश के लिए अगस्त 2015 में भारत या विदेश में वित्तीय जेवी और पूर्णतया: स्वामित्व सहायक स्थापित करने के लिए नवरत्न पीएसई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ा दिया है। डीपीई ने (फरवरी 2010) पहचानी गई सीपीएसईज बडे आकार की नवरत्न सीपीएसईज बोर्ड की बढाई गई

---

[57] *संयुक्त नियंत्रण अधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बट्वारे पर अनुबंधित सहमति व्यक्त करना है। नियंत्रण अधिक गतिविधि की वित्तिय और परिचालन नितियों को शासित करने की शक्ति से है ताकि इससे नाम प्राप्त किया जाए।*

शक्तियों[58] को प्रत्यायोजित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) के लिए महारत्न योजना की शुरूवात की ताकि उनके परिचालनों के विस्तार की सुविधा दी जाए। घरेलु और साथ-साथ वैश्विक बाजार में दोनों महारत्न कम्पनियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग समय समय पर सीपीएसईज नवरत्न के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और दिशा निर्देशों के अधीन था। प्रत्यायोजित शक्तियों से अतिरिक्त निवेश शामिल करने के सभी प्रस्ताव आर्थिक मामलों (सीसीईए) पर केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने थे।

भारत में संयुक्त उद्यम/सहायकों को स्थापित करने के लिए मिनीरत्न, श्रैणी-I[59] के इक्विटी निवेश के अध्यधीन एक परियोजना में ₹ 100 करोड़ और 5 *प्रतिशत* की निवल शक्तियाँ दी गई। मिनीरत्म श्रैणी-II[60] के संबंध में, इक्विटी निवेश निवल कीमत के 5 *प्रतिशत* के अध्याधीन एक परियोजना में 50 करोड़ तक सीमित था। कुल निवेश दोनों श्रैणियों के अन्तर्गत पीएसई के संबंध में निवल कीमत के 5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्यों का पता लगाना था कि क्या:

- जेवी के गठन कार्यान्वयन और निकास के समय उचित परिश्रम किया गया था।
- प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को पालन किया गया था।

6.4 जेवी की लेखा परीक्षा व्यवस्था

भारत के सीएजी जेवी का अनुपालन लेखा परीक्षा ओर वित्तीय लेखापरीक्षा का संचालन वहाँ करता है जहाँ इक्विटी के सरकारी कम्पनी के शेयर अन्य सरकारी कम्पनियो/कारपोरेशन के साथ या तो भिन्नरूप से या सम्मिलित रूप से प्रदत्त पूंजी के 51 *प्रतिशत* से ज्यादा है और जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। भारत के सीएजी के पास भारत से बाहर शामिल

---

[58] किसी मौद्रिक सीमा के बिना नयी मदों की खरीद पर या प्रतिस्थापना के लिए पूंजीगत व्यय करना, संयुक्त उद्यमों तकनीकों में प्रवेश अथवा रणनितिक गठबंधन, खरीद या अन्य प्रबंधो के द्वारा प्राप्त करना, तकनीक और जानकारी, भारत और विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्ययम स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश करना, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों का निर्माण, घरेलु पूंजीगत बाजारो से डेबिट उठाना और अन्तराष्ट्रीय बाजारों आदि से शक्तियां बढाना।

[59] पीएसई को पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए था, पूर्व-कर लाभ में ₹ 30 करोड़ या उससे अधिक के तीन वर्षों में कम से कम एक होना चाहिए था और एक सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए।

[60] पीएसई को पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाया जाना चाहिए था और इसके लिए सकारात्मक नेटवर्थ चाहिए।

जेवी के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा अथवा वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं है। उसी प्रकार, कम्पनी अधिनियम 1956 या कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में सम्मिलित जेवी के संबंध में जहाँ सरकारी कम्पनी का शेयर या भिन्न रूप से अथवा संयोजित रूप में अन्य कम्पनियो/कॉरपोरेशन्स के साथ प्रदत्त पूंजी के 51 *प्रतिशत* से कम है और अनिगमित जेवी के मामले में, भारत के सीएजी के पास ऐसी जेवी के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा अथवा वित्तीय लेखापरीक्षा करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं है।

6.5 लेखापरीक्षा व्यापकता

यह लेखापरीक्षा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत सीपीएसईज को कवर करता है। यहाँ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत 98 सीपीएसईज थी (मई 2017)। उनमें से, 46 सीपीएसईज के पास कोई जेवी नहीं है और उसी अनुसार 52 सीपीएसईज (7 महारत्न, 17 नवरत्न और 28 मिनीरत्न) इस समीक्षा के अन्तर्गत कवर की गई थी **(परिशिष्ट-XV)** भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सूचना को रिपोर्ट के अन्तिम रूप देने तक प्राप्त नहीं किया था, अत:, इस अध्याय में 51 सीपीएसईज के जेवी का ब्यौरा शामिल है।

6.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जेवी की स्थापना

51 सीपीएसई ने 361 जेवी में शेयर पूंजी के रूप में ₹ 172747 करोड़ रुपये और ऋण, डिबेंचर इत्यादि के रूप में ₹73968.54 करोड़ का निवेश किया है। संयुक्त उद्यमों में कम्पनी अधिनियम और भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत निगमित[61] और अनिगमित[62] दोनों जेवीज शामिल हैं। अभी कुल 234 निगमित तथा 127 अनिगमित जेवीज थे। 58 निगमित जेवीज ने एक से अधिक सीपीएसई ने पूंजी निवेश किया जिसका विवरण परिशिष्ट XVI में है।

उपरोक्त निवेश में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो एक मिनीरत्न कंपनी है तथा ओएनजीसी की सहायक कम्पनी है, उसने 31 मार्च 2017 को ₹ 121965.45 करोड़ का निवेश 11 निगमित तथा 25 अनिगमित जेवीज में किया। 11 निगमित जेवीज में ₹ 22305.74 करोड़ तथा 25 अनिगमित जेवीज में ₹ 99659.71 करोड़ का निवेश किया। 11 निगमित जेवीज के ₹ 22305.74 करोड़ के निवेश के विरूध, ओवीएल का 31 मार्च

---

[61] *निगमित जेवी ऐसी ईकाईया है जो या तो कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा भारतीय सहभागी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।*

[62] *अनिगमित जेवी वे ईकाईया है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति कारोबार कर रहे है लेकिन किसी भी अधिनिमय के तहत पंजीकृत नहीं है।*

2017 को रिजर्व तथा सरप्लस में ₹ 4719.09 करोड़ का हिस्सा था जोकि कुल निवेश का 21.15 प्रतिशत।

6.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारे निष्कर्ष उत्तरगामी पैराग्राफो में दर्शाए गये है:

6.7.1 संयुक्त उद्यमों की योजना/गठन

जेवी सहयोगियों का चयन

डीपीई कांज़ा सं. 11(32)/96-वित्त दिनाँक जनवरी 2000 के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि

(i) सहयोगियों का चयन और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और ऐसे सभी प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) कम से कम दो पार्ट टाईम गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की बैठक में उपस्थित होना चाहिए जिसमें जेवी के गठन के लिए प्रस्ताव मूल्यांकन किया गया था।

(iii) बोर्ड को अपने जेवी के योगदान के अनुपात में प्रबंधन और परिचालन में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

सीपीएसईज ने अपने जेवी सहयोगियों को (i) सरकार के निर्देशों के अनुसार (ii)खुली निविदा माध्यम से,(iii)स्वयं सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों में विकल्प के माध्यम से (iv)एकल पार्टी हेतु नामित आधार पर चयन किया है। आगे, कुछ मामलों में, सीपीएसईज ने पहले से मौजूद जेवी में निवेश किया। 292 निगमित जेवी में से, इस संबंध में 251 जेवी के लिए सूचना उपलब्ध थी। इन 251 जेवी में से, 84 जेवी में जेवी सहयोगियों का चयन सरकार के निर्देशानुसार था, 19 जेवी में खुली निविदा द्वारा, 75 जेवी में सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों से विकल्प के माध्यम से, 49 जेवी में नामित आधार पर और 24 मामलों में सीवीएसई पहले से मौजूद जेवी द्वारा निवेश किया गया था।

इन जेवी का विवरण **परिशिष्ट-XVII** में दिया गया है।

i) कम संख्या में गैर अधिकारिक निदेशकों की उपस्थिति

डीपीई दिशानिर्देश बोर्ड बैठक में गैर अधिकारिक निदेशकों की कम से कम दो उपस्थितियों की अपेक्षा करता है। जहाँ जेवी के गठन के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया था, निम्नलिखित चार सीपीएसईज के मामले में दिशानिर्देशों का पालन नहीं

किया गया:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	जेवी कम्पनी का नाम	संयुक्त उद्यम के गठन के लिए गठित बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी निदेशकों की संख्या
1.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कं. लि.	0
2.	एसजेवीएन लिमिटेड	बंगाल बीरभूम कोल फील्ड्स लिमिटेड	0**
3.	एनटीपीसी	एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी लिमिटेड	0**
		एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	1
		रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड	1**
		एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1
		नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	1
4.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड	1

** भारत सरकार द्वारा गैर अधिकारिक निदेशक की नियुक्ति ना करने के कारण

ii) जेवी के प्रबंधन और परिचालन का प्रतिनिधित्व

डीपीई दिशा निर्देश के अनुसार, बोर्ड को इसके योगदान के अनुपात में इसके जेवी के प्रबंधन और परिचालन में उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि 3 सीपीएसईज के संबंध में, जेवी करार के अनुसार जेवी के प्रबंधन और परिचालन में सीपीसीई का प्रतिनिधित्व नही था जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	जेवी कम्पनी का नाम	% योगदान	जेवी में निदेशकों की कुल सं.	जेवी करार के अनुसार अपेक्षित प्रतिनिधित्व	वास्तविक प्रतिनिधित्व
1.	मंझगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	मंझगाव डॉक पीवाव डिफेन्स प्रा. लिमिटेड	50	7	3	2
2.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	एलबैट्रोस पोर्ट प्रा. लिमिटेड	49	7	3	2
3.	रेल विकास निगम लिमिटेड	कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	50	15	6	4
		हरिदासपुर पारादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड	35.23	12	5	3
		अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	31.50	12	3	2

6.7.2 जेवी परिचालनों का कार्यान्वयन

अर्द्धवार्षिक आधार पर डीपीई के लिए जेवी की स्थिति का अप्रस्तुतीकरण

डीपीई ने यह निर्धारित किया (जनवरी 2000) कि नवरत्न सीपीएसईज गठित जेवी की एक व्यापक सूची और उसकी स्थिति अर्द्धवार्षिक आधार पर डीपीई को प्रस्तुत करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी महारत्न/नवरत्न सीपीएसईज[63] ने इन दिशानिर्देशों (**परिशिष्ट-XVIII** के अनुसार विवरण) का अनुपालन नहीं किया।

6.7.3 जेवी का प्रदर्शन

शामिल किऐ गऐ 234 जेवी में से (i) 76 जेवी लाभ अर्जित कर रहे थे (ii) 64 जेवी लगातार घाटे में थे और (iii) 18 जेवी ने केवल 2016-17 में लाभ अर्जित किया लेकिन हानि संचित की। शेष 76 जेवी के संबंध में, सीपीएसईज से जानकारी अभी प्राप्त की जानी हैं। जेवी के वित्तीय प्रदर्शन का वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदो में किया गया है।

क) लाभ अर्जित करने वाले जेवी

उपरोक्त पैरा 6.7.3 में वर्णित 76 जेवी ने ₹ 11762.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 31 मार्च 2017 तक प्रतिधारित आय ₹ 49138.60 करोड़ थी। प्रतिधारित आय की प्रमात्रा के अनुसार जेवी का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

रेंज	जेवी की संख्या	प्रतिधारित आय
₹ 1000 करोड़ से अधिक	9	39687.26
₹ 100 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक	22	8360.74
₹ 100 करोड़ से कम	45	1090.60
कुल	**76**	**49138.60**

लाभ अर्जित करने वाले जेवी के विवरण **परिशिष्ट-XIX** में तालिकाबद्ध किये गये है।

ख) हानि उठाने वाले जेवी

उपरोक्त पैरा 6.7.3 (ii) में वर्णित 64 जेवी के संबंध में 31 मार्च 2017 को संचित हानियां ₹ 16106.65 करोड़ थी। हानि की प्रमाण के अनुसार जेवी का ब्रेकअप निम्नानुसार है:

---

[63] इस संबंध में पीएफसी और एमटीएनएल ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

(₹ करोड़ में)

रेंज	जेवी की संख्या	संचित हानियां
₹ 1000 करोड़ से अधिक	4	11709.97
₹ 100 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक	10	3980.90
₹ 100 करोड़ से कम	50	415.78
कुल	**64**	**16106.65**

हानि अर्जित करने वाले जेवी के विवरण **परिशिष्ट -XX** में तालिकाबद्ध है।

उपरोक्त 6.7.3 (iii) में वर्णित हानि 18 जेवी के संबंध में संचित हानि जिनसे वर्ष 2016-17 में लाभ अर्जित हुआ ₹ 2319.97 करोड़ के लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जेवी कम्पनी	2016-17 के दौरान लाभ	31 मार्च 2017 को संचित हानि	जेवी में महारत्न/ नवरत्न/ मिनीरत्न सीपीएसईज का हिस्सा
1	आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	56.84	677.04	आईओसीएल 49.25%
2	भारतीय सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	78.04	318.14	आईओसीएल 50%,
3	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	0.88	264.20	आईओसीएल 50%
4	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लिमिटेड	0.73	0.88	कॉनकॉर 49%
5	भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 3	8.24	91.45	एसीआई 26%
6	सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड	0.0015	0.06	एसीआई 50%
7	कृष्णापत्तनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड	0.08	21.28	आरवीएनएल 30%
8	लाईफ स्प्रिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड	0.05	16.78	एचएलएल लॉईफकेयर 50%
9	इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लिमिटेड	0.12	82.30	इरकॉन 50%
10	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड	197.94	233.57	एनटीपीसी 50%
11	ट्रांसफॉर्मरस और इलेक्ट्रिकल्स केरला लिमिटेड	3.07	20.65	एनटीपीसी 44.60%
12	हॉलबिट एविऑनिक्स लिमिटेड	0.02	10.02	एचएएल 50%
13	इन्फोटेक एचएएल लिमिटेड	1.02	0.67	एचएएल 50%

14	हैटसौफ हेलीकाप्टर ट्रैनिंग लिमिटेड	10.46	110.64	एचएएल 50%
15	प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड	4.12	1.75	सेल 26%
16	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	2.92	9.92	आईटीपीओ 50%
17	हरिदासपुर परादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड	0.01	0.02	आरवीएनएल-35.23%
18	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	3090.60	460.60	एचपीसीएल
			2319.97	

6.7.4 बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना और प्रारंभिक मार्ग दर्शन अध्ययन के बिना जेवी का निर्माण

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार जेवी/ सहायक के निर्माण का प्रस्ताव निदेशक मंडल के पास जोखिम कारकों ओर प्रत्याशित परिणाम और लाभ के विश्लेषण के साथ उचित समय पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) ने जेवी के निर्माण (8 अक्टूबर 2008) नामत: भारतीय तेल क्रेडा जैव-ईंधन लिमिटेड (आईओसीबीएल) का छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) के साथ जाट्रोफा संयंत्र से जैविक ईंधन निकालने तथा उत्पादन करने के लिए ₹ 5.27 करोड़ के आरंभिक निवेश (जो कि बाद में ₹ 18.45 करोड़ हो गया) के साथ आरंभ किया गया। जिस लिए निदेशक मंडल से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। तथापि, 31 अक्टूबर 2008 को कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड के पास प्रस्ताव करने से पूर्व परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रारंभिक मार्ग दर्शक अध्ययन नहीं संचालित किया गया।

जैसा कि बोर्ड को प्रबंधन ने सूचित किया (जून 2016), रोपण तथा रखरखाव की उच्च लागत, खराब पैदावार, लंबी सगर्भता अवधि तथा उच्च पौध नश्वरता के कारण जैव-ईंधन की यह परियोजना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो गई। खराब प्रदर्शन के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने ₹ 18.45 करोड़ के समूचे निवेश को निष्फल घोषित करते हुए जेवी को बंद करने की स्वीकृति (जुलाई 2016) दे दी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि जैव-ईंधन व्यवसाय अवसर की हानि से बचने हेतु आईओसीबीएल प्रारंभिक मार्ग-दर्शन अध्ययन के बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति तथा बिना तकनीकी अनुभव के बनाया गया था।

6.7.5 विदेशी ई एंड पी परियोजनाओं के लिए सीसीईए स्वीकृति प्राप्त न करना

क) दिनांक 8 जुलाई 1997 के मंत्रीमंडल निदेशों के अनुपालन में, ई एंड पी परियोजनाओं के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी जेवी/ कूटनीतिक गठबंधनों में शामिल होने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को अनुमत करने ₹ 300 करोड़ या यूएसडी 75 मिलियन की अधिकतम सीमा, दोनों में से जो भी कम हो, के निवेश वाली ई एंड पी परियोजनाओं को डीपीई (2005) विशेषाधिकार प्राप्त ओपीएल बोर्ड स्वीकृति प्रदान करेगा। ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त सचिव समिति (सीसीईए) से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अपनी मूल कम्पनी नामत: ओएनजीसी लिमि., को महारत्न स्टेटस के विस्तारण के पश्चात, ओवीएल ने कोल्म्बिया, ब्राजील, क्यूबा तथा वियतनाम में अपनी सात[64] विदेशी ईएंडपी परियोजनाओं के संबंध में ₹ 7537.07 करोड़ की निवेश स्वीकृति आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की अपेक्षा ओएनजीसी से प्राप्त की जबकि प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश किया गया था।

प्रबधंन ने बताया (दिसम्बर 2017) कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार महारत्न कम्पनी के रूप में सशक्त होने के पश्चात ओएनजीसी अपनी अनुषंगी के माध्यम से संयुक्त उद्यम में निवेश कर सकती है तथा इसलिए ओएनजीसी बोर्ड से इसकी स्वीकृति ली गई। इसके अतिरिक्त, ओवीएल ने ओवीएल की परियोजना, जहाँ निवेश मूल रूप से सीसीईए द्वारा स्वीकृत किया जाना था, में निवेश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी पर एमओपीएनजी का मार्गदर्शन लिया था। चूंकि ओवीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के प्रति एमओपीएनजी से कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त परियोजना के लिए ली गई स्वीकृति उचित है।

प्रबंधन का यह उत्तर निम्नलिखित के मद्देनज़र स्वीकार्य नहीं है:

1. उपरोक्त परियोजना में निवेश का निर्णय ओवीएल का था और इस प्रकार उक्त परियोजना में निवेश को स्वीकृति देने की शक्ति ओएनजीसी नहीं रखती। इसके अतिरक्त ओवीएल को लागू विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, ये जेवी में केवल ₹ 300 करोड़ का निवेश कर सकती है, इससे अधिक के लिए सीसीईए की स्वीकृति आवश्यक है।

---

[64] *आसी 9, 10 और सीपीओ-5 (कोलम्बिया), बीएमआर-1, तथा बीएम-सील-4, (ब्राजील), 25 से 29 तथा 36 (क्यूबा) ब्लॉक 06.1 वियतनाम*

2. सीसीईए से स्वीकृति की अपेक्षा ओएनजीसी बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने की ओवीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।

ख) ब्राज़ील में एक अन्य परियोजना नामत: ब्लॉक बीसी-10 में, तीन भागीदार थे अर्थात: मै. एक्सॉन (30 *प्रतिशत*), मै. शैल (35 *प्रतिशत*) तथा मै. पेट्रोब्रास (35 *प्रतिशत*) सीसीईए की स्वीकृति के पश्चात ओवीएल ने यूएसडी 410 मिलियन[65] पर मै. एक्सॉन से 15 प्रतिशत सहभागी ब्याज अर्जित किया। इसके बाद यूएसडी 478 मिलियन तक परियोजना लागत के विस्तारण पर, ओवीएल ने पुन: सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया। इसके पश्चात, उसी ब्लॉक वर्ष में ओवीएल ने यूएस$ 561 (₹ 3702.76 करोड़[66]) पर मै. पैट्रोबास से 12 *प्रतिशत* अतिरिक्त पीआई प्राप्त किया (2013) तथा केवल ओएनजीसी (इसकी होल्डिंग कम्पनी) से स्वीकृति प्राप्त की तथा सीसीईए से स्वीकृति प्राप्त नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि मै. पैट्रोबास का 12 *प्रतिशत* का पीआई का अधिग्रहण वर्ष 2006 में ब्लॉक में 15 *प्रतिशत* के पीआई के अधिग्रहण की तुलना में एक नई निवेश परियोजना के रूप में उपचारित किया गया चूंकि पीआई अधिक्रहण की विधि अलग थी और पीआई विभिन्न विक्रेताओं से अधिग्रहित किऐ गऐ थे ओर इस प्रकार इसे एक पृथक डील माना गया जिसके लिए ओएनजीसी के पास ₹ 5000 करोड़ की निवेश क्षमता है, अत: इसके लिए सीसीईए से स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब भी निवेश ₹ 300 करोड़ से अधिक होगा सीसीईए की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी न तो परियोजना लागत के अर्ध्वागामी सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है और न ही पीआई की अतिरक्त अधिग्रहण लागत के लिए।

6.8 निष्कर्ष

जेवी के निर्माण के संबंध में डीपीई दिशा-निर्देशों के अन-अनुपालन, बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों की उपस्थिति जहाँ जेवी निर्माण का मूल्यांकन वांछित था, जेवी के प्रबंधन और परिचालन में समुचित प्रतिनिधित्व और छमाही आधार पर डीपीई के लिए जेवी स्टेट्स प्रस्तुतिकरण के मामले देखने में आये। 158 जेवी में से जिनकी जानकारी प्राप्त हुई थी, 76 जेवी लाभ अर्जित कर रहे थे, 64 जेवी लगातार घाटे में थी और 18 जेवी ने केवल वर्ष 2016-17 में लाभ अर्जित किया किंतु हानि भी संचित की।

---

[65] यूएस $ 165 मिलियन अधिग्रहण लागत के रूप में तथा यूएस$ 245 मिलियन परियोजना लागत के रूप में।

[66] यूएसडी 561 मिलियन @66.0028 (30.12.2013)

6.9 संस्तुति

भारत सरकार जेवी के निर्माण तथा जेवी के प्रबंधन और परिचालन में प्रस्तुतिकरण के संबंध में डीपीई दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पर दबाव डाल सकती है। संबंधित सीपीएसईज का निदेशक मंडल डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

डीपीई भारी उद्योग के सार्वजनिक उद्यमो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की उपर्युक्त सिफारिशों (मार्च 2018) को स्वीकार कर लिया।

अध्याय VII

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन

7.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमई अधिनियम), 2006 अधिनियमित किया, जो जून 2006 से प्रभाव में आया। एमएसएमई अधिनियम 2006 के धारा 11 के अनुसार, केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में तथा एमएसएमई[67] द्वारा उपबंधित की गई नीतियों के संदर्भ में, आदेश द्वारा अधिसूचित कर सकती है, जिसका पालन उसके मंत्रालयों/विभागों/सहायता प्राप्त संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया जाना चाहिए। तद्नुरूप, केन्द्र सरकार ने, 'सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश के लिए सार्वजनिक खरीद नीति' अधिसूचित की जो 1 अप्रैल 2012 से प्रभाव में आई और 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गई।

नीति की मुख्य विशेषता निम्नानुसार है:

- प्रत्येक सीपीएसईज़ सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र से 20 *प्रतिशत* की वार्षिक खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। 01 अप्रैल 2015 से न्यूनतम 20 *प्रतिशत* के समग्र खरीदी लक्ष्य के साथ 20 *प्रतिशत* में से 4 *प्रतिशत* का उपलक्ष्य अनु जा/अजजा द्वारा अधिकृत एनएसई से खरीद के लिए चिन्हित करके रखना है।
- एमएसई बोली मूल्य L1+15 *प्रतिशत* मूल्य बैंड के अंतर्गत, यदि L1 एमएसई से भिन्न है तो L1 मूल्य पर संविदा मूल्य की 20 *प्रतिशत* आपूर्ति अनुमत की जा सकती है, यदि एमएसई द्वारा L1 तक मूल्य कम किया गया है।

---

[67] ***सार्वजनिक खरीद नीति केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर लागू थी।***

- सरकारी खरीद में एमएसई भागीदारी को बढ़ाने हेतु, सीपीएसईज़ एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता विक्रेता बैठक विशेषत: अजा/अजजा उद्यमियों के लिए संचालित करे।

7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इस तथ्य की जांच करना था कि क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधान प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित किये जा रहे है या नहीं।

7.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान इन सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के साथ अनुपालन की समीक्षा के लिए 18[68] केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) का नमूना चयन किया।

7.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड में 23 मार्च 2012 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिसूचित एमएसएमई (विकास) अधिनियम, 2006, सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 तथा विकास आयुक्त (डीसी (एमएसएमई)) के कार्यालय से समय-समय पर जारी परिपत्र/निदेश शामिल थे।

---

[68] *तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), राष्ट्रीय इसपात निगम लिमिटेड (राईट्स), नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), नूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (तेल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)*

7.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.5.1 एमएसई से अनिवार्य खरीद

सार्वजनिक नीति आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति आदेश, 2012 के खंड 3 के अनुसार, 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी सीपीएसईज़ को उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 *प्रतिशत* अनिवार्य रूप से एमएसई से क्रय करना है। नीति का खंड 4 उप लक्ष्य का 20 *प्रतिशत* (अर्थात कुल खरीद का 4 *प्रतिशत*) अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा अधिकृत एमएसई से खरीदने के लिए चिन्हित करता है।

18 चयनित सीपीएसईज़ में इस खंड के अनुपालन की जांच की गई और निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई:

क) विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने सभी सीपीएसईज़ को यह स्पष्ट किया (मार्च 2016) कि वर्ष में उनके द्वारा वर्ष के दौरान की गई कुल खरीद की गणना करते समय किसी भी मद की लागत को छोड़ा न जाऐं। इसके बावजूद भी, लेखापरीक्षा में जांचे गऐ 18 सीपीएसईज़ में से 9 ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुपालन में रिपोर्ट करते समय उनकी कुल वार्षिक खरीद के 27 से 96 *प्रतिशत* के बीच की विशिष्ट मदें[69] शामिल नहीं की जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

[69] ***सीपीएसईज़ द्वारा छोड़े गए आइटम ईंधन, इस्पात, सीमेंट, लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, बॉयलर कोयला, आयातित पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्री केंट, कम्प्रेसर, टरबाइन, बॉयलर, कन्वेयर बेल्ट, फर्नेल ऑयल आदि थे।***

तालिका: 7.1

एमएसई से अनिवार्य खरीद करने की रिपोर्ट करते समय शामिल नहीं की गई मदों का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

सीपीएसईज़ का नाम	2015-16			2016-17		
	2015-16 के दौरान की गई वार्षिक खरीद का वास्तविक कुल	कुल वार्षिक खरीद में शामिल नहीं की गई मदों/वस्तुओं का मूल्य	कुल खरीद में छोड़ी गई मदों का प्रतिशत	2016-17 के दौरान की गई वार्षिक खरीद का वास्तविक कुल	कुल वार्षिक खरीद में शामिल नहीं की गई मदों/वस्तुओं का मूल्य	कुल खरीद में छोड़ी गई मदों का प्रतिशत
एनटीपीसी	108414.29	103948.80	**95.88**	88527.70	84549.30	**95.50**
आरआईएनएल	10500.96	8994.69	**85.65**	10459.42	8310.57	**79.45**
एनएमडीसी	378.41	264.56	**69.91**	356.85	259.17	**72.62**
एसएआईएल	7750.98	4539.05	**58.56**	7431.53	4185.11	**56.31**
गेल	2793.74	777.74	**27.83**	4756.98	1618.20	**34.01**
बॉमर लॉरी	2253.66	2171.30	**96.34**	2438.04	2320.03	**95.15**
एनआरएल	6498.43	6076.23	**93.50**	6905.16	6447.32	**93.36**
आईओसीएल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24297.93	10787.56	**44.39**
एनएलसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	652.44	326.11	**49.98**

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराऐ गऐ रिकॉर्ड के अनुसार, सीपीएसईज़ में से छह ने उनकी कुल वार्षिक खरीद से मदों को शामिल न करने के लिए समीक्षा समिति से छूट मांगी थी। तथापि, जुलाई 2016 में समीक्षा समिति द्वारा केवल आरईएनएल को इस शर्त पर छूट प्रदान की गई कि आरआईएनएल शेष खरीद का न्यूनतम 35 से 40 *प्रतिशत* एमएसई से खरीदेगा, जिसके प्रति 2016-17 के दौरान आरआईएनएल केवल 25 *प्रतिशत* प्राप्त कर सका।

ख) शेष नौ सीसीएसई में से, छह सीपीएसईज़ (भेल, एचपीसीएल, एनएचडीसी, नाल्को, सीएसएल तथा बीपीसीएल) ने एमएसई से 20 *प्रतिशत* खरीद का लक्ष्य प्राप्त किया; जबकि तीन सीपीएसईज़ (ओएनजीसी, ओआईएल, सीआईएल) ने एमएसई से 5 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* खरीद की। यह भी देखा गया कि चयनित 18

सीपीएसईज़ में से कोई भी अजा/अजजा उद्यमियों से 4 *प्रतिशत* की वार्षिक खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

ग) नीति का खंड 3(4) में यह प्रावधान है कि सीपीएसईज़ जो एमएसई से वार्षिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेगी उन्हें सचिव, एमएसएमई मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति के समक्ष कारण प्रस्तुत करने होंगे। समीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त की संवीक्षा करने से पता चला कि जो सीपीएसईज़ खरीद लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही उनमें से किसी ने भी समीक्षा समिति के समक्ष कारण प्रस्तुत नहीं किऐ।

मदों को शामिल न करने के लिए सीपीएसईज़ द्वारा निम्नलिखित कारण बताऐ गऐ:

- मद जैसे स्टील, सीमेंट, फर्नेस, टर्बाईन, हीट एक्सचेंजर, एअर इनटेक सिस्टम, बॉयलर, फर्नेस, कन्वेयर बेल्ट आदि तथा खुदाई योग्य सामग्री जैसे लौह-अयस्क, बॉयलर कोयला, कोकिंग कोल, डोलोमाईट तथा चूना पत्थर एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं थे।
- ओईएम स्पेयर भी ओईएम से अनिवार्य रूप से खरीदे जाने है। इसके अतिरिक्त गेल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमएसई से अनिवार्य 20 *प्रतिशत* खरीद की गणना करते समय शामिल न की मदों का मामला मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत है। तथापि, मंत्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है। आईओसीएल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि तेल क्षेत्र सीपीएसईज़ में कुल खरीद में कच्चे तेल और तेल उत्पाद शामिल नहीं किऐ गऐ, जो कि चिन्हाकिंत थी और विभिन्न फोरा में स्वीकार्य थी जिसमें एमएसएमई तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि उनके पास सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत एमएसई से अनिवार्य खरीद के 20 *प्रतिशत* लक्ष्य और चार *प्रतिशत* का उपलक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाली ऐजेंसियों को दंडित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। डीसी (एमएसएमई) ने इस बात पर जोर दिया कि सीपीएसईज़ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा नियंत्रित होते है तथा एमएस द्वारा खरीद प्राप्त करने में असफल रहने पर, सीपीएसईज़ की रेटिंग डीपीई द्वारा घटा दी जाती है।

यद्यपि, नीति के प्रावधानों का अनुपालन न कर पाने के कारण 2015-16 के दौरान डीपीई ने 15 सीपीएसईज़[70] की एमओयू रेटिंग एक अंक कम कर दी, इससे सीपीएसईज़ के निष्पादन पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। इन 15 सीपीएसईज़ में से 2016-17 के दौरान 9[71] का निष्पादन खराब रहा।

सिफारिश: नीति के कार्यान्वयन में सीपीएसईज़ को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उनके प्रकाश में एमएसएमई मंत्रालय को नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

7.5.2 एमएसई इकाइयों को बकाया देय

एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अनुसार जहाँ कोई एमएसई आपूर्तिकर्ता क्रेता को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करता है, क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत हुई तारीख तक या पूर्व भुगतान क्रेता द्वारा कर देना चाहिए, किसी भी मामले में यह अवधि स्वीकारिता की तिथि से 45 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि कोई क्रेता आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में असफल रहता हे तो, क्रेता निश्चित दिवस से चक्रवर्ती ब्याज देने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, 4 सितम्बर 2015 की कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सभी सीपीएसईज़ के लिए यह अनिवार्य है कि वे एमएसई को व्यापार देयो के विवरण अपने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रस्तुत करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जांची गई 18 सीपीएसईज़ में से आठ के पास एमएसई विक्रेताओं को बकाया देय लंबित थे। 31 मार्च 2017 को, इस सीपीएसईज़ द्वारा देय राशि का निम्नतालिका में दर्शाया गया है:

---

[70] ***ओएनजीसी, भेल, सीआईएल, आईओसीएल, एनआरएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एनएचडीसी, गेल, ऑयल, सीएसएल, एनएमडीसी, एनएलसी और सेल (15 सीपीएसईज़)***

[71] ***ओएनजीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एनआरएल, एनटीपीसी, गेल, ऑयल, एनएमडीसी और सेल (09 सीपीएसईज़)***

तालिका: 7.2
एमएसई को बकाया देय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ का नाम	एमएसई को देय सीपीएसईज़ पर बकाया राशि (31 मार्च 2017 को)
1.	एनटीपीसी	347.98
2.	भेल	233.43
3.	आईओसीएल	46.72
4.	सेल	38.12
5.	ओएनजीसी	12.15
6.	एनएलसी	8.84
7.	बीपीसीएल	0.47
8.	बॉमर लॉरी	1.05
	कुल	**688.76**

- एनटीपीसी की बकाया राशि में एक वर्ष से कम (कम्पनी ने 45 दिनों से अधिक और एक वर्ष कम के लिए बकाया राशियों का ब्रेक उपलबध नहीं कराया) के लिए ₹ 243.18 करोड़ की बकाया राशि शामिल है; एक से तीन वर्षों के लिए ₹ 79.43 करोड़ बकाया, तीन वर्षों से अधिक के लिए ₹ 25.37 और ₹ 0.11 करोड़ ब्याज के प्रति बकाया थे।
- सेल, एनएलसी, बॉलॉरी, आईओसीएल तथा बीपीसीएल में 45 दिनों से अधिक बकाया राशि क्रमश: ₹ 6.46 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 0.11 करोड़ तथा ₹ 0.47 करोड़ है। बॉमर लॉरी की बकाया राशि में केवल ब्याज की राशि शामिल है।
- भेल और ओएनजीसी ने 45 दिनों से अधिक की बकाया राशि का ब्रेक उपलब्ध नहीं कराया।

लेखापरीक्षा ने पाया एमएसई का पंजीकरण न होना, अनुचित बिलिंग, प्रतिधारण धन और प्रतिभूति का जारी न किया जाना आदि बकाया राशि के कारण थे।

एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि सभी स्टेशन/परियोजनाओं को शर्तों के अनुसार एमएसई को भुगतान करने में शीघ्रता करने की सलाह दी गई है।

सिफारिश: एमएसएमई मंत्रालय को प्रक्रिया में आशोधन करने के लिए सीपीएसईज़ को निदेश देने चाहिए ताकि एमएसई को समयानुसार भुगतान किया जाऐ।

7.5.3 सीपीएसईज़ द्वारा संचालित विक्रेता विकास कार्यक्रम

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 9 में प्रावधान है कि सीपीएसईज़ द्वारा खरीद में अजा/अजजा अधिकृत सहित एमएसई में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता सम्मेलन संचालित करने चाहिए।

सीपीएसईज़ द्वारा कुछ विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किऐ गऐ। ओएनजीसी ने एमएसई हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जबकि बॉमर लॉरी ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तथा आरआईएनएल ने पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान केवल एक कार्यक्रम संचालित किया। यह देखा गया कि नीति आयोग की सलाह पर एक वित्त वर्ष में ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने के लिए, विशेषत: एक अजा/अजजा उद्यमी को शामिल करने के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित करने लिए डीसी (एमएसएमई) द्वारा निदेश जारी किये गये है। इन निदेशों के बावजूद, 18 सीपीएसईज़ में से आठ ने अजा/अजजा उद्यमियों के लिए कोई विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित नहीं किया।

डीसी (एमएसएमई) ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि समुचित विक्रेता विकसित करने के लिए सीपीएसईज़ को संवेदनशील बनाने हेतु समय-समय पर अनुस्मारक पत्र परिचालित किऐ गऐ है।

सिफारिश: मंत्रालय द्वारा विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु टर्नओवर वार न्यूनतम लक्ष्य शामिल करना चाहिए।

7.5.4 एमएसई को क्रय प्राथमिकता

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 6 में प्रावधान है कि टेंडर में सहभाग करने और L1+15 *प्रतिशत* के मूल्य बैंड के अंतर्गत मूल्य उद्धृत करने वाले एमएसई को L1 मूल्य पर ठेका आवश्यकता के भाग की आपूर्ति, जहाँ L1 विक्रेता एमएसई से भिन्न

है, की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे एमएससी को कुल टेंडर मूल्य के 20 *प्रतिशत* की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि 11 सीपीएसईज़ नामत: गेल, सीआईएल, नालको, बॉमर लॉरी, ओएनजीसी, बीपीसीएल एनएचडीसी, एनएलसी, सेल तथा ओआईएल ने इस खंड का अनुपालन किया। उपरोक्त वर्णित सीपीएसईज़ द्वारा खरीद प्राथमिकता खंड का पालन करने के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल 5553[72] एमएससी लाभान्वित हुऐ।

शेष सात सीपीएसईज़ में से, छह सीपीएसईज़ नामत: आईओसीएल, भेल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, आरआईएनएल तथा एनआरएल ने एमएसई को विक्रय प्राथमिकता के संबंध में जानकारी का रखरखाव नहीं किया जबकि एक सीएसएल ने इसे लागू नहीं किया।

7.5.5 गैर-एमएसई विक्रेता से आरक्षित मदों की खरीद

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 11 के अनुसार सीपीएसईज़ को एमएसई से 358 मदों की खरीद करनी है। उनकी प्रगति और वृद्धि को सहायता देने देने के लिए एमएसई से विशेष खरीद के लिए इन मदों को आरक्षित किया गया है। डीसी (एमएसएमई) ने एमएसई से विशेष रूप से खरीदने हेतु 350 मदों के लिए संबंधित आईटीसीएचएस कोड[73] उपलब्ध किये है।

इन पांच सीपीएसईज़ में रिकॉर्ड की नमूना जांच करने से पता चला कि 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान गैर- एमएसई विक्रेताओं से उन्होने आरक्षित मदों की भारी मात्रा खरीदी:

गेल ने ₹ 356.51 करोड़ की कीमत की आरक्षित मदें खरीदी जबकि आईओसीएल ने गैर-एमएसई विक्रेताओं से ₹ 100.12 करोड़ की राशि की आरक्षित मदें खरीदी।

भेल तथा एनटीपीसी ने भी गैर-एमएसई विक्रेताओं से आरक्षित मदों खरीदी।

---

[72] ***सीपीएसईज़ वार सं. एमएसई लाभांवित किए गए थे सेल-2971, ओएनजीसी-2132, एनएमडीसी-164, गेल-118, एनएचडीसी-116, एनएलसी-23, सीआईएल-11, बीपीसीएल-7, ऑयल-6, बाम लॉरी-3 और नालको-2***

[73] ***भारतीय व्यापार वर्गीकरण संतुलित प्रणाली संहिता***

यह देखा गया कि एनएचडीसी ने 350 आरक्षित मदों के आईटीसीएचएस कोड की पहचान करने हेतु ईआरपी सिस्टम आशोधित नहीं किया। ऐसी विशिष्ट पहचान का अथाव में, एमएसई विक्रेता से आरक्षित मदों की खरीद से खरीद कार्मिक के विशेषधिकार पर अननुपालन का जोखिम बढ़ जाएगा।

उनके उत्तरों में, सीपीएसईज़ ने गैर-एसएमई विक्रेताओं से आरक्षित मदों खरीदने के लिए निम्नलिखित कारण बताऐं:

- आवश्यक मदों के लिए एमएसई विक्रेता डाटाबेस अनुपलब्ध होना।
- 358 आरक्षित मदों की सूची जेनेरिक है और इस प्रकार, तकनीकी कारणो के कारण एमएसई से इतर विक्रेताओं से कभी कभी खरीदे गऐ।
- समीक्षा समिति को गैर-एमएसई विक्रेता से सूची गत मदों की खरीद की जानकारी देने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश: एमएसएमई मंत्रालय को सीपीएसईज़ को अजा/अजजा अधिकृत एमएसई सहित एमएसई विक्रेताओं की सूची उपलब्ध करानी चाहिए और नीति के कार्यान्वयन की सहूलियत के लिए आरक्षित मदों की सूची को और अधिक निदर्शी बनाना चाहिए।

7.5.6 शिकायत सेल की स्थापना

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 को खंड 13 सरकारी खरीद में एमएसई की शिकायतों के निवारण के लिए एमएसएमई मंत्रालय में शिकायत निवारण सेल की स्थापना का प्रावधान करता है। इस सेल का कार्य संबंधित विभागों या एजेंसियों के साथ एमएसई द्वारा उठाये गये सरकारी खरीद संबंधी मामलों को उठाना था।

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान डीसी (एमएसएमई) में कुल 2253 शिकायतें (250: इंटरनेट शिकायत निगरानी तंत्र, 193 सीपी ग्राम तथा 1810 पत्र) प्राप्त हुई। तथापि, इनमें से केवल तीन शिकायतें शिकायत सेल के माध्यम से पहुंची।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत और ई-मेल के द्वारा प्राप्त शिकायतों के विवरणों का डीसी (एमएसएमई) द्वारा रखरखाव नहीं किया गया। आईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में, यह देखा गया कि संबंधित जो

शिकायते सीपीएसईज़ द्वारा अग्रेषित की गई थी, उक्त शिकायतों पर संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा जी जाने वाली कार्यवाही निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि उसे पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया।

डीसी (एमएसएमई) ने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि शिकायत सेल द्वारा जिन शिकायतों पर निपटान करने की आवश्यकता थी वे निर्णय के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। सभी शिकायतों का निपटान शिकायत सेल द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि कुछ शिकायतें नियमित प्रकृति की थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ शिकायतें शिकायत सेल के माध्यम से नहीं आई थी यद्यपि गंभीर प्रकृति की शिकायतें निम्नलिखित उदाहरणों मे देखी जा सकती है:

- भारत संचार निगम लिमिटेड निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उन ठेकेदारो को अनुमत कर रहा था जो एमएसएमई (आईजीएमएस, शिकायत सं. सीजी 00001155, 14 सितम्बर 2016) में समुचित वर्ग में पंजीकृत नहीं थे।
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने एमएसई बोलीदाताओं को ईएमडी जमा कराने से छूट प्रदान नहीं की। (आईजीएमएस, शिकायत सं. सीजी 00001582, 8 नवम्बर 2016)।
- आईओसीएल के निविदाओ में महिला वर्ग के अंतर्गत पंजीकृत एमएसई को भाग लेने की अनुमति नहीं दी (आईजीएमएस, शिकायत सं. डब्ल्यूबी 00000049, मई 2016)।

सिफारिश: डीसी (एमएसएमई) को शिकायतों/व्यथा के अंतिम निष्कर्ष पर जानकारी का रखरखाव करना चाहिए।

7.5.7 अन्य मामलें

- सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय ने प्रत्येक सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया (अप्रैल 2012) कि नीति के कार्यान्वयन और शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। तथापि, मार्च 2017 तक, डीसी (एमएसएमई) द्वारा संपर्क किये गये 277 सीपीएसईज़ में से केवल 155 अर्थात 56 *प्रतिशत* ने ही नोडल अधिकारी नियुक्त

किये। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि सीपीएसईज़ को उपयुक्त नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के खंड 8 के अनुसार सीपीएसईज़ एमएसई से वार्षिक खरीद योजना तैयार करें और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करें। 18 चयनित सीपीएसईज़ की आधिकारिक वेबसाईट की संवीक्षा करने से पता चला कि, आठ सीपीएसईज़ (एनएलसी, आईओसीएल, आरआईएनएल, भेल, सेल, ओएनजीसी, बॉमर लॉरी तथा सीआईएल) ने एमएसई से वार्षिक खरीद योजना अपलोड नहीं की। अन्य तीन सीपीएसईज़ (एनएचडीसी, गेल तथा बीपीसीएल) ने 2016-17 तक की अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड की जबकि सीएसएल ने केवल 2013-14 तक की अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड की थी।

- सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के खंड 5 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसईज़ को एमएसई से खरीद के संबंध में निश्चित लक्ष्यों की तथा उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में इन लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि रिपोर्ट देनी थी। रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि चयनित 18 सीपीएसईज़ में से, पांच (एनएमडीसी, सीएसएल, सीआईएल, ओएमजीसी तथा बॉमर लॉरी) ने उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्टों में न तो निर्धारित लक्ष्यों की और ना ही प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट दी। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि सीपीएसईज़ को नीति के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक खरीद नीति के अनुवर्ती कार्रवाई में डीसी (एमएसएमई) समस-समय पर सीपीएसईज़ से पत्राचार और उन्हें खरीद डाटा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। तथापि, यह देखा गया कि पहले तीन वर्षों अर्थात 2012-13 से 2014-15 में जब नीति अनिवार्य नहीं थी 39 से 48 *प्रतिशत* सीपीएसईज़ ने डीसी (एमएसएमई) को उत्तर दिया। 2015-16 से नीति के अनिवार्य हो जाने के बाद भी सीपीएसईज़ की प्रतिक्रिया में परिवर्तन नहीं आया। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि नीति के अंतर्गत, प्रतिवादी सीपीएसईज़ को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

- डीसी (एमएसएमई) द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार सीपीएसईज़ की कुल सं. 277 है। यह जानकारी, तथापि, अद्यतित नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ की संख्या 277 (31 मार्च 2013 तक) से बढ़कर 320 (31 मार्च 2016 तक) हो गई थी। डीसी (एमएसएमई) ने इसलिए, पिछले पांच वर्षों के दौरान नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी सीपीएसईज़ से संपर्क नहीं किया, यद्यपि यह 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गया है। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) में यह कहा कि सीपीएसईज़ की कुछ संख्या के संबंध में जानकारी सार्वजनिक उद्यम विभाग से एकत्रित की जा रही है। डीसी (एमएसएमई) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ की कुछ संख्या संबंधी वर्ष वार जानकारी सार्वजनिक उद्यम विभाग के वार्षिक सर्वेक्षण में उनकी आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध थी जो कि डीसी (एमएसएमई) को सहजता से प्राप्त हो सकती थी।

सिफारिश: एमएसएमई विभाग सीपीएसईज़ द्वारा नीति के अनुपालन को लागू करने के लिए समुचित प्रावधान सम्मिलित करें।

7.6 निष्कर्ष

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का लक्ष्य सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई से खरीद में तेज़ी लाना था। 18 सीपीएसईज़ के नमूना खरीद की संवीक्षा से पता चला कि इस नीति के वास्तविक कार्यान्वयन में कई कमियाँ थी। एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की निर्दिष्ट *प्रतिशत* खरीद नीति के अनुपालन की रिपोर्ट करते हुऐ नौ सीपीएसईज़ खरीद की प्रमात्रा शामिल नहीं कर रहे थे। लेखापरीक्षा में जांची गई कुछ सीपीएसईज़ ने एमएसई से खरीद का 20 *प्रतिशत* का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया। कोई भी सीपीएसईज़ अजा/अजजा उद्यमियों के एमएससी से खरीद का 4 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। कुछ सीपीएसईज़ में एमएसई को देय काफी बकाया जबकि ऐसे भुगतान 45 दिनों के अंदर किये जाने अनिवार्य है। एमएसई से खरीद के लिये निर्धारित मदे लेखापरीखा में नमूना जांच की गई चार सीपीएसईज़ द्वारा गैर एमएसई से खरीदी जा रही थी। कुछ विक्रेता विकास कार्यक्रम कुछ सीपीएसईज़ द्वारा संचालित किऐ गऐ। आठ सीपीएसईज़ ने एमएसई से वार्षिक खरीद योजना अपलोड नहीं की और पांच सीपीएसईज़ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एमएसई से खरीद के लक्ष्य और प्राप्ति की रिपोर्ट नहीं दी। डीसी

(एमएसएमई) द्वारा लक्षित सीपीएसईज़ की संख्या गलत (दिनांकित जानकारी होने के कारण) थी जबकि मंत्रालय द्वारा स्थापित शिकायत निवारण सेल ने खराब कार्य किया। गैर-शिकासत सीपीएसईज़ को दंडित करने के लिए नीति में प्रावधानों की कमी डीसी (एमएसएमई) द्वारा चिन्हित की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीई द्वारा अवनति (सीपीएसईज़ की एमओयू रेटिंग में घटौती के माध्यम से) नीति की गैर-कार्यान्वयन के प्रति प्रभावी निवारक के रूप में सिद्ध नहीं हो पाया।

अध्याय VIII

चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) में भारतीय लेखांकन स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन का प्रभाव

8.1 प्रस्तावना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी (भारतीय लेखाकरण स्टैण्डर्ड) नियमावली, 2015 (16 फरवरी 2015) तथा कम्पनी (भारतीय लेखाकरण स्टैण्डर्ड) (संशोधन) नियमावली, 2016 (30 मार्च 2016) के माध्यम से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 41 भारतीय लेखाकरण स्टैण्डर्ड (इंड-एएस) अधिसूचित किऐ। एक इंड-एएस, इंड-एएस 115-ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को स्थगित कर दिया गया है। तदनुरूप, 40 इंड-एएस 31 मार्च 2017 को लागू है। 40 इंड-एएस की सूची **परिशिष्ट-XXI** में दी गई है। भारतीय लेखाकरण स्टैण्डर्ड नियमावली ने इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप निर्धारित किया है, जिसके अनुसार इंड-एएस को एक चरणबद्ध तरीके से वित्त वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया जाना था। इंड-एएस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग स्टैण्डर्डस (आईएफआरएस) पर बनाया गया है जो भारतीय सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (आईजीएएपी) फ्रेमवर्क से मुख्यत: तीन आयामों अर्थात उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप पर अभिसारित और तुलनपत्र पर ज़ोर के रूप में भिन्न था।

8.2 इंड-एएस का कार्यान्वयन

इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरण निम्नानुसार है:

(क) चरण ।

31 मार्च 2016 की तुलनात्मक आंकड़ों के साथ इंड-एएस 01 अप्रैल 2016 को या बाद में आरंभ होने वाली अवधि के लिए निम्नलिखित कम्पनियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगें:

कम्पनियाँ जिनकी निवल संपत्ति कीमत और/या ऋण प्रतिभूति भारत या विदेश में

किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में है और उनकी निवल सम्पत्ति ₹ 500 करोड़ या अधिक है।

उपरोक्त में शामिल हुई के अतिरिक्त कम्पनियाँ जिनकी निवल सम्पत्ति ₹ 500 करोड़ या अधिक है।

उपरोक्त में शामिल हुई कम्पनियों की नियंत्रित, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनियाँ ।

(ख) चरण ॥

इंड-एएस 31 मार्च 2017 तथा इसके बाद समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक आकडों सहित 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रारंभ अवधि के लिए निम्न कम्पनियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा:

कम्पनियाँ जिनकी निवल सम्पति तथा/अथवा ऋण प्रतिभूति भारत में या भारत से बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है अथवा सूचीबद्ध होनी प्रक्रियाधीन है तथा निवल संपत्ति ₹ 500 करोड़ से कम है। चरण । तथा ॥ में कवर कम्पनियों के अलावा असूचीबद्ध कम्पनियाँ जिनकी निवल सम्पति ₹ 250 करोड़ से अधिक तथा ₹ 500 करोड़ से कम है।

उपरोक्त कम्पनियों की नियंत्रित, सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कम्पनियां।

(ग) बैंकिंग कम्पनियों, गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एनबीएफसी) तथा बीमा कम्पनियों पर के लिए प्रयोज्यता इंड-एएस 1 अप्रैल 2018 से बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एनबीएफसी) के संबंध में तथा 01 अप्रैल 2020 से बीमा कम्पनियों के संबंध में लागू होगा।

(घ) स्वैच्छिक अंगीकरण

कम्पनियाँ 31 मार्च 2015 अथवा इसके बाद की समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मकता के साथ 01 अप्रैल 2015 या उसके बाद से प्रारंभ लेखांकन अवधि के लिए इंड-एएस को स्वैच्छिक रूप से अपना सकती है। तथापि, एक बार उनके इंड-एएस के अनुसार रिपोर्टिंग करना आरंभ कर देने पर आईजीएएपी के अनुसार रिपोर्टिंग वापिस नही कर सकते।

(ड़) भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम

भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम के मामलें में, इंड-एएस के अनुसार एकल वित विवरणों की तैयारी की आवश्यकता नही है तथा इसके बजाय अपने अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं को जारी रखा जाए। तथापि, इन इकाईयों को समेकित इंड-एएस लेखाओं को तैयार करने के लिए अपनी भारतीय मूल कम्पनी को अपने इंड-एएस समायोजित संख्या को रिपोर्ट करना होगा।

8.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कम्पनियों वाले 67 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईज़), जिन्होने 01 अप्रैल 2016 से अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी में इंड-एएस को अपनाया, के एकल वित्त विवरण लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए चयनित किये गए है। उनके राजस्व, कर के बाद लाभ (पीएटी), निवल संपत्ति तथा सीपीएसईज़ की कुल परिसंपत्तियों पर इंड-एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा की गई थी। वित्तीय विवरणों के उपरोक्त अवयवो पर प्रभाव को राजस्व स्वीकृति, वित्तीय दस्तावेजों तथा संपत्ति संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई), का मूल्यांकन, कर्मचारी लाभों की गणना तथा व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप परिवर्तनों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया था।

8.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

इंड-एएस 101- इंड-एएस का प्रथम बार अंगीकरण अपेक्षा करता है कि इकाई को उल्लेखित करना चाहिए कि आईजीएएपी से इंड-एएस पारगमन ने इसके तुलन पत्र, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया था। इस आवश्यकतानुसार सभी कम्पनियों ने तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण पर इंड-एएस के अंगीकरण के प्रभाव को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु अपने वित्तीय विवरणों के नोटस के माध्यम से प्रकट किया। 31 मार्च 2016 तथा 01 अप्रैल 2015 को आईजीएएपी के अनुसार इक्विटी को उस तिथि पर इंड-एएस के अनुसार इक्विटी के साथ समाधान किया गया हैं। लेखापरीक्षा ने वित्तीय विवरणों तथा लेखाओं के सहायक नोटस में इन प्रकटीकरणों की डेस्क समीक्षा की। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष डेस्क समीक्षा पर आधारित है। कार्यान्वयन का प्रभाव की उस तिथि को आईजीएएपी के अनुसार उन

अवयवो के तदनुरूपी मूल्य की तुलना में इंड-एएस के अनुसार 31 मार्च 2016 को लेखापरीक्षा में समीक्षित वित्तीय विवरण के विशेष अवयवो के मूल्य में या तो वृद्धि या कमी को प्रस्तुत किया जाता है।

8.5 इंड-एएस के प्रथम बार अंगीकरण की समीक्षा

इंड-एएस 101 - इंड-एएस का प्रथम बार अंगीकरण प्रक्रियाओं का निर्धारित करता है कि जो कम्पनी को प्रथम बार इंड-एएस अंगीकरण के दौरान अनुसरण करने की आवश्यकता है। प्रथम बार इंड-एएस अंगीकरण के दौरान, वित्तीय परिणामों में, पूर्व आईजीएएपी से इंड-एएस को पारगमन के कारण तुलन पत्र तथा लाभ तथा हानि विवरण के महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने के लिए शेयरधारियों को सक्षम करने के लिए आईजीएएपी के अनुसार इंड-एएस से इक्विटी तथा निवल लाभ/हानि के अनुसार, अपनी इक्विटी तथा निवल लाभ/हानि समाधान शामिल होगा।

इंड-एएस 101 में अंतर्निहित सिद्धांत है कि प्रथम बार अपनाने वाला वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करे जैसे कि उसने सदा इंड-एएस को लागू किया गया था। तथापि इसने अनिवार्य अपवादों तथा स्वैच्छिक अपवादों नाम के इंड-एएस के पूर्ण पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों के दो प्रकार के अपवाद की अनुमति दी। अनिवार्य अपवाद का संबंध इंड-एएस 101 - इंड-एएस 109- वित्तीय दस्तावेज तथा इंड-एएस 110- समेकित वित्तीय विवरण के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से है।

पारमगन तिथि[74] से लागू स्वैच्छिक अनुवाद निम्न हैः

(i) इंड-एएस 103 - व्यवसाय संयोजन

एक कम्पनी गत व्यवसाय संयोजनो के लिए पूर्वव्यापी इंड-एएस 103 को लागू न करने का चयन कर सकती है। तथापि, यदि वह कम्पनी इंड-एएस 103 के आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए किसी व्यवसाय संयोजन को दोहराती है तो यह सभी भावी व्यवसाय संयोजनो को दोहराएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 67 चयनित सीपीएसईज़ में से 8 सीपीएसईज़ ने इंडएएम को

[74] ***इंड एएस में अंतरण की तिथि उस अवधि का आरंभिक काल होगा जिसके लिए कोई कंपनी प्रथम इंड ए एस में इंड ए एस के अंतर्गत पूर्ण तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। विश्लेषण के अंतर्गत कंपनियों के लिए अंतरण की तिथि 01 अप्रैल 2015 है।***

103 उत्तरव्यापी लागू किया जबकि 2 सीपीएसईज़ ने गत व्यवसाय संयोजनों के लिए इसे पूर्वव्यापी लागू किया।

(ii) इंड-एएस 116 - सम्पति, संयंत्र तथा उपस्कर

प्रथम बार अपनाने वाला उचित मूल्य[75] पर इंड-एएस के पारगमन की तिथि पर अपनी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) की एक मद की माप का चयन कर सकता है तथा उस उचित मूल्य को उस तिथि पर अपनी मानित लागत[76] के रूप में उपयोग कर सकता है अथवा अपनी आईजीएएपी मूल कीमत पर मापने का चयन कर सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 67 चयनित सीपीएसईज़ में से 65 सीपीएसईज़ ने मूल लागत पर पीपीई लागत का चयन किया जबकि 2 सीपीएसईज़ (बीएसएनएल तथा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने आंशिक उचित मूल्य तथा आंशिक मूल लागत आधारित पीपीई कीमत का चयन किया है।

इंड-एएस 16 परिसंपत्तियों की लागत को जोडने अथवा कटौती के लिए विखण्डन, पुन: स्थापन अथवा समान देयताओं में विशिष्ट परिवर्तन की अपेक्षा करना है। परिसंपतियों की समायोजित मूल्यह्रास योग्य राशि तब उसके शेष उपयोगी कार्यकाल में अनुपातित मूल्यह्रास की जाती है.। इंड-एएस को प्रथम बार अपनाने वाले को ऐसी देयताओं में परिवर्तनो के लिए इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नही है जो पारगमन की तिथि से पूर्व घटित हुई। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि 26 सीपीएसईज़ ने अनुपातिक रूप से परिसंपतियों के विखण्डन के मूल्य लागत का चयन किया जबकि 3 सीपीएई ने पूर्वव्यापी लागू परिसंपत्तियों के विखण्डन का चयन किया।

---

[75] *अंकित मूल्य परिमापन तिथि पर बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति के विक्रय पर प्राप्त या किसी देनदारी के अंतरण के लिए भुगतान किऐ गये मूल्य को कहा जाता है।*

[76] *एक राशि जो एक दी गई तारीख पर लागत के लिए कृत्रिम रूप से या अवमूल्यन लागत के रूप में प्रयोग की जाती है। उत्तरवर्ती अवमूल्यन या ऋण परिशोधन से यह माना जाता है कि सत्व ने एक निश्चित तारीख पर किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान कर ली है तथा इसकी लागत अनुमानित लागत के बराबर थी।*

(iii) इंड-एएस 27 –पृथक वित्तीय विवरण

जब कोई कम्पनी पृथक वित्तीय विवरण तैयार करती है तो, इंड-एएस 27 या तो लागत पर या इंड-एएस 109 (वित्तीय दस्तावेज: मान्यता एवं माप) के अनुसार सहायक कम्पनियों, संयुक्त नियंत्रित इकाइयों तथा सहयोगी कम्पनियॉं में अपने निवेश का लेखांकन करने की अपेक्षा करता है। यदि प्रथम बार अपनाने वाला इंड एस 27 के अनुसार लागत पर ऐसे निवेश की माप करता है तो यह उस निवेश की या तो इंड-एएस 27 के अनुसार निर्धारित लागत या अपने पृथक प्रारंभिक इंड-एएस तुलन पत्र में मानित लागत की माप करेगा। ऐसे निवेश की मानित लागत पारगमन की तिथि पर उसके उचित मूल्य अथवा उस तिथि को मूल लागत आईजीएएपी के अनुसार होगी।

लेखापरीक्षा समीक्षा ने दर्शाया कि 67 चयनित सीपीएसईज़ में से 42 सपीएसई ने मूल लागत पर सहायक कम्पनियों, संयुक्त नियंत्रित उद्यमों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश मापने का चयन किया।

(iv) इंड-एएस 17 - पट्टे

एक कम्पनी मूल्यांकन कर सकती है कि क्या पारगमन तिथि पर विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पट्टे पर पारगमन तिथि पर एक प्रबंध विद्यमान है, जहाँ प्रभाव अनावश्यक होना प्रत्याक्षित है, को छोड़कर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 67 चयनित सीपीएसईज़ में से 21 सीपीएई ने पारगमन तिथि से अपने वित्तीय विवरणों में इंड-एएस के अनुसार पट्टे वर्गीकरण को अपनाया।

(v) इंड-एएस 109 – वित्तीय दस्तावेज

एक कम्पनी तथ्यों एवं परिस्थितियों जो इंड-एएस की पारगमन तिथि पर विद्यमान है के आधार पर इंड-एएस 109 के अनुसार लाभ अथवा हानि (एफवीटीपीएल)[77] से उचित मूल्य पर निर्धारण के रूप में वित्तीय परिसंपति नामित कर सकती है। इसके अलावा, एक कम्पनी तथ्यों एवं परिस्थितियों जो इंड-एएस के पारगमन की तिथि को विद्यमान

[77] ***लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता वह वित्तीय परिसम्पत्ति या वित्तीय देयता होती है जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी को पूर्ण करती हो (क) यह वर्गीकृत हो क्योंकि इसे ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है (ख) इसे सत्त्व द्वारा लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य द्वारा प्रारंभिक पहचान पर अभिहीत किया जाता है।***

हैं, के आधार पर इंड-एएस 109 के अनुसार अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई)[78] के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में एक इक्विटी दस्तावेज में एक निवेश नामित कर सकती है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दिखाया कि 67 चयनित सीपीएसईज़ में से 19 सीपीएसईज़ ने एफवीओसीआई पर इक्विटी मूल्यांकन का चयन किया जबकि 7 सीपीएसईज़ ने एफवीटीपीएल पर इक्विटी मूल्यांकन किया।

(vi) इंड-एएस 21 –विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

एक कम्पनी विद्यमान भारतीय जीएएपी के अनुसार पूर्व वित्तीय विवरणों में मानित दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से उत्पन्न वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई पूर्व नीति के साथ जारी रह सकती है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि 67 सीपीएसईज़ में से 17 सीपीएसईज़ ने विद्यमान भारतीय जीएएपी के अनुसार ने पूर्व वित्तीय विवरणों में मानित दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लेखांकन के पूर्व नीति के साथ जारी रहने को अपनाया।

सीपीएसईज़ द्वारा उठाए गए लाभ की विभिन्न छुट/विकल्पों का विवरण **परिशिष्ट-XXII** में दिया है। .

8.6 चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इंड-एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव

इंड-एएस का कार्यान्वयन कर बाद लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्तियां तथा निवल संपत्ति के मूल्यांकन पर प्रभावित कर सकता हैं। इंड-एएस के अंगीकरण के समय पर सीपीएसईज़ द्वारा लिए गए विकल्पों पर निर्भर मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। समीक्षा के लिए चयनित 67 सीपीएसईज़ के संबंध में उपरोक्त लेखा क्षेत्रों पर कार्यान्वनय के प्रभाव की समीक्षा के परिणाम नीचे दिये हैः

---

[78] *एक वित्तीय परिसंपत्ति का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए यदि (i) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत संघटित की गई है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय दोनों से प्राप्त किया जाता है और (ii) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें विशिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाह को बढ़ा देती है जो मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का एकल भुगतान है।*

8.7 कर बाद लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में इंड-एएस के कार्यान्वयन की समीक्षा ने दर्शाया किया कि इंड-एएस के अपनाने के परिणास्वरूप रक्षा क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, पॉवर क्षेत्र तथा जहाजरानी क्षेत्र में सीपीएसईज़ के लाभ में वृद्धि हुई थी। तथापि, संचार क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र, धातू क्षेत्र तथा खनन क्षेत्र में सीपीएसईज़ के लाभ में कमी हुई थी। सीपीएसईज़ के पीएटी पर क्षेत्रवार प्रभाव नीचे तालिका 8.1 दिया गया है।

तालिका 8.1 कर बाद लाभ पर इंड-एएस के अपनाने का क्षेत्रवार प्रभाव

क्षेत्र	कवर कम्पनियों की सं.	पीएटी में कमी (₹ करोड़ में)	पीएटी में वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
संचार	3	-979.26	58.42	-920.84
रक्षा	4	-54.05	345.93	291.88
उर्जा	10	-2462.13	1007.93	-1454.20
उर्वरक	2	-18.59	1.53	-17.06
इन्फ्रास्ट्रक्चर	11	-25.30	437.83	412.53
घातू	4	-183.08	171.85	-11.23
खनन	15	-1459.70	367.80	-1091.90
पॉवर	6	-153.95	536.65	382.70
जहाजरानी	6	-71.68	402.80	331.12
अन्य	6	-3.16	179.18	176.02

कम्पनियों के पीएटी में ₹ 412.53 करोड़ की समग्र अधिकत्तम वृद्धि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में देखी गई थी जबकि कम्पनियों के पीएटी में ₹ 1454.20 करोड़ की समग्र अधिकतम कमी ऊर्जा क्षेत्र में देखी गई थी। समीक्षा के लिए चयनित 67 सीपीएसईज़ में से, 39 सीपीएसईज़ (58 प्रतिशत) के मामलें में, इंड-एएस अपनाने के परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि हुई जबकि 28 सीपीएसईज़ (42 प्रतिशत) के मामलें में लाभ में कमी हुई है।

इंड-एएस के अपनाने के कारण लाभ में कटौती ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संबंध में सबसे अधिक थी जिसने प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें यह प्रचालित थी, पर विचार

करते हुए भारतीय रूपये से युनाईटेड स्टेट डॉलर को कार्यात्मक मुद्रा[79] में परिवर्तन के प्रभाव के कारण मुख्य रूप से ₹ 1835 करोड़ (89.10 *प्रतिशत*) के लाभ की कमी दर्ज की।

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उचित मूल्य आधार पर संपति, संयंत्र तथा उपस्करों के मूल्यांकन के कारण मुख्य रूप से ₹ 375.99 करोड़ (99.66) प्रतिशत के लाभ में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

8.8 पीएटी में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देयताओं की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन उद्यमों के पीएटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। पीएटी में वृद्धि करने वाले कारको के लेखापरीक्षा विशलेषण ने दर्शाया कि इंड-एएस एएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप करों के बाद उनके लाभ में वृद्धि पश्च रोजगार लाभों की देयताओं की मूल्यांकन विधि में परिवर्तन, निवेशों तथा आस्थगित करों के लेखांकन के तरीकों में परिवर्तन और पुर्जों के पूंजीकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों पर हानि की मान्यता के लिए इंड-एएस के अनुसार विभिन्न मानदण्डों को अपनाने से उत्पन्न हुई। मुख्य कारक जिनके कारण सीपीएसईज़ के लाभ में कमी हुई, आस्थगित कर की मान्यता की विधि में परिवर्तन, पश्च रोजगार लाभों की देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन, किए जाने को अपेक्षित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों और नियामक बकायों[80] का लेखाकरण में वृद्धि थे।

इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसईज़ के पीएटी में वृद्धि निम्नलिखित कारकों के कारण थी:

---

[79] ***कार्यकारी मुद्रा प्रमुख आर्थिक वातावरण की वह मुद्रा है जिसमें सत्व प्रचालन करता है।***

[80] ***नियामक आस्थगन खाता शेष व्यय या आय की वह राशि है जो अन्य स्टैण्डर्ड के साथ परिसंपत्ति या देयता के अनुरूप पहचानी नहीं जाती, लेकिन आस्थगित करने के लिए अर्हक होती है क्योंकि मूल्य निर्धारण में दर नियामक द्वारा राशि इसमें शामिल होती है या शामिल होने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे एक सत्व कीमत नियंत्रित वस्तु और सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से वसूल कर सकता है।***

(i) सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण लाभ में वृद्धि

सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताओं के माप के कारण अर्जित अंतर आईजीएएपी के तहत वर्ष के लाभ अथवा हानि का हिस्सा बनता है। तथापि इंड-एएस के तहत ऐसे अंतर यानि बीमांकिक लाभ अथवा हानि तथा योजना परिसंपतियों पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि के बजाय 'अन्य व्यापक आय' के तहत मानित थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने पश्च रोजगार लाभों के प्रति देयताओं के लेखांकन की विभिन्न विधि के कारण इंड-एएस को अपनाने पर इसके लाभ में ₹ 671.69 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

(ii) स्थगित करों की मान्यता के कारण लाभ में वृद्धि

इंड-एएस 12 - आय कर को तुलन पत्र तथा उसके कर आधार में परिसंपत्ति तथा देयता की राशि के बीच नये अस्थायी अन्तरों पर स्थगित कर की पहचान करना अपेक्षित है। आईजीएएपी के तहत इसकी आवश्यकता नही थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) की हानि इंड-एएस -12 में निर्धारित स्थगित कर की पहचान की नई विधि के कारण ₹ 295.11 करोड़ तक कम हो गई।

(iii) लाभ तथा हानि से उचित मूल्य पर निवेश के मापन के कारण लाभ में वृद्धि

सभी वित्तीय परिसंपतियाँ तथा वित्तीय देयताएँ आईजीएएपी के तहत लागत पर ली जाती हैं जबकि इंड-एएस के तहत, निश्चित वित्तीय परिसंपतियाँ तथा वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर[81] लागू परिशोधित लागत[82] पर बाद में मापी जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि परिशोधित लागत पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मापन के परिणामस्वरूप ₹ 232.53 करोड़ के कर बाद लाभ में वृद्धि है। यह राशि आईजीएएपी के अनुसार कम्पनी के पीएटी का 11.59% है।

---

[81] *प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की सकल धारित राशि को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के अनुमानित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य नकद भुगतानों या प्राप्तियों में डिस्काउंट करता है।*

[82] *राशि जिस पर वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का मापन प्रधान चुकौती में से आरंभिक स्वीकरण घटा कर, प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुऐ आरंभिक राशि और परिपक्व राशि के बीच अंतर में से संचयी ऋण परिशोधन जमा या घटाने और वित्तीय परिसंपत्ति के लिए किसी हानि अनुमतता के समायोजन पर किया जाता है।*

(iv) पीपीई के रूप में पुर्जों के पूंजीकरण के कारण लाभ में वृद्धि

मशीनरी पुर्जे जो एक विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) के लिए निर्दिष्ट है आईजीएएपी के तहत पीपीई की लागत के लिए पूंजीगत किए जाते है। ऐसे पुर्जों का प्रतिस्थापन लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित है। अन्य पुर्जे इनकी खरीद पर इनवेन्ट्री में शामिल किए गए थे तथा खपत पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किए जाते है। तथापि, इंड-एएस के तहत, सभी महत्वपूर्ण पुर्जे जो संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की परिभाषा को पूरा करते है, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रूप में पूंजीगत किए जाते है तथा अन्य मामलों में पुर्जे खरीद पर इन्वेन्ट्री में लिए जाते हैं तथा खपत पर लाभ एवं हानि के विवरण को प्रभारित किए जाते है। लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का लाभ में इंड-एएस के कार्यान्वयन पर पुर्जों के मूल्यांकन की उपरोक्त प्रणाली को अपनाने के कारण ₹ 38.11 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

(v) व्यापार प्राप्तियों की हानि के कारण लाभ में वृद्धि

आईजीएएपी के तहत व्यापार प्राप्तियों पर किये गए प्रावधान इस तर्क पर आधारित था कि जिसने कम्पनी की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है, जबकि इंड-एएस के तहत व्यापार प्राप्तियों की हानि प्रत्याक्षित क्रेडिट हानि[83] पर मान्य होनी चाहिए। इंड-एएस 109- वित्तीय दस्तावेज उधारकर्ता के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि पर आधारित जीवन काल प्रत्याशित क्रेडिट हानि अथवा 12 महीने प्रत्याशित क्रेडिट हानि के समान राशि पर ऋणों (अन्य वित्तीय परिसंपत्ति) पर हानियों की हानि मोल को मानने के लिए इकाइयों से अपेक्षा करना है। मूल्यांकन की इस विधि को अपनाने के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने देखा कि हिन्दूस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के लाभ ₹ 11.51 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

---

[83] ***अनुमानित क्रेडिट हानि हो रहे डिफॉल्ट के संबंधित जोखिम के साथ क्रेडिट हानि का भारित औसत होता है क्योंकि वेट्स जहां क्रेडिट हानि अनुबंध के अनुपालन में सत्त्व के कारण सभी अनुबंधित प्रवाह के बीच का अंतर हो या सभी नकद प्रवाह जो सत्त्व को प्राप्त होने का अनुमान हो।***

इंड-एएस के कार्यान्वयन पर लाभ में कमी निम्न कारणों से हुई:

(i) नियामक आस्थगित लेखा में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ में कमी

कुछ इकाइयों ने ,संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अमूर्त परिसंपत्तियां की मदों को रखा जो उपयोग की गई अथवा नियामक निकायों द्वारा दरों के निर्धारण के अध्यधीन प्रचालन में पूर्व में उपयोग की गई थी। ऐसी मदों की वहन राशि में वह राशि में सम्मिलित हो सकते है जो पूर्व जीएएपी के तहत निर्धारित की गई थी परन्तु इन मदों को इंड-एएस के तहत पूंजीकरण के लिए अर्हक नहीं माना जा सकता। लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड कम्पनी के मामलें में कम्पनी के लाभ में नियामक आस्थगित लेखा बकायों में उतार-चढाव के कारण ₹ 906.34 करोड़ तक की कमी हुई।

(ii) स्थगित करों की पहचान के कारण लाभ में कमी

इंड-एएस 12 - आयकर का प्रयोग से तुलन पत्र तथा उसके कर आधार में एक परिसंपत्ति अथवा देयता की वहन राशि के बीच नये अस्थायी अंतरों पर स्थगित कर की पहचान अपेक्षित है। यह आईजीएएपी के तहत एक आवश्यकता नही थी। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के मामलें में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी का लाभ इंड-एएस के अपनाने के समय पर स्थगित कर की पहचान के कारण ₹ 143.84 करोड़ तक कम हो गया।

(iii) सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताओं के निर्धारण में परिवर्तनो के कारण लाभ में कमी।

आईजीएएपी के तहत, सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताओं में परिवर्तन का मूल्य वर्ष के लाभ अथवा हानि का भाग बनता है, जबकि इंड-एएस के तहत ऐसे मूल्यांकन यानि उपचित लाभ तथा हानि एवं योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि के बजाए अन्य व्यापक आय के तहत माने जाते हैं। भारत हेवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड (बीएचईएल) के मामलें में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी का लाभ सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण ₹ 116.65 करोड तक कम हो गया।

(IV) व्यय के प्रावधानों में वृद्धि के कारण लाभ में कमी

साईट पुन: स्थापन बाध्यता, भारी सविंदाओं तथा वारंटी व्यय के संबंध में इंड-एएस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान बनाए जाने है। इसके कारण प्रावधनों में वृद्धि हुई तथा कम्पनी के लाभों में परिणामी कमी हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के लाभ ऐसे प्रावधानो के परिणामस्वरूप इंड-एएस के अपनाने के कारण ₹ 111.18 करोड तक कम हो जाए।

8.9 राजस्व की बुकिंग पर इंड-एएस के अपनाने के प्रभाव

इंड-एएस 18 - राजस्व, राजस्व के लेखांकन के लिए लागू इंड एएम है। इंड एएस18 के तहत राजस्व की परिभाषा सभी आर्थिक लाभों को कवर करती है जो इकाई की गतिविधियों के दौरान सामान्यतया प्राप्त होते है जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य भागीदारों से अंशदान से संबंधित वृद्धि की अपेक्षा निवल सम्पत्ति में वृद्धि हुई। तथापि आईजीएएपी के अनुसार (एएस 9- राजस्व मान्यता) के अनुसार राजस्व नकदी के सकल अन्तर्वाह, प्राप्यों अथवा सेवाएं प्रदान करने से तथा ब्याज, रॉयल्टी तथा लाभांश उत्पन्न करने वाले उद्यम संसाधनों के अन्यों द्वारा प्रयोग से साधारण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अन्य प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में समीक्षाधीन 67 सीपीएसईज़ में से 45 सीपीएसीई (67 प्रतिशत) ने इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व पर समायोजन किये। इन सीपीएसी में से 20 सीपीएसईज़ (44 प्रतिशत) ने वृद्धि सूचित की तथा 25 सीपीएसईज़ (56 प्रतिशत) ने राजस्व में कमी सूचित की। सीपीएसईज़ के राजस्व पर क्षेत्रवार प्रभाव नीचे तालिका 8.2 में दिया है।

तालिका 8.2: राजस्व पर इंड-एएस के पारगमन का क्षेत्रवार प्रभाव

क्षेत्र	कवर कम्पनियों की सं.	राजस्व कमी (₹ करोड़ में)	राजस्व में वृद्धि (₹करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
संचार	3	-153.84	0	-153.84
रक्षा	4	-75.54	397.44	321.90
उर्जा	10	-794.26	30485.44	29691.18

उर्वरक	2	-408.08	28.03	-380.05
इन्फ्रास्ट्रक्चर	11	-8.65	100.91	92.26
धातू	4	0	1613.09	1613.09
खनन	15	-130.34	1221.22	1090.88
पॉवर	6	-7.13	337.01	329.88
जहाजरानी	6	-35.02	18.09	-16.93
अन्य	6	-1135.26	3.12	-1132.14

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनियों के राजस्व में ₹ 29691.18 करोड़ की समग्र अधिकतम वृद्धि उर्जा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ में देखी गई थी जबकि राजस्व में ₹ 1132.14 करोड की समग्र अधिकतम कमी अन्य क्षेत्र में शामिल कम्पनियों के संबंध देखी गई।

नीचे दिए गए सीपीएसईज़ के राजस्व में वृद्धि के कारणों की लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्नवत दर्शाया हैः

(i) उत्पाद शुल्क के लेखांकन के कारण राजस्व में वृद्धि

आईजीएएपी के तहत राजस्व उत्पाद शुल्क के निवल को माना जाता है जबकि इंड-एएस के तहत, राजस्व को उत्पाद शुल्क में सम्मिलित माना जाता है। परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क को इंड-एएस के तहत एक व्यय के रूप में लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि बीपीसीएल ने इंड-एएस के अनुसार राजस्व को मानने के दौरान उत्पाद शुल्क को शामिल करने के कारण राजस्व में ₹ 29,490.13 करोड़ (15.57 प्रतिशत) की वृद्धि सूचित की।

(ii) इलैक्ट्रिसिटी शुल्क के लेखांकरण के कारण राजस्व में वृद्धि

विद्युत की बिक्री से राजस्व प्रदत इलैक्ट्रिसिटी शुल्क का निवल आईजीएएपी के तहत माना जाता है। तथापि इंड-एएस-18 के अनुसार, राजस्व इलैक्ट्रिक शुल्क सहित माना जाता है। परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र में कम्पनियों के विद्युत बिक्री से राजस्व इलैक्ट्रिक शुल्क सहित लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है तथा इलैक्ट्रिक शुल्क इंड-एएस के तहत एक व्यय के रूप में अलग से दर्ज किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के तहत एनटीपीसी द्वारा मानित विद्युत की बिक्री से राजस्व अन्य व्यय

शीर्ष के तहत इलैक्ट्रिसिटी शूल्क में तदनुरूपी वृद्धि सहित ₹ 729.20 करोड़ तक बढ़ गया।

(iii) राजस्व तथा व्यय की मान्यता में समापन विधि की प्रतिशता के उपयोग के कारण राजस्व में वृद्धि

पूर्ण सेवा संविदा विधि[84] दी गई सेवाओं के मामलें में आईजीएएपी के तहत राजस्व तथा व्यय की मान्य विधि में से एक है। तथापि, इंड-एएस 18 केवल पूर्ण विधि[85] की प्रतिशता को लागू कर सेवाओं से राजस्व की मान्यता की अपेक्षा करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईजीएएपी के तहत केवल एक यात्रा पूरी करने पर माल भाड़ा एवं प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय यानि बंकर प्रभार, पोर्ट देय, कार्गो हेंडलिंग व्यय आदि को मान्यता दी। तथापि इंड-एएस के कार्यान्वयन पर, कम्पनी ने कुल यात्रा अवधि में से कट ऑफ तिथि पर यात्रा की पूर्ण अवधि के आधार पर समापन विधि प्रतिशता के अनुसार आनुपातिक के रूप में माल भाडे को मान्यता दी। साथ ही कट आफ डेट तक किए गए प्रचालन खर्चे यात्रा की कुल अवधि की तुलना में यथानुपात आधार पर दर्ज कि गए। इंड-एएस के अपनाने पर उपरोक्त समायोजन के परिणामस्वरूप, कम्पनी का राजस्व तथा लाभ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 3.75 करोड़ तक बढ़ गया।

(iv) अनुमान आधार पर लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन के लेखांकन के कारण राजस्व वृद्धि

आईजीएएपी के तहत, लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन जैसे थोक छूट आदि को किए गए वास्तविक दावा के आधार पर राजस्व से अलग किए जाते हैं। तथापि इंड-एएस के तहत, ऐसी छूट अनुमान के आधार पर राजस्व से अलग की जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंडियन ऑयल कम्पनी के संबंध में इंड-एएस के तहत प्रोत्साहन के लेखांकन की इस विधि को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ तक राजस्व वृद्धि हुई।

---

[84] *पूर्ण सेवा अनुबंध विधि लेखांकन की वह विधि है जो लाभ और हानि विवरण में राजस्व को केवल तब मान्य करती है जब अनुबंध के अंतर्गत सेवा प्रदान किया जाना पूर्णरूप से या काफी हद तक पूर्ण हो चुका हो।*

[85] *पूर्णता प्रतिशतता विधि लेखांकन की वह विधि है जो राजस्व को तब मान्य करती है जब लेखांकन अवधि में सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। इस आधार पर राजस्व की मान्यता से अवधि के दौरान सेवा कार्यकलाप तथा प्रदर्शन के परिमाण पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।*

लेखापरीक्षा में देखे गए राजस्व कमी के कारण निम्न है।

(i) बिक्री कर तथा चुंगी के लेखांकन के कारण राजस्व में कमी

आईजीएएपी के तहत राजस्व को बिक्री कर तथा चुंगी सहित प्रस्तुत किया जाता है। इंड-एएस 18 के तहत, राजस्व लाभ तथा हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे बिक्री कर तथा चुंगी के परिणामस्वरूप बिक्री कर तथा चुंगी का निवल प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के तहत बिक्री कर तथा चुंगी के लेखांकन के अंतर के परिणामस्वरूप ₹ 823.43 करोड़ तक ओएनजीसी के कुल राजस्व तथा व्यय में कमी हुई।

(ii) राजस्व मान्यता के समय के कारण राजस्व में कमी

माल की बिक्री से राजस्व को आईजीएएपी के तहत मान्यता तभी दी जाती है जब माल वास्तविक रूप से विक्रेता द्वारा प्रेषित किया जाता है। इंड-एएस के तहत, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ माल विक्रेता के परिसर से प्रेषित हो जाता है परन्तु विक्रेता ऐसे माल पर प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण को तब तक जारी रखता जब तक माल खरीददार के परिसर में नही पहुँच जाता तब राजस्व की मान्यता को आस्थगित किया जाता है। राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब माल खरीददार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के तहत राजस्व मान्यता की इस प्रणाली को अपनाने से हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड द्वारा आस्थगित बिक्री पर मुनाफे को समाप्त करने के परिणामस्वरूप कम्पनी के राजस्व में ₹ 4.38 करोड़ तक की कमी हुई।

8.10 परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव

परिसंपत्तियों के कुल मूल्य इंड-एएस 16- संपत्ति, संयंत्र, तथा उपस्कर (पीपीई), इंड-एस 38- अमूर्त परिसंप्तियाँ, इंड-एएस 32- वित्तीय दस्तावेजः प्रस्तुतीकरण, इंड-एएस 109- वित्तीय दस्तावेज तथा इंड-एएस 40 - निवेश संपत्ति के अंतर्गत आईजीएएपी की तुलना में निर्धारित लेखांकन की विधि में अंतर के कारण इंड-एएस के कार्यान्वयन पर प्रभावित होते हैं। इंड-एएस के प्रथम बार अंगीकरण के संबंध में इंड-एएस 101 नें इंड-एएस को पारगमन की तिथि को आईजीएएपी के तहत मापित वित्तीय विवरणों में यथा मानित उनके सभी पीपीई के मूल कीमत के साथ जारी रखने का चयन करने के लिए प्रथम बार

अंगीकारकर्ता को अनुमति प्रदान की, तथा डी कमीशनिंग देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तिथि पर इसकी मानी गई लागत के रूप में मूल कीमत की अनुमति दी। यह छूट इंड-एएस 38- अमूर्त परिसंपत्तियों तथा इंड-एएस 40- निवेश संपत्ति के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए भी उपयोग की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने आईजीएएपी से इंड-एएस को पारगमन के कारण सीपीएसईज़ की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा की। लेखापरीक्षा में समीक्षा के अधीन 67 सीपीएसईज़ में से, 49 (73 प्रतिशत) कम्पनियों ने कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर समयोजन किया। इनमें मे, 29 सीपीएसईज़ (59 प्रतिशत) ने मूल्य में वृद्धि सूचित की तथा 20 सीपीएसईज़ (41 प्रतिशत) ने इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में कमी सूचित की।

सीपीएसईज़ की कुल परिसंपत्तियों पर क्षेत्रवार प्रभाव तालिका 8.3 में दिए गया है।

तालिका 8.3 कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर इंड-एएस के अंगीकरण का क्षेत्रवार प्रभाव

क्षेत्र	कवर कम्पनियों की सं.	कुल परिसंपतियों के मूल्य में कमी (₹ करोड़ में)	कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
संचार	3	0	73560.66	73560.66
रक्षा	4	-1181.95	85.96	-1095.99
उर्जा	10	-1088.14	1796.31	708.17
उर्वरक	2	-73.52	0	-73.52
इन्फ्रास्ट्रक्चर	11	-123.91	372.39	248.48
धातू	4	-2894.54	2262.65	-631.89
खनन	15	-566.66	2813.16	2246.50
पॉवर	6	-15.35	519.06	503.71
जहाजरानी	6	0	15501.72	15501.72
अन्य	6	-5.26	15.19	9.93

सीपीएसईज़ की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 73560 करोड़ की समग्र अधिकतम वृद्धि संचार क्षेत्र में सीपीएसईज़ के मामलों में देखी गई थी जबकि परिसंपत्तियों के कुल मूल्य में ₹ 1095.99 करोड़ की समग्र अधिकतम कमी रक्षा क्षेत्र में सीपीएसईज़ के मामलों में देखी गई थी।

परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के कारणों की लेखपरीक्षा में समीक्षा ने निम्न दर्शाया:

(i) पीपीई की मान्यता नीति में परिवर्तन के कारण कुल परिसंपत्तियों में वृद्धि

इंड-एएस के अनुसार स्पेयर पार्टस, सेवा उपस्कर तथा अतिरिक्त उपस्कर जो पीपीई की परिभाषा को पूरा करते है पीपीए के रूप में माने जाने चाहिए और मालसूची के रूप में नहीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखांकन की इस विधि के परिणामस्वरूप पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज पीपीई का मूल्य इंड-एएस के अंगीकरण के ₹ 45.32 करोड तक बढ़ गया।

(ii) उचित मूल्य पर पीपीई के मापन के कारण कुल परिसंपत्तियों में वृद्धि

समीक्षा के लिए चयनित 67 सीपीएसईज़ में से, भारत संचार निगम लिमिटेड ने इंड-एएस के अनुसार उचित मूल्य पर अपनी संपत्ति, प्लांट तथा उपस्कर का मापन किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आईजीएएपी के अंतर्गत मूल लागत के स्थान पर इंड-एएस में उचित मूल्यांकन के अंगीकरण के परिणामस्वरूप कम्पनी ने 31 मार्च 2016 को पीपीई के मूल्य में ₹ 69,445.48 करोड़ की वृद्धि को माना।

(iii) विखण्डन के प्रावधानो के कारण तेल तथा गैस परिसम्पत्तियों के मूल्य में समायोजन के कारण कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि

आईजीएपी के तहत परिसंपत्तियों के विखण्डन के लिए किए गए प्रावधानों के मापन में छूट अपेक्षित नही है जबकि इंड-एएस के तहत, इन प्रावधानों को छूट मूल्य पर मापित किया जाता है, यदि धन का समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी विदेश ने इंड-एएस 101 के अनुसार एच्छिक छूट का लाभ उठाते हुए पारगमन तिथि पर विखण्डन प्रावधनों की माप की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 938.85 करोड तक परिसंपत्तियों के विखण्डन के लिए किए गए प्रावधानों में वृद्धि हुई तथा 1 अप्रैल 2015 को ₹ 852.32 करोड़ तक तेल तथा गैस परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई।

इंड-एएस के कार्यान्वयन पर कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के कारण निम्न हैः

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के समायोजन के कारण कुल परिसंपत्तियों में कमी

आईजीएएपी के तहत वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन लागत पर होती हैं जबकि इंड-एएस के तहत, वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के मूल्य शोधन लागत पर मापे जाते हैं जिसमें "प्रभावी ब्याज दर" का उपयोग शामिल है। प्रभावी ब्याज लागू करने में, इकाई फीस की पहचान करती है जो वित्तीय दस्तावेज की प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न हिस्सा है। वित्तीय देयताओं के लिए, इंड-एएस को पारगमन की तिथि पर वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य उस वित्तीय देयता की नई शोधित लागत के रूप में माना गया है। यह समायोजन वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं जैसे प्राप्त प्रतिभूति जमा, प्रदत प्रतिभूति जमा, दीर्घ कालिक ऋण आदि पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमटीएनएल के संबंध में इंड-एएस के लागू करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त समायोजन के फलस्वरूप उसकी वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 4913.98 करोड़ तक तथा वित्तीय देयताओं के मूल्य में ₹ 4780.11 करोड़ की कमी हुई।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इंड-एएस का कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में परिवर्तन हुआ जैसा नीचे दिखाया गया हैः

(i) बैंक बकाया के वर्गीकरण के कारण परिसंपत्तियों पर प्रभाव

बैंक बकाया आईजीएएपी के अनुसार नकद तथा नकद समतुल्य का हिस्सा है। तथापि, इंड-एएस के अनुसार, केवल तीन महीने से कम मूल परिपक्वता वाले लघु अवधि बैंक जमा नकद तथा नकद समतुल्य का हिस्सा बनेंगे। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्गीकरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के ₹ 4682.37 करोड के बैंक जमा हुई जिसे इंड-एएस के अंतर्गत "वित्तीय परिसंपत्ति-चालू नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़ कर बैंक बकाया" के रूप में वर्गीकृत किये जा रहे भारतीय जीएएपी में नकद तथा नकद समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किए गए थे।

(ii) परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण

आईजीएएपी के तहत, भूमि के पट्टों को प्रचालन पट्टे तथा वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नही किया जाता है क्योकिं इसके लिए कोई निर्धारित विशिष्ट लेखांकन पद्धति नही थी। तदानुसार, ऐसे सभी पट्टो को स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया था। इसके अलावा आईजीएएपी के अंतर्गत सन्निहित पट्टो को मान्य करने के लिए कोई मार्गनिर्देश नहीं था। तथापि इंड-एएस के तहत भूमि के कुछ पट्टो को इंड-एएस 17- पट्टे के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय पट्टे माना गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के अंगीकरण पर पीपीई के वित्तीय पटटे के रूप में कुछ व्यवस्थाओं को मानने तथा प्रमुख मरम्मतों तथा पूंजीगत शेयरों के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के संबंध में ₹ 1,662.67 करोड़ तक पीपीए के मूल्य में वृद्धि हुई।

8.11 निवल संपत्ति पर इंड-एएस के अंगीकरण का प्रभाव

निवल संपति किसी कम्पनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मूल्य के बीच भिन्नता है। निवल संपत्ति (इक्विटी) प्रदत शेयर पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि तथा प्रतिभूति प्रीमियम लेखा, संचित हानियों का कुल मूल्य, आस्थगित व्यय तथा बट्टे खाते न डाले गए विवध व्यय को कुल मूल्य से कम करके निकाला जाता है। मुक्त आरक्षित निधि में परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन, मूल्यह्रास एवं विलय के अवलेखन से सृजित आरक्षित शामिल नहीं होते हैं।

इंड-एएस के परिग्रहण इंड-एएस को पारगमन की तिथि पर इंड-एएस तुलन पत्र खोलने की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आदेश देता है। लेखांकन नीतियां जिन्हे एक इकाई अपने तुलन पत्र खोलने में प्रयोग करता है वे उन से भिन्न हो सकती है जिन्हें आईजीएएपी का प्रयोग करते हुए उस तिथि को उपयोग किया गया। इंड-एएस 101 - इंड-एएस का प्रथम बार अंगीकरण के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2015 को आईजीएएपी तुलन पत्र में प्रस्तुत की तुलना में 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की राशि के बीच कोई अंतर, इंड-एएस तुलन पत्र में प्रतिधारित लाभ के अंतर्गत निवल संपत्ति में माना जाना है।

सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति पर इंड-एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव की लेखापरीक्षा में निर्धारण में दिखाया कि समीक्षा के अधीन 67 सीपीएसईज़ में से, 44 सीपीएसईज़ (66 प्रतिशत) ने निवल संपत्ति में वृद्धि सूचित की तथा 21 सीपीएसईज़ ने निवल संपत्ति में (31 प्रतिशत) की कमी सूचित की। सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति पर क्षेत्रवार प्रभाव तालिका 8.4 में दिया है।

तालिका 8.4 निवल संपत्ति पर इंड-एएस के अंगीकरण का क्षेत्रवार प्रभाव

क्षेत्र	कवर कम्पनियों की सं.	निवल सम्पत्ति में कमी (₹ करोड़ में)	निवल सम्पत्ति में वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में
संचार	3	-414.03	58792.54	58378.51
रक्षा	4	-1399.67	444.92	-954.75
उर्जा	10	-1321.53	41619.74	40298.21
उर्वरक	2	-12.29	84.10	71.81
इन्फ्रास्ट्रक्चर	11	-875.57	893.06	17.49
धातू	4	-89.74	328.26	238.52
खनन	15	-6079.61	1359.85	-4719.76
पॉवर	6	0	5029.36	5029.36
जहाजरानी	6	-709.73	350.98	-358.75
अन्य	6	-120.01	101.20	-18.81

संचार क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ के संबंध में सीपीएसईज़ की निवल संपति में ₹ 58378.51 करोड़ की समग्र अधिकत्तम वृद्धि देखी गई थी जबकि खनन क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ के संबंध में ₹ 4719.76 करोड़ की निवल संपत्ति की समग्र अधिकतम कमी देखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने इंड-एएस के कार्यान्वयन पर सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति में वृद्धि/कमी के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों को देखा जो प्रस्तावित लाभांश का उलटाव, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के उचित मूल्यांकन एवं वित्तीय दस्तावेजों के निवेश, पुनः वर्गीकृरण, वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान और पैट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के डिप्लीशन की गणना की विधि में परिवर्तन थे।

लेखापरीक्षा में देखे गए निवल संपत्ति में वृद्धि के कारण निम्न हैं:

(i) दीर्घ कालिक निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण निवल संपत्ति में वृद्धि

दीर्घ कालिक निवेश को मूल्य में कमी घटाकर लागत पर आईजीएएपी के अंतर्गत मापित किया जाता है जो अस्थायी के अलावा है। तथापि इंड-एएस के तहत, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा कम्पनियों के इक्विटी दस्तावेजों में निवेश उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि पारगमन तिथि पर, ओएनजीसी ने 'अन्य व्यापक आय' (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर इन निवेशों का लेखांकन किया जिसके परिणामस्वरूप उनकी रोकी गई आय में (निवल संपत्ति) 1 अप्रैल 2015 तथा 31 मार्च 2015 को क्रमशः ₹ 10411.84 करोड़ तथा ₹ 11053.57 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

गेल के मामलें में, 'अन्य व्यापक आय' के माध्यम से इक्विटी शेयरों में निवेशों के उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उसकी निवल संपत्ति में 31 मार्च 2016 को ₹ 4259.24 करोड़ तक वृद्धि हुई।

(ii) प्रस्तावित लाभांश की लेखांकन प्रक्रियां में परिवर्तन के कारण निवल संपत्ति में वृद्धि

तुलन पत्र की तिथि के बाद तथा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांशों को आईजीएएपी के अंतर्गत समायोजन घटनाओं के रूप में माना गया था। तदनुसार प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान को देयता के रूप में माना गया था। तथापि, इंड-एएस के तहत, ऐसे लाभांशों को जब माना जाता है जब वे आम बैठक में पणधारियों द्वारा अनुमोदित होते है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2016 (1 अप्रैल 2015 को ₹ 532.98 करोड़) को ₹ 772.81 करोड के प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) के लिए प्रावधानों के अंतर्गत शामिल देयता निवल संपत्ति को तदनुरूपी समायोजन से प्रतिवर्तित किया गया था। फलस्वरूप, कम्पनी की निवल संपत्ति समतुल्य राशि तक बढ़ी।

इसके अलावा, एनटीपीसी के मामलें में, प्रस्तावित लाभांश के समायोजन के प्रभाव के परिणामस्वरूप अप्रैल 2015 को ₹ 1736.71 करोड़ तथा 31 मार्च 2016 को ₹ 1732.63 करोड़ तक निवल सम्पत्ति में वृद्धि हुई।

निवल संपत्ति में कमी के कारण निम्न थे:

(i) पूर्व अवधि समायोजनों के लेखांकन में परिवर्तन के कारण निवल संपत्ति में कमी

पूर्व अवधि त्रुटियां, जो महत्वपूर्ण हैं उनकी खोज के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के प्रथम सेट में इंड-एएस के प्रावधानों के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से सही किए जाने हैं। तथापि, आईजीएएपी के तहत एएस 5 केवल भावी प्रभाव से पूर्व अवधि मदो के परिशोधन की अपेक्षा करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के अंगीकरण पर पूर्व प्रभाव सहित पूर्व अवधि त्रुटि के परिशोधन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2015 को कोचिन शिपयार्ड लि. की निवल संपत्ति में ₹ 18.40 करोड़ तक की कमी हुई तथा 2015-16 के दौरान उसके निवल लाभ में ₹ 4.32 करोड़ तक की कमी हुई।

(ii) कर्मचारियों को दिये गए ऋणों की लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण निवल संपति में कमी।

कर्मचारियों को दिये गए ऋण आईजीएएपी के तहत पारगमन मूल्य पर वित्तीय विवरण में दर्ज किए गए थे। तथापि, इंड-एएस के तहत, कर्मचारियों को रियायत दर दिए गये ऋण प्रभावी ब्याज दर को अपनाते हुए शोधन लागत पर मान्य किए जाने अपेक्षित हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी विदेश लि. के प्रतिधारित अर्जन में ऐसे ऋणों तथा लेनदेन मूल्य की परिशोधित लागत के बीच अंतर के समायोजन के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2015 तथा 31 मार्च 2016 को क्रमशः ₹ 7.17 करोड़ तथा ₹ 6.99 करोड़ तक उसकी निवल संपत्ति में कमी हुई।

8.12 निष्कर्ष

इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन के प्रति उचित मूल्यांकन के उपयोग तथा अंतर्निहित संव्यवहारों के कानूनी रूप की अपेक्षा वास्तविक पर अधिक ध्यान में वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि चयनित सीपीएसईज़ के कर, बाद लाभ संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, वित्तीय निवेश तथा निवल संपत्ति के मूल्य इंड-एएस के अंगीकरण द्वारा प्रभावित हुए थे। इंड-एएस के अंतर्गत राजस्वों की पहचान की विधि में बदलाव ने भी सीपीएसईज़ द्वारा मान्य राजस्व को प्रभावित किया। जिन्हे इंड-एएस ने अपनाया

था। बदलावों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए चयनित सीपीएसईज़ के वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। इन बदलावों पर संबंधित सीपीएसईज़ के निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति के निर्धारण के दौरान उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस अध्याय पर कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के उत्तर (मार्च 2018) को संबंधित पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक : 09 जुलाई 2018

(अश्विनी अत्री)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 09 जुलाई 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैरा सं. 1.1.3 देखें)

सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जो 2016-17 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आई/से बाहर गई

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आई सरकारी कंपनियां	
1	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
4	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ माइनिंग वेंचर्स लिमिटेड
6	एपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
7	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	फतेहगढ़-भाडिया ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	गोवा तमनर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
11	हरिद्वार प्राकृतिक गैस प्राइवेट लिमिटेड
12	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
13	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
14	एचएलएल मेडीपार्क
15	भारत पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
16	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
17	इन्लैंड और कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
18	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
19	राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स सर्विसेज लिमिटेड
20	राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	एनईडीएफआई ट्रस्टी लिमिटेड
22	एनईडीएफआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड
23	एनएमडीसी-सेल लिमिटेड
24	रिन्युएबल पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
25	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
26	शॉगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
27	तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
28	डब्लूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आई सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां	
1	बीओबी ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड
2	भारत पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
3	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	वाधवा पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर गई सरकारी कंपनियां	
1	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा क्षेत्र से बाहर गई सरकार नियंत्रित कंपनियां	
1	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
2	राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड

परिशिष्ट II क

(पैरा सं. 1.1.3 तथा पैरा सं 2.3.2 देखें)

बकाया लेखे या परिसमापनाधीन कंपनी के ब्यौरे

क. सरकारी कंपनियां तथा निगम

क्र. सं.	क्षेत्र/पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लेखे 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
रसायन तथा उर्वरक		
**1	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**2	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	2014-15 से 2016-17
**3	आईडीपीएल तमिलनाडू (प्रा.) लिमिटेड	2010-11 से 2016-17
4	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	2016-17
**5	महाराष्ट्रा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**6	मनीपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	समाप्त
**7	आडिसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
8	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	2016-17
**9	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**10	द सदर्न पेस्टीसाईडस कॉपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नागर विमानन		
**11	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
12	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2016-17
13	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड	2016-17
14	एयर इंडिया लिमिटेड	2016-17
15	पवन हंस लिमिटेड	2016-17
वाणिज्य एवं उद्योग		
**16	टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
17	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	2016-17
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	2016-17
**19	इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
20	मीडिया लैब एशिया	2016-17
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		
**21	नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2016-17
वित्त		
**22	इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
23	इंडियन मैडीसन्स एंड फार्मास्यूटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
**24	भारत ब्रेक्स और वाल्व्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**25	भारत आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**26	भारत प्रोसेस और मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
27	भारत पंप्स एंड कॉम्प्रेसर लिमिटेड	2016-17
**28	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**29	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
30	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड	2016-17
31	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16;2016-17
32	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	2016-17
33	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2016-17
**34	माड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**35	खनन और एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
36	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2015-16;2016-17
**37	नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**38	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**39	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**40	टैनरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**41	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	2013-14 से 2016-17
42	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2016-17
**43	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13 से 2016-17
**44	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा		
**45	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस		
46	बीपीसीएल - केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	2016-17
ऊर्जा		
47	बैरा सीयुल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	2016-17
**48	बिजारा विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
**49	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
**50	गोवा तमनर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
51	नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2016-17
**52	शॉगटॉग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
**53	डब्लूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
रेलवे		
54	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2016-17
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग		
**55	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन

परिशिष्ट II क (जारी)

क्र. सं.	क्षेत्र/पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए
कपड़ा		
**56	ब्रुशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**57	कॉनपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	समाप्त
58	दि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17
**59	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	समाप्त
संघ राज्य क्षेत्र		
**60	चंडीगढ चाईल्ड एंड वूमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11 से 2016-17
61	चंडीगढ शेडयूल्ड कास्ट फाईनेशियल एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16;2016-17
शहरी विकास		
62	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17

**सीपीएसई जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थी या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

परिशिष्ट II ख

(पैरा सं. 1.1.3 देखें)

बकाया लेखे या परिसमापनाधीन/समाप्त कंपनी के ब्यौरे

ख. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्र. सं.	क्षेत्र/पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए
**1	एक्यूमेजर (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**2	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	समाप्त
**3	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड	समाप्त
**4	बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	समाप्त
**5	बीओबी ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
**6	एक्सेल्सियर्स प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**7	फ्लेवॉरिट स्पाइसिज ट्रेडिंग लिमिटेड	2012-13 से 2016-17
**8	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**9	गैस एंड पावर इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2013-14 से 2016-17
**10	भारत क्लियरिंग और डिपॉजिटरी सेवाएं	परिसमापनाधीन
**11	जम्मू कश्मीर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	समाप्त
**12	मिलेनियम सूचना प्रणाली लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**13	नालंदा सिरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	समाप्त
**14	पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	2012-13 से 2016-17
15	एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	2015-16; 2016-17
**16	उड़ीसा औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	समाप्त
**17	पजासी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
18	पीएनबी बीमा ब्रोकिंग लिमिटेड	2016-17
**19	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2014-15 से- 2016-17
20	रबड़ पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड	2016-17
21	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड	2015-16; 2016-17
**22	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**23	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
24	पश्चिम बंगाल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	2016-17

परिशिष्ट-III

(पैरा सं. 1.2.2.2 से संदर्भित हैं)

2016-17 के दौरान सरकारी कम्पनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों जिनकी कुल परिसम्पतियाँ दीर्घावधि बकाया ऋणों से कम थी की सूची

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्टस लिमिटेड
5	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
6	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	अंडमान फिशरिस लिमिटेड
9	अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फोरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड
11	सांभर साल्टस लिमिटेड
12	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
13	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
14	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
15	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड
16	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
17	भारत पेट्रो रिर्सोसिस जेपीडीए लिमिटेड
18	द ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड
19	बर्डस जूट और एक्सपोर्टस लिमिटेड
20	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
21	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
22	नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट IV
(पैरा सं. 1.3.2 देखें)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल सम्पत्ति	कर पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	निवल सम्पत्ति का 5%	कर पश्चात 30% लाभ	घोषित किए जाने को अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	कमी
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
रसायन और उर्वरक								
1	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	2925.02	179.26	60.69	146.25	53.78	146.25	85.56
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम								
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	180.58	27.39	4.89	9.03	8.22	9.03	4.14
ऊर्जा								
3	एनटीपीसी लिमिटेड	96231.23	9181.88	3941.34	4811.56	2754.56	4811.56	870.22
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36470.21	2126.39	1320.04	1823.51	637.92	1823.51	503.47
5	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	33325.59	6245.76	1382.44	1666.28	1873.73	1873.73	491.29
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
कृषि								
6	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	223.46	35.45	0	11.17	10.64	11.17	11.17
7	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	611.53	51.8	11.46	30.58	15.54	30.58	19.12
परमाणु ऊर्जा								
8	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	830.69	56.47	11.29	41.53	16.94	41.53	30.24
9	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	679.85	50.75	0	33.99	15.23	33.99	33.99
10	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	32674.31	2544.36	735.34	1633.72	763.31	1633.72	898.38
11	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2167.35	126.18	38.39	108.37	37.85	108.37	69.98
रसायन और उर्वरक								
12	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	158.14	30.33	2.43	7.91	9.10	9.10	6.67

परिशिष्ट IV (जारी)
(पैरा सं. 1.3.2 देखें)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल सम्पत्ति	कर पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	निवल सम्पत्ति का 5%	कर पश्चात 30% लाभ	घोषित किए जाने को अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	कमी
वित्त								
13	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	60590.08	3127.67	1002	3029.50	938.30	3029.50	2027.50
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम								
14	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	298.52	17.65	6.36	14.93	5.30	14.93	8.57
15	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	323.09	16.37	4.91	16.15	4.91	16.15	11.24
आवास और शहरी गरीबी उंमूलन								
16	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	9167.25	841.81	100.01	458.36	252.54	458.36	358.35
लघु उद्योग								
17	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	829.11	106.4	31.26	41.46	31.92	41.46	10.20
कपड़ा								
18	जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	113.61	9.2	2.76	5.68	2.76	5.68	2.92
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन								
19	दमन, दीव एवं दादरा और नगर हवेली लिमिटेड के सर्वग्राही औद्योगिक विकास निगम	118.74	14.73	0	5.94	4.42	5.94	5.94
जल संसाधन								
20	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	145.96	28.84	1.04	7.30	8.65	8.65	7.61
	कुल							**5456.56**

परिशिष्ट-V

(पैरा सं. 1.4.1 से संदर्भित हैं)

मार्च 2017 को ऋणात्मक निवल संपत्ति वाले सीपीएसई की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम	लाभांश से पहले निवल लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
1	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	234846.1	-91756.8	517492.6
2	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	29674.5	-99941.4	78000
3	हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड	19186.35	-29643.4	7171.91
4	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5377	-75051	30199
5	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	4146.05	-11471	2860.64
6	रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड	1494.44	-28908.6	15661.05
7	राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चर्ज कॉरपोरेशन लिमिटेड	475.33	-23262.6	5579.74
8	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	451.39	-10210	7696.04
9	एचएमटी चिनार वॉचस लिमिटेड	90.57	-58915.7	166.01
10	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.02	-0.88	10.74
11	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	9.05	-7.53	5
12	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0	-1.85	5
13	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.44	-5.59	5
14	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.6	-0.91	1
15	पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.61	-1938.26	5
16	झारखण्ड कोलहान स्टील लिमिटेड	-0.71	-0.26	1
17	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	-0.74	-197.47	5
18	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.75	-1.31	1
19	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.99	-3.85	1
20	सेल-बंगाल एलॉई कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	-1.08	-1.68	2
21	सूती टेक ऑपशनस लिमिटेड	-2.99	-23.9	50.26
22	छत्तीसगढ़ माइनिंग वेन्चर्स लिमिटेड	-4.5	-3.5	1
23	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-4.92	-1.68	5
24	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	-9.34	-268.21	5
25	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-9.48	-4.48	5

26	राईटस इन्फ्रस्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड	-10.06	-57.85	5
27	एचएलएल मेडिपार्क	-16.98	-6.97	10.01
28	भारत पेट्रो रिसोर्स जेपीडीए लिमिटेड	-86.49	-6161.61	6000
29	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-127.92	-1977.97	480
30	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-171	-949	100
31	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंडस	-174.3	-257.81	2
32	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-211.08	-484.02	489.96
33	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर फंड लिमिटेड	-253.3	-315.66	2
34	अंडमान फिशरीस लिमिटेड	-300.9	-2382.13	100
35	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैण्डलूमस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-305.67	-299.76	850
36	एचएमटी (बीयरिंगस) लिमिटेड	-365.98	-12235.5	3770.91
37	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-379.26	-222.72	1050
38	बर्डस जूट एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड	-485.16	-12245	39.48
39	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-488.56	-6855.38	1961.46
40	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-598.79	-2465.36	498.61
41	आईओसी-क्रेडा बायो फ्यूल्स लिमिटेड	-627.24	-21.44	2491.35
42	सांभर साल्टस लिमिटेड	-855.35	-3291.74	100
43	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-1046.08	-1074.31	1957
44	बीको लॉरी लिमिटेड	-1234.1	-6116.54	7476.32
45	फ्रेश एंड हैल्दी इंटरप्राइसेस लिमिटेड	-1366	-766	14567
46	भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-1433.59	-1767.92	7584.87
47	नेशनल बाईसिकल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-2144.43	-56564.6	565.46
48	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-2331	-55546	16214
49	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	-2911.71	-3798.4	7045.4
50	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	-3446.4	-46626.2	843.5
51	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-5374.04	-42895.7	771.16
52	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-5427	-16653	13760
53	अंडमान एंड निकोबार आईलैण्डस फोरेस्ट एंड प्लानटेंशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	-5756.55	-38227.8	359.18
54	नेपा लिमिटेड	-6861.92	-4941.51	58471.26
55	भारत पंप्स एंड कम्प्रैसर्स लिमिटेड	-7590.53	-2525.05	5353.1

56	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-8226.66	-33668.5	60607.89
57	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-8994.95	-177721	5106.4
58	पीईसी लिमिटेड	-9210	-107991	6000
59	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-10255.5	-80981.8	3170.71
60	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-12759	-110493	27659.91
61	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-16117.9	-714942	11688.33
62	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-17050	-45939.6	14605.49
63	द फर्ट्रिलाइर्जस एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-18696.2	-149587	64707.2
64	एचएमटी वॉचस लिमिटेड	-20356.3	-279459	649.01
65	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-25557.5	-95190.8	33726.96
66	एयरलाइन एलाइड सर्विसेस कम्पनी लिमिटेड	-28272.2	-134360	40225
67	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-55862.1	-63462.5	16666.65
68	एसटीसीएल लिमिटेड	-56277.3	-390448	150
69	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-291716	-2033004	20686.5
70	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-294108	-336672	63000
71	एयर इंडिया लिमिटेड	-383678	-1680195	2442500

नोट: यद्यपि मार्च 2017 को 71 सीपीएसई की ऋणात्मक निवल संपत्ति है, वर्ष 2016-17 के दौरान 11 सीपीएसई (क्रम सं. 1 से 11 तक) ने लाभ अर्जित किया है।

परिशिष्ट VI

(पैरा सं. 2.6 देखें)

उन कंपनियों का विवरण जहां लेखांकन मानकों का अननुपालन किया गया जैसा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया

क्र. सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी	लेखांकन मानक/इंडस्ट्रीज़ एएस
1.	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 1 - लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण एएस 9 - राजस्व मान्यता
2.	भारत इम्युनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	एएस 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां
3.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 1 - लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण एएस 2 - इन्वेंटरी का मूल्यांकन एएस 21 - समेकित वित्तीय विवरण एएस 28 - परिसंपत्तियों की हानि
4.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 28 - परिसंपत्तियों की हानि
5.	पूर्वी निवेश लिमिटेड	सूचीबद्ध	एएस 13 - निवेशों के लिए लेखांकन
6.	शैक्षिक कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 15 - कर्मचारी लाभ
7.	हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 2 - इन्वेंटरी का मूल्यांकन
8.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 12 - सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन
9.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 2 - इन्वेंटरी का मूल्यांकन एएस 10 – स्थाई परिसंपत्तियों का लेखांकन एएस 13 - निवेशों के लिए लेखांकन एएस 15 - कर्मचारी लाभ एएस 28 - परिसंपत्तियों की हानि
10.	भारतीय दवा और औषधीय निगम लिमिटेड (2015-16)	असूचीबद्ध	एएस 6 - मूल्यह्रास लेखांकन एएस 12 - सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन एएस 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन एएस 28 - परिसंपत्तियों की हानि
11.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	एएस 17 - खंड रिपोर्टिंग एएस 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन एएस 28 - परिसंपत्तियों की हानि
12.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	असूचीबद्ध	एएस 1 - लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण एएस 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों में पूर्व की अवधि वाली मदें और परिवर्तन

13.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	असूचीबद्ध	इंड एएस 18 - राजस्व
14.	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	इंड एएस 17 - पट्टों इंड एएस 36 - परिसंपत्तियों की हानि
15.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	इंड एएस 1 9 - कर्मचारी लाभ इंड एएस 28 - सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश इंड एएस 32 – वित्तीय दस्तावेज
16.	सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	इंड एएस 19 - कर्मचारी लाभ इंड एएस 109 - वित्तीय दस्तावेज

परिशिष्ट VII

(पैरा सं. 3.1.4 देखें)

निगम अभिशासन की समीक्षा के लिए शामिल सूचीबद्ध सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
2	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	दि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
10	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (विनिर्माण) कंपनी लिमिटेड
11	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
12	बीईएमएल लिमिटेड
13	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड
15	भारतीय रेलवे वित्त निगम
16	महानगर टेलीफोन लिमिटेड
17	आईटीआई लिमिटेड
18	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
19	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	कोल इंडिया लिमिटेड
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड
23	नैशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
24	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
25	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
26	एंड्रयू येल एंड कंपनी लिमिटेड
27	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड
28	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
30	हिंदुस्तान कार्बनिक केमिकल्स लिमिटेड
31	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
32	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

33	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	एनबीसीसी
35	एमएमटीसी लिमिटेड
36	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
37	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
38	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड
39	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
40	गेल (इंडिया) लिमिटेड
41	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
42	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
43	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
44	आईएफसीआई लिमिटेड
45	एनटीपीसी लिमिटेड
46	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
47	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
48	एनएचपीसी लिमिटेड
49	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
50	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
51	एसजेवीएन लिमिटेड
52	एमओआईएल लिमिटेड
53	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट-VIII

(पैरा सं. 4.3 देखें)

निगम सामाजिक जिम्मेदारी की समीक्षा के लिए शामिल सीपीएसई की सूची

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	श्रेणी
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	महारत्न
2.	कोल इंडिया लिमिटेड	महारत्न
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	महारत्न
4.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	महारत्न
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महारत्न
6.	एनटीपीसी लिमिटेड	महारत्न
7.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	महारत्न
8.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	नवरत्न
9.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नवरत्न
10.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
11.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	नवरत्न
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
13.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	नवरत्न
15.	एनएमडीसी लिमिटेड	नवरत्न
16.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नवरत्न
17.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	नवरत्न
18.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
19.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	नवरत्न
20.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
21.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
22.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
23.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
24.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
25.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	मिनीरत्न
26.	बीईएमएल लिमिटेड	मिनीरत्न
27.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	मिनीरत्न
28.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	मिनीरत्न
29.	माझगांव डॉक लिमिटेड	मिनीरत्न
30.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
31.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
32.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	मिनीरत्न
33.	कामराज पोर्ट लिमिटेड	मिनीरत्न
34.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	मिनीरत्न
35.	मेकॉन लिमिटेड	मिनीरत्न
36.	बॉमर लॉरी एंड कं लिमिटेड	मिनीरत्न
37.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	मिनीरत्न

38.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	मिनीरत्न
39.	एमएसटीसी लिमिटेड	मिनीरत्न
40.	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
41.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	मिनीरत्न
42.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मिनीरत्न
43.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
44.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
45.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	मिनीरत्न
46.	एमएमटीसी लिमिटेड	मिनीरत्न
47.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
48.	पीईसी लिमिटेड	मिनीरत्न
49.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	मिनीरत्न
50.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	मिनीरत्न
51.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	मिनीरत्न
52.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मिनीरत्न
53.	सदर्न पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड	मिनीरत्न
54.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	मिनीरत्न
55.	परियोजनाएं एवं विकास भारत लिमिटेड	मिनीरत्न
56.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मिनीरत्न
57.	सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
58.	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
59.	मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड	मिनीरत्न
60.	एनएचपीसी लिमिटेड	मिनीरत्न
61.	एसजेवीएन लिमिटेड	मिनीरत्न
62.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
63.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
64.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	मिनीरत्न
65.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	मिनीरत्न
66.	इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड	मिनीरत्न
67.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	मिनीरत्न
68.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
69.	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	मिनीरत्न
70.	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
71.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न
72.	इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड	मिनीरत्न
73.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
74.	रेल विकास निगम लिमिटेड	मिनीरत्न
75.	राइटस लिमिटेड	मिनीरत्न
76.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न
77.	केआईओसीएल लिमिटेड	मिनीरत्न

परिशिष्ट-IX

(पैरा सं. 4.5.1.1. देखें)

सीपीएसई की सूची जहां सीएसआर समिति के गठन में विलम्ब देखा गया था

	सीपीएसई का नाम	सीएसआर कमेटी के गठन की तिथि	विलंब
1.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	26-05-2016	25 महीनें
2.	आरआईटीईएस लिमिटेड	03-06-2016	27 महीनें
3.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	10-08-2016	28 महीनें
4.	केआईओसीएल लिमिटेड	16-08-2016	28 महीनें
5.	एमएमटीसी लिमिटेड	19-08-2016	28 महीनें
6.	हाउसिंग एंड अरबन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	23-08-2016	28 महीनें
7.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	19-09-2016	29 महीनें
8.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	22-10-2016	30 महीनें
9.	एनबीसीसी लिमिटेड	18-11-2016	31 महीनें
10.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	10-02-2017	34 महीनें
11.	बीएलसीएल	13-02-2017	34 महीनें
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13-02-2017	34 महीनें
13.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	10-03-2017	35 महीनें
14.	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	27-03-2017	35 महीनें
15.	एमएसटीसी लिमिटेड	01-07-2017	39 महीनें

परिशिष्ट-X

(पैरा सं. 4.5.2. देखें)

सीपीएसई की सूची जहां सीएसआर निधियों का आवंटन औसत निवल लाभ के निर्धारित 2 प्रतिशत से कम था

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	आबंटित निधियां	आबंटन में कमी
1.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	677845.27	13556.90	12941.31	615.59
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	1139268.00	22785.36	22785.00	0.36
3.	एनएचपीसी लिमिटेड	221174.00	4423.48	4423.00	0.48
4.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	732860.00	14657.20	14657.00	0.20
5.	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	111818.00	2236.36	2236.00	0.36
6.	एनएमडीसी लिमिटेड	801160.00	16023.20	16022.00	1.20
7.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	26730.00	534.60	534.00	0.60
8.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15951.00	319.02	319.00	0.02
9.	रेल विकास निगम लिमिटेड	26506.00	530.12	530.00	0.12
10.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	51504.05	1030.08	558.29	471.79
11.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	1954.00	39.08	39.00	0.08
12.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	334622.00	6692.44	6692.00	0.44
13.	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	38458.00	769.16	733.00	36.16

परिशिष्ट-XI

(पैरा सं. 4.5.2.2. देखें)

सीपीएसई की सूची जहां निर्धारित राशि की तुलना में वास्तविक सीएसआर व्यय में कमी देखी गई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निर्धारित राशि (₹ लाख में)	वास्तविक निर्धारित खर्च (₹ लाख में)	कमी (*प्रतिशत*)
1.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	847.92	842.76	0.61
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21266.52	20955.6	1.46
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	53566.92	52590	1.82
4.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	534.60	511	4.41
5.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	123.18	108.89	11.60
6.	इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड	679.82	589	13.36
7.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	2399.85	2069.61	13.76
8.	एनएलसीएल	4345.56	3719	14.42
9.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	368.74	292	20.81
10.	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	769.16	607.58	21.01
11.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	626.40	493.77	21.17
12.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3748.42	2678.48	28.54
13.	मझगांव डॉक शिपबल्डर लिमिटेड	1520	614.25	40.41
14.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15914.18	9098.13	42.83
15.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	39.08	21.41	45.21
16.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	5589.96	3029	45.81
17.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16614.56	8545.27	48.57
18.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	319.02	157	50.79
19.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	14657.20	6980	52.38
20.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2684.66	1144.55	57.37
21.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	750.74	294.45	60.78
22.	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड	2971.91	1164.12	60.83
23.	दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड	12023.78	4250.36	64.65
24.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1030.08	216.6	78.97
25.	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	2236.36	139.55	93.76

परिशिष्ट -XII

(पैरा सं. 4.5.2.3 देखें)

राज्यवार सीएसआर व्यय सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
1.	पैन भारत	696.56
2.	आंध्र प्रदेश	321.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	21.18
4.	असम	183.5
5.	बिहार	60.35
6.	छत्तीसगढ़	191.8
7.	गोवा	3.8
8.	गुजरात	197.17
9.	हरियाणा	18.46
10.	हिमाचल प्रदेश	73.86
11.	जम्मू और कश्मीर	11.85
12.	झारखंड	81.57
13.	कर्नाटक	90.08
14.	केरल	34.53
15.	मध्य प्रदेश	124.47
16.	महाराष्ट्र	147.6
17.	मणिपुर	0.58
18.	मेघालय	4.69
19.	मिजोरम	0.29
20.	नागालैंड	0.8
21.	ओडिशा	268.73
22.	पंजाब	3.22
23.	राजस्थान	30.78
24.	सिक्किम	2.34
25.	तमिलनाडु	79.01
26.	तेलंगाना	45.56
27.	त्रिपुरा	8.09
28.	उत्तराखंड	66.73
29.	उत्तर प्रदेश	224.13
30.	पश्चिम बंगाल	63.23
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.43
32.	चंडीगढ़	39.15
33.	दादरा और नगर हवेली	0.07
34.	दमन और दीव	0
35.	दिल्ली	103.69
36.	लक्षद्वीप	0
37.	पुडुचेरी	0.85

परिशिष्ट-XIII

(पैरा सं. 4.5.3.6. देखें)

सीपीएसई की सूची जो प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में वेतन शामिल करते हैं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	वेतन पर व्यय (₹ लाख में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	331.06
2.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	10.87
3.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	509.88
4.	एनटीपीसी लिमिटेड	1028.36
5.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	209.53
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	289.8
7.	एसजेवीएन लिमिटेड	157.69
8.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	35
9.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	13.97
10.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	5.51
11.	एचएलएल लाइफकेयर	5.5
12.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2099
13.	राइटस लिमिटेड	46
14.	प्रोजेक्टस एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड	0.09
15.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	988
16.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	10.02
17.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	132.65
18.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	44.51
19.	मझगांव डॉक शिपबल्डर लिमिटेड	38.69
20.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	0.48
21.	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड	128.55
22.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	10.2
23.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	182.25
24.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	23.4
25.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	6.69
26.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	352.00

परिशिष्ट XIV

(पैरा सं. 5.5 देखें)

सीपीएसई की सूची एवं 2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के लिए उनकी एमओयू रेटिंग

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	एमओयू रेटिंग				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	रक्षा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
3	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर)	रेलवे	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	रक्षा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
7	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)	संचार - दूरसंचार विभाग	निष्पक्ष	अच्छा	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा
8	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	खान	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
9	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी)	शहरी विकास	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)	कोयला	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
11	एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी)	खान	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
12	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा

क्रं. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	एमओयू रेटिंग				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
13	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	ऊर्जा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	**उत्कृष्ट**	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
14	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	ऊर्जा	**उत्कृष्ट**	**उत्कृष्ट**	**उत्कृष्ट**	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
15	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)	ऊर्जा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	**उत्कृष्ट**	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
16	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	इस्पात	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अच्छा	अच्छा
17	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई)	जहाजरानी	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा

परिशिष्ट-XV

(पैरा 6.5 देखें)

31 मार्च 2017 को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों की सूची

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम	श्रेणी	प्रशासनिक मंत्रालय
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	महारत्न	इस्पात मंत्रालय
2	एनटीपीसी लिमिटेड		विद्युत मंत्रालय
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड		पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
4	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड		
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड		भारी उद्योग मंत्रालय
7	कोल इंडिया लिमिटेड		कोयला मंत्रालय
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
9	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
10	ऑयल इंडिया लिमिटेड		
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड		
12	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		कोयला मंत्रालय
13	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		रेल मंत्रालय
14	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		विद्युत मंत्रालय
15	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
16	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरशन लिमिटेड		
17	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		जहाजरानी मंत्रालय
18	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड		इस्पात मंत्रालय
19	एनएमडीसी लिमिटेड		
20	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड		रक्षा मंत्रालय
21	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड		
22	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड		संचार मंत्रालय
23	नैशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड		खान मंत्रालय
24	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड		शहरी विकास मंत्रालय
25	ओएनजीसी विदेश लि		पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
26	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड		
27	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड		
28	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
29	बॉमर लॉरी एंड कंपनी		

30	सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न	वित्त मत्रांलय
31	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		रसायन और उर्वरक मंत्रालय
32	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		
33	भारत व्यापार संवर्धन संगठन		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
34	एमएमटीसी लिमिटेड *		
35	एसटीसी लिमिटेड		
36	एनएचपीसी लिमिटेड		विद्युत मंत्रालय
37	एसजेवीएन लिमिटेड		
38	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड		आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
39	मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड		इस्पात मंत्रालय
40	केंद्रीय रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड		उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
41	एचएलएल लाइफ केयर		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
42	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
43	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		विद्युत मंत्रालय
44	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड		कोयला मंत्रालय
45	मेकॉन लिमिटेड		इस्पात मंत्रालय
46	बीईएमएल लिमिटेड		रक्षा मंत्रालय
47	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड		
48	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड		संचार मंत्रालय
49	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		रेल मंत्रालय
50	रेल विकास निगम लिमिटेड		
51	राइट्स लिमिटेड		
52	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण*		नागरिक उड्डयन मंत्रालय

* सूचना प्राप्त न होने के कारण अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट – XVI
(पैरा 6.6 देखें)
51 सीपीएसईज़ द्वारा गठित संयुक्त उद्यमों की सूची
क. 31-03-2017 को भारत के बाहर निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों में पीएसयू का निवेश

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
1.	बॉमर लॉरी एंड कंपनी	1	8.91
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2630.94
3.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.5
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1	0
5.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6	220.12
6.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	0.05
7.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1	35.85
8.	मेकॉन	1	0.076
9.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1	0.03
10.	एनएमडीसी लिमिटेड	1	0
11.	एनटीपीसी लिमिटेड	2	149.42
12.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2	6787.09
13	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	4.88
14.	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	1	35.84
15.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	73.98
16.	एसजेवीएन लिमिटेड	1	70.66
17.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	11	22305.74
	जोड़	**38**	**32323.70**

ख. 31-03-2017 को भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों (सरकारी कंपनियों डीम्ड सरकारी कंपनियो के अलावा अन्य कंपनियां) में पीएसयू का निवेश

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
1	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	3	63.3
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	2.6
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2	4.38
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	1320.72
5	केंद्रीय रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	1	2.14
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	11.855
7	कोल इंडिया लिमिटेड	4	5.79
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	194.18
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1	0.12
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	12	2246.21
11	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	13	225.78
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	4007.29
13	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	1	9.5
14	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	3	2.143
15	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14	1307.485
16	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	6	281.1
17	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	1	0.12
18	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1	2.28
19	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1	15
20	माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	1	0.1
21	नैशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1	24.8
22	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	109.93
23	एनटीपीसी लिमिटेड	3	4

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
24	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	3	111.78
25	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	2.19
26	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	411.97
27	एसटीसी लिमिटेड	1	0.1
28	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	79.15
29	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	2	107.03
30	रेल विकास निगम लिमिटेड	1	20.46
31	एमएमटीसी लिमिटेड	5	54.30
	जोड	**123**	**10627.803**

ग. भारत में 31-03-2017 को निगमित संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियों (सरकारी कंपनियों और मानी गई सरकारी कंपनियों) में पीएसयू का निवेश

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
1	बीईएमएल लिमिटेड	1	5.42
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	4	661.82
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	591.37
4	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	156
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1	153.44
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	900.6
7	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	1	2
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	302.61
9	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	4	116.66
10	मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड	2	0.2
11	नैशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	2	17.3

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	153.62
13	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1	2
14	एनएचपीसी लिमिटेड	5	1580.9
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1	12.77
16	एनएमडीसी लिमिटेड	9	489.1
17	एनटीपीसी लिमिटेड	21	9494.17
18	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	2	185.26
19	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	4	1764.92
20	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1	38.46
21	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	146.5
22	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	330.58
23	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2	3.5
24	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	3	33.07
25	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरशन लिमिटेड	1	146.5
26	सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	400
27	एसजेवीएन लिमिटेड	2	12.62
28	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	11	1252
29	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	1	0.36
30	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.1
31	राईट्स	2	24.13
32	रेल विकास निगम लिमिटेड	5	604.69
33	एमएमटीसी	1	379.69
	जोड़	**131**	**19962.36**

घ. 31-03-2017 को भारत में अनिगमित संयुक्त उद्यमों में पीएसयू का निवेश

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	285.48
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	9	1042.76
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	1374.08
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3	0
5	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	3	13.98
6	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	35	48.05
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	13	2786.23
	जोड़	**81**	**5550.58**

ड. 31-03-2017 को भारत के बाहर अनिगमित संयुक्त उद्यमों में पीएसयू का निवेश

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश (₹ करोड़ में)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	1524.52
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	1366.31
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	1030.3
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1	शून्य
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7	701.71
6	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	25	99659.71
	जोड़	**46**	**104282.55**

च. 31.03.2017 तक शेयर पूंजी जैसे अग्रिम, लोन गारंटी, जारी गारंटी आदि के अलावा किसी भी रूप में पीएसयू का निवेश।

क्रम.सं.	पीएसयू का नाम	जे वी कंपनी की संख्या	जेवी की शेयर पूंजी में पीएसयू का निवेश* (₹ करोड़ में)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	5357
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	0
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2	55.54
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1	114.244
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	26419.2
6	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1	9.42
7	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	0	0
8	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21	23530.9
9	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	6	165.89
10	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	4	19.39
11	मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	2	4
12	एनएचपीसी लिमिटेड	5	200.08
13	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0
14	एनएमडीसी लिमिटेड	4	40.34
15	एनटीपीसी लिमिटेड	5	8776.73
16	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	1	72.71
17	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	1	7488.95
18	ऑयल इंडिया लिमिटेड	4	819.5
19	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0

20	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2	1.21
21	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	39.96
22	एसजेवीएन लिमिटेड	3	0
23	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	18.40
24	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	178.79
25	राईट्स	2	31.13
26	रेल विकास निगम लिमिटेड	6	625.15
27	एमएमटीसी	1	0.01
	जोड़	**97**	**73968.54**

* सीपीएसई द्वारा शेयर पूँजी के अतिरिक्त की गई वित्तीय लेनदेन भी शामिल है।-

परिशिष्ट XVII
(देखें पैरा 6.7.1)
जेवी पार्टनर के चयन की विधि

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
1	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	23	1. इंटरनेशनल कोल वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड	1. भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड		1. बोकरो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	
			2. सेल; एससीएल केरल लि.	2. सेल-बंसल सेवा केंद्र लिमिटेड		2. एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमि.	
			3. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	3. प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लि.		3. सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	
				4. वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड		4. सेल-एमओआईएल फेरो एलोय प्राइवेट लिमिटेड	
				5. एसएएल-सेल जेवीसी लिमिटेड		5. सेल बंगाल एलाय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	
				6. टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड		6. सेल-एनएमडीसी लिमिटेड	
				7. अभिनव जेवीसी सेल लिमिटेड		7. एनएमडीसी सेल लिमिटेड	
						8. एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	
						9. एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
						10. सेल-कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड	
						11. नोर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	
						12. रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	
						13. यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड	
2	एनटीपीसी लिमिटेड	26	1. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	1. एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		1. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	
			2. अंतर्राष्ट्रीय कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	2. पैन एशियन रीन्यूवेबल्स प्राइवेट लिमिटेड		2. बीएफ-एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड	
			3. एनर्जी एफिशियंशी सर्विसेज़ लिमिटेड			3. राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज लिमिटेड	
			4. सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राइवेट लिमिटेड			4. एनटीपीसी सेल पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	
			5. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड			5. यूटिलिटि पावरटेक लिमिटेड	
			6. बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड				
			7. राष्ट्रीय उच्च विद्युत परीक्षण				

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड				
			8. एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.				
			9. एनटीपीसी एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स				
			10. एनटीपीसी-तमिलनाडु कम्पनी लिमिटेड				
			11. पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड				
			12. रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड				
			13. ट्रांसफॉर्मस एवं इलेक्ट्रिकल्स केरला लिमिटेड				
			14. ट्रिंकोमाली पॉवर कम्पनी लिमिटेड				
			15. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन				
			17. बंगलादेश रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड				
			18. कान्ती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड				
			19. पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड				

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	18	1. तापी पाइपलाइन कं.लि.		1. अवंतिका गैस लिमिटेड		1. चीन गैस हॉल्डिंग लिमिटेड
			2. पेट्रोनेट एलएनजी लि.		2. भाग्यनगर गैस लिमिटेड		2. फ्यूम गैस कम्पनी
			3. गेल चीन गैस ग्लोबल एनर्जी हॉल्डिंग प्रा. लि.		3. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड		3. नेशनल गैस कम्पनी
			4. साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कॉ.लि.		4. महानगर गैस लिमिटेड		4. ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लि.
					5. महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड		5. गुजरात राज्य विद्युत सृजन लि.
					6. मध्य यूपी गैस लिमिटेड		6. त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कम्पनी लि.
					7. ग्रीन गैस लि.		
					8. रत्नागिरी गैस और विद्युत निजी लिमिटेड		
4	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	24	1. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड		1. ग्रीन गैस लिमिटेड	1. इंडियन ऑयल-क्रेडा बॉयो-फ्यूल लिमिटेड	
			2. आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं जनर्जी सर्विसेज लिमिटेड		2. दिल्ली एविएशन फ्यूल सुविधा प्राइवेट लिमिटेड		
			3. इंडियन ऑयल पेट्रोनेस प्राइवेट लिमिटेड		3. मुम्बई एविएशन फ्यूल सुविधा प्राइवेट लिमिटेड		
			4. ल्यूब्रिजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		4. इंडियन ऑयल स्काईटैंकिग प्राइवेट लिमिटेड		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			5. एवी-ऑयल इंडिया प्राइवेट इंडिया		5. इंडियन सिन्थेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड		
			6. पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड		6. इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड		
			7. पेट्रोनेट वीके लिमिटेड		7. जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड		
			8. भारतीय तेल पानीपत विद्युत संघ लिमिटेड		8. जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड		
					9. एनपीसीआईएल-इंडियन ऑयल न्यूक्लरयन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड		
					10. हिन्दुस्तान उर्वरक तथा रसायन लिमिटेड		
					11. कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड		
					12. इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड		
					13. सन्तेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड		
					14. इंडियन ऑयल रूचि बॉयो फ्यूल एलएलपी		
					15. पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
5	कॉल इंडिया लिमिटेड	4	1. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड				
			2. तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड				
			3. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड				
			4. इंटरनेशनल कॉल वेंचर प्रा. लि.				
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1	1. एमएनएच शक्ति लिमिटेड				
7	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	10	1. अंगुल सुकिन्दा रेलवे लि.	1. हिमालय टर्मिनल प्रा.लि.	1. स्टार ट्रेक टर्मिनल प्रा.लि.		
					2. एलबट्रोस इनलैंड पोर्ट प्रा. लि.		
					3. गेटवे टर्मिनलस इंडिया प्रा. लि.		
					4. सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क (दादरी) प्रा.लि.		
					5. इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि.		
					6. टीसीआई-कॉनकार मल्टिमॉडल साल्यूशन प्रा.लि.		
					7. कंटेनर गेटवे लि.		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
					8. ऑलकार्गो लॉजिस्टिकस पार्क प्रा. लि.		
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3			1. बीस रोवूमा एनर्जी मोजमबीक्यू लि.		1. डीएनपी लिमिटेड
					2. सन्तेरा नाइजीरिया 205 लि.		
9	पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	2	1. एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड			1. नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	
10	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	1	1. एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड				
11	इंजीनियर्स इंडिया लि.	3	1. रामगुंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड		1. टीईआईएल प्रोजेक्टस लि.		
			2. जबल एलियट कॉ.लि.				
12	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2				1. रींमोली फेररो एलॉय प्रा. लि.	
						2. आरआईएनएल पॉवर ग्रिड टीएलटी प्रा. लि.	
13	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्लस लिमिटेड	13	1. इंडो-रशियन एविएशन लि.		1. इन्फोटेक एचएएल लिमिटेड	1. बीएईएचएएल सॉफ्टवेयर लि.	
			2. मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड		2. एचएटीएसओएफएफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2. स्नेक्मा एचएएल एयरोस्पेस प्रा.लि.	

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			3. मै. एयरोस्पेस एवं एविऐशन सेक्टर स्किल काउंसिल		3. टाटा एचएएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड	3. समतेल एचएएल डिस्पले सिस्टम लि.	
						4. एचएएल एजवूड टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	
						5. हलबीट एविओनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	
						6. इंटरनेशनल एयरोस्पेस मेन्यूफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	
						7. हेलीकॉप्टर इजंनस एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड	
14	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	1. जीई-बीई प्रा.लि.				
15	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2	1. यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड			1. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विस लि.	
16	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	3				1. अंगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (एएपीपीएल)	
						2. जीएसीएल नालको एलकालीज एवं केमिकल्स प्रा.लि. (जीएनएएल)	

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
						3. एनपीसीआईएल नालको पावर कंपनी लिमिटेड (एनएनपीसीएल)	
17	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	2	1. रियल स्टेट विकास और निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड				
			2. जमाल एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड (पीटीवाई)				
18	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	1. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा .लि.				
19	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	1. रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड				
			2. उर्वरक विदेश लिमिटेड				
20	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1				1. एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डिवलेपमेंट कं लि.	
21	एनएचपीसी लिमिटेड	5	1. नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसीएल)				

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			2. राष्ट्रीय उच्चशक्ति परीक्षण प्रयोगशाला लिमिटेड (एनएचपीटीएल)				
			3. लोकटक बहाव जल विद्युत निगम लिमिटेड (एलडीएचसीएल)				
			4. चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)				
			5. बुंदेल खंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएन)				
22	एसजेवीएनलिमिटेड	2	1. क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांस मिशन लिमिटेड				
			2. बंगाल बीरभूम कोल फील्ड्स लिमिटेड				
			3. खोलांगोंगु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड				
23	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)	3					1. प्रगति सामाजिक अवसंरचना विकास लिमिटेड (पीएसआई डीएल)

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
							2. श्रष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमेंट लिमिटेड
							3. सिग्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
24	मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड	2				1. रिनमोइल फेरो एलॉय प्रा .लि.	
						2. सेल और मोइल लोह अलाय प्रा .लि.	
25	एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड	1			1. लाईफसप्रिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड		
26	सेंट्रल रेलसाईड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	1				1. इफको-सीआरडब्ल्यू लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	
27	इरेडा	1	1. एमपी विंड फार्मर्स लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूएल)				
28	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	3	1. उर्वरक विदेश लिमिटेड		1. फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग उत्पाद लिमिटेड		
			2. तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड				

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
29	बलमेरला वायर और को.	4					1.बॉमर लॉरी (यूएई) एलएलसी
							2. बॉमर लारी वान - लीअर लिमिटेड
							3. ट्रांसफर सर्विस लिमिटेड
							4. अवि-ऑयल इंडिया (पी) लि.
30	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2			1. वानपे सोलर प्रा .लिमिटेड.		
					2. केएसके डिब्बीनहाईड्रों पावर प्रा .लि.		
31	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	2					1. डीएनपी लिमिटेड
							2. ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)
32	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	4	1. एमजेएसजे कोल लिमिटेड			1. नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल)	
			2. एमएनएच शक्ति लिमिटेड				

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड				
33	चेंनई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1. इंडियन एडीटिव्स लिमिटेड		1. राष्ट्रीय सुगंधित एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
34	मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	1				1. मै. शील एमआरपीएल एवीएशन फ्यूल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	
35	बीईएमएल लिमिटेड	1			1. मै. बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड		
36	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	6	1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड		1. इरकॉन सोमा टोलवे प्रा .लि.		
			2. छत्तीसगढ़ ईस्टवेस्ट रेल लिमिटेड				
			3. महानदी कोयला रेल कं				
			4. झारखंड मध्य रेलवे				
			5. बस्तर रेलवे प्रा .लि.				
37	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	1. ईरानो हिंद शिपिंग कंपनी		1. सेल-एससीआई शिपिंग प्रा. लि.		
					2. भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 1		
					3. भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 2		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
					4. भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 3		
					5. भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 4		
38	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10			1. एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लि.	1. भाग्यनगर गैस लिमिटेड	
					2. जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	2. अवन्तिका गैस लिमिटेड	
					3. जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	3. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	
					4. एचपीसीएल शापूरजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	4. क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड	
					5. मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म सुविधा प्राइवेट लिमिटेड		
					6. गोदावरी गैस प्रा. लि.		
39	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	13	1. नेशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड	1. पावरलिंक्स ट्रांस्मिशन लिमिटेड			1. टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड
			2. एनर्जी इफिशिएन्सी सर्वीसिज लिमिटेड	2. पारबती कोल्डम ट्रास्मिशन कम्पनी लिमिटेड			2. जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
			3. क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लिमिटेड				3. तीस्ता वैली पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लिमिटेड
			4. पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड				4. नार्थ ईस्ट ट्रॉन्समिशन कम्पनी लिमिटेड
							5. कलिंगा विद्ययुत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड
							6. बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड
							7. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड
40	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20	1. पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड		1. बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फॉर्म प्रा. लि.		
			2. भारत ओमान रिफाइनरिज लि.		2. इंद्राप्रस्था गैस लि.		
			3. पेट्रोनेट एलएनजी लि.		3. महाराष्ट्र नेचुरल गैस लि.		
					4. सेन्ट्रल यूपी गैस लि.		
					5. साबरमती गैस लि.		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
					6. हरिद्वार नेचुरल गैस प्रा. लि.		
					7. गोवा नेचुरल गैस प्रा. लि.		
					8. भारत स्टार्स सर्विसेज प्रा. लि.		
					9. दिल्ली एवीएशन फ्यूल फैसिलिटी प्रा. लि.		
					10. मुम्बई एवीशन फ्यूल फॉर्म फैसिलिटी प्रा. लि.		
					11. कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट		
					12. जीएसपीसी इंडिया गैसनेट लि.		
					13. जीएसपीसी इंडिया ट्रान्सको लि.		
					14. कोच्ची सेलम पाइपलाईन प्राईवेट लिमिटेड		
					15. मैट्रिक्स भारत पेट लि.		
					16. एफआईएनओ पै टेक लि.		
					17. भारत रिन्यूऐबल एनर्जी लि.		

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
41	टेलिकॉम्यूनिकेशन कन्सलटेन्टस इंडिया लिमिटेड	4			1. यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड		1. भारती हैक्साकॉम लि.
					2. टीसीआईएल बेलसाउथ लि.		
					3. इंटेलिजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लि.		
42	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6				1 भेल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	
						2 पावरप्लांट प्रफोरमेन्स इम्प्रुवमेन्ट प्रा. लि.	
						3. एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्टस प्रा. लि.	
						4. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	
						5. दादा धुनिवालेखन्डवा पावर लिमिटेड	
						6. लातूर पावर कम्पनी लि.	
43	रेल विकास निगम लिमिटेड	6	1. कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड	1. भारूच दाहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड			
				2. कृष्णापतनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड			

क्रम.सं	सीपीएसई	जेवी की कुल संख्या	सरकारी निर्देश	ओपन टेंडर	सीपीएसई द्वारा पहचाने गए कुछ भावी भागीदारों के चुनाव के माध्यम से	नामांकन आधार	संयुक्त उद्यम/ अन्य की इक्विटी में निवेश
				3. हरीदासपुर पारादीप रेलवे कम्पनी लिमिटेड			
				4. अंगुल सुकिन्दा रेलवे लिमिटेड			
				5. डीघी रोहा रेल लिमिटेड			
44	राईट्स	2	1. सैल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	1. बीएनवी गुजरात रेल प्राइवेट लिमिटेड			
45	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1		मझगांव डॉक पीपावव डिफेन्स प्रा. लिमिटेड			
	कुल	**251**	**84**	**19**	**75**	**49**	**24**

परिशिष्ट - XVIII

(पैरा 6.7.2 में यथा संदर्भित)

सीपीएसई जो डीपीई को अर्धवार्षिक आधार पर संयुक्त उद्यमों की स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	एनटीपीसी लिमिटेड
3.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
4.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5.	आयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड
6.	कोल इंडिया लिमिटेड
7.	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
12.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
13.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
15.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
17.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
18.	एनएमडीसी लिमिटेड
19.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
20.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
21.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
22.	नेशनल बिल्डिंगस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट XIX
(पैरा 6.7.3 (क) में यथा संदर्भित)
लाभ अर्जित कर रहे संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जेवी कंपनी	2016-17 के दौरान लाभ	31 मार्च 2017 तक आरक्षित और अधिशेष को कर अंतरित करने के पश्चात लाभ/(हानि)	जेवी में महारत्न/नवरत्न का प्रतिशत हिस्सा
1	बोकारो विद्युत आपूर्ति कंपनी प्रा. लि.	78.54	519.75	सेल 50%
2	मै. जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	37.74	200.96	सेल 50%
3	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लि.	388.87	966.70	सेल 50%
4	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लि.	0.0031	0.01	सेल 50%
5	यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड	19.45	39.68	एनटीपीसी 50%
6	अरावली पावर कंपनी लिमिटेड	787.2	443.41	एनटीपीसी 50%
7	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	51.86	78.81	एनटीपीसी 31.7%, पीएफसी 31.7%, पीजीसीआईएल 4.9%, आरईसी 31.7%
8	एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एनटीपीसी आल्सटॉम पावर सर्विसेज प्रा. लि.)	0.86	17.62	एनटीपीसी 50%
9	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	290.87	691.35	एनटीपीसी 4.28%
10	अवंतिका गैस लिमिटेड	19.07	44.73	गेल 49.97%, एचपीसीएल 49.97%
11	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	13.1	45.19	गेल 49.97%, एचपीसीएल 49.97%
12	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	570.96	2785.97	गेल 22.5%, बीपीसीएल 22.5%
13	महानगर गैस लिमिटेड	393.43	1741.26	गेल 32.5%

14	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	76.56	232.20	गेल 22.5%, बीपीसीएल 22.5%, आईजीएल 50%
15	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	48.49	147.18	गेल 25%, बीपीसीएल 25%, आईजीएल 50%
16	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लि.	11.3	60.77	गेल 48.98%
17	चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड	2744.8	14028.78	गेल 3.05%
18	फायम गैस कंपनी	8.91	11.61	गेल 19%
19	नेशनल गैस कंपनी	154.7	171.55	गेल 5%
20	भेल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	47.99	77.58	भेल 50%
21	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	1,723.13	6276.49	आईओसीएल 12.50%, बीपीसीएल 12.5%, ओएनजीसी 12.50%, गेल 12.50%,
22	ग्रीन गैस लिमिटेड	44.8	206.72	आईओसीएल 49.97%, गेल 49.97%,
23	इन्डियन आयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड	226.14	711.84	आईओसीएल 50%
24	ल्यूब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	124.14	496.64	आईओसीएल 50%
25	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	38.34	31.53	आईओसीएल 37% बीपीसीएल 37%
26	अवि-आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10.87	33.08	आईओसीएल 25%, बामेर लॉरी 25%
27	मुंबई एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	26.58	32.65	आईओसीएल 25%, बीपीसीएल 25%, एचपीसीएल 25%,
28	इंडियन ऑइल स्काई टैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड	33.96	71.14	आईओसीएल 50%,
29	जीएसपीएल इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड	0.92	5.70	आईओसीएल 26%, बीपीसीएल 11%, एचपीसीएल 11%

30	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	1.08	5.70	आईओसीएल 26%, बीपीसीएल 11%, एचपीसीएल 11%
31	एनपीसीआईएल-इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.06	0.16	आईओसीएल 26%,
32	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड	59.32	5.66	आईओसीएल 18%, बीपीसीएल 16%, एचपीसीएल 16%
33	अनुगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	20.11	75.05	कॉनकोर 26%
34	अल्बाट्रॉस इन्लैंड पोर्ट प्रा. लि.	9.8	42.66	कॉनकोर 49%
35	सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क (दादरी) प्रा. लि.	4.07	18.09	कॉनकोर 49%
36	स्टार ट्रैक टर्मिनल्स प्रा. लि.	3.55	22.81	कॉनकोर 49%
37	गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि.	36.52	298.92	कॉनकोर 26%
38	हिमालयन टर्मिनल प्रा. लि.	1.08	3.14	कॉनकोर 40%
39	टीसीआई - कॉनकॉर मल्टिमॉडल सॉल्यूशन प्रा. लि.	1.17	1.63	कॉनकोर 49%
40	भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 1	64.27	157.63	एससीआई 26%
41	भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 2	68.5	163.00	एससीआई 29.08%
42	जीईबीई लिमिटेड	26.29	696.89	बीईएल 26%
43	एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड	1.38	2.49	एमटीएनएल 50%,
44	रियल एस्टेट विकास और निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	0.025	0.81	एनबीसीसी 50%
45	जेएससी वैनकॉरनेफ्ट	750.19	750.19	ओवीएल 26%
46	तांबा बीवी	402.79	695.99	ओवीएल 27%
47	दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन	90.04	39.32	ओवीएल 8.347%
48	पेट्रो इंडोवेनेज़ोलाना एसए	345.63	1432.44	ओवीएल 40%
49	पेट्रो कारावोबो एसए	59.96	57.81	ओवीएल 11%
50	कारावोबो इनजेनीरिया वाई कंस्ट्रक्शन एसए	-	0.05	ओवीएल 37.93%

51	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	17.65	36.41	एसजेवीएन 26%
52	डीएनपी लिमिटेड	13.49	35.15	एनआरएल 26%, ओआईएल 23%
53	भारतीय एडिटव्स लिमिटेड	55.27	256.12	सीपीसीएल 50%
54	मै. शील एमआरपीएल एविएशन फ्यूल्स एंड र्विसेज लिमिटेड	14.05	52.57	एमआरपीएल 50%,
55	बीएईएचएएल सॉफ्टवेयर लिमिटेड	0.52	7.72	एचएएल 49%,
56	इंडो रशियन एविएशन लिमिटेड	20.11	103.06	एचएएल 48%,
57	स्नेक्मा एयरोस्पेस प्रा. लि.	2.73	29.56	एचएएल 50%,
58	अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	16.37	0.20	एचएएल 50%
59	पराबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	68.28	0	पावर ग्रिड 26%
60	पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	7.43	0	पावर ग्रिड 26%
61	टोरेंट पॉवरग्रिड लिमिटेड	3.45	0	पावर ग्रिड 26%
62	जेपी पॉवरग्रिड लिमिटेड	49.87	15.90	पावर ग्रिड 26%
63	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31.57	0	पावर ग्रिड26%
64	भारती हैक्साकॉम लि.	198.03	1898.64	टीसीआईएल 30%
65	टीसीआईएल बेलसाउथ लि.	0.13	1	टीसीआईएल 44.94%
66	इन्टेलिजेन्ट कम्यूनकेशन सिस्टम इंडिया लि.	1.32	6.39	टीसीआईएल 36%
67	कच्छ रेलवे कंपनी लि.	150.78	1050.97	आरवीएनएल-50%
68	एंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड	21.85	57.73	आरवीएनएल -31.50%
69	भरूच दाहेज रेलवे कंपनी	(18.84)	9.31	आरवीएनएल -33.33%

70	मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड	(166.44)	4618.29	ओवीएल
71	नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	931.28	4878.24	एनएचपीसी 51.08%
72	पॉवर प्लांटस परफोरमेंस इम्प्रूमेंट लिमिटेड	0.87	0	भेल 50% (एक शेयर से कम)
73	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	80.95	111.91	ओएनजीसी 32.72%
74	ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड	130.37	195.98	ओएनजीसी 50%
75	ओएनजीसी टेरी बॉयोटेक लिमिटेड	5.51	40.17	ओएनजीसी 49.98%
76	दाहेज सेज लिमिटेड	31.11	142.75	ओएनजीसी 50%
		11762.76	**49138.60**	

परिशिष्ट XX
(पैरा 6.7.3 (B) में यथा संदर्भित)
हानि उठाने वाले संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जेवी कंपनी	2016-17 (लाभ)/हानि के दौरान	31 मार्च 2017 को संचित हानि	जेवी में महारत्न/नवरत्न मिनिरत्न का प्रतिशत भाग
1	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	68.72	280.3	सेल 26%
2	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्रा. लि.	2.89	39.28	सेल 46.63%, आरआईएनएल 26.49%, एनएमडीसी 26.49%, सीआईएल 0.26%, एनटीपीसी 0.11%
3	सेल-बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	0.4	6.76	सेल 40%
4	सेल राईट्स बंगाल वैगन उद्योग प्रा. लि.	12.97	183.4	सेल 50%
5	सेल-एससीएल केरला लिमिटेड	12.46	61.23	सेल 49.26%
6	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	5.06	26.89	सेल 50%
7	सेल मॉयल फैरा अलॉय प्रा. लि.	0.37	3.53	सेल 50%
8	सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्रा. लि.	0.01	0.03	सेल 50%
9	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	0.01	0.13	सेल 26%
10	टीएमटी से सेल जेवीसी लिमि.	0.0023	0.06	सेल 26%
11	अभिनव पाल जेवीसी लिमिटेड	0.07	0.15	सेल 26%
12	बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड	0.09	0.09	एनएमडीसी 80.35%, सेल 0.43%, आईआरसीओएन 0.53%
13	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	0.0074	0.0074	सेल 49%, एनएमडीसी 51%
14	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	21.93	72.01	एनटीपीसी 65%,
15	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	34.05	14.49	एनटीपीसी 50%, भेल 50%
16	रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्रा. लि.	3134	6921.77	गेल 25.51%, एनटीपीसी 25.51%,
17	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	882.19	1062.92	ओएनजीसी 49.36%, गेल 49.21%,
18	इंडियन ऑयल अजनी गैस प्राइवेट लिमि.	6.14	13.84	आईओसीएल 50%
19	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	4.82	4.82	आईओसीएल 29.67%, सीआईएल 29.67%, एनटीपीसी 29.67%

क्र. सं.	जेवी कंपनी	2016-17 (लाभ)/हानि के दौरान	31 मार्च 2017 को संचित हानि	जेवी में महारत्न/नवरत्न मिनिरत्न का प्रतिशत भाग
20	कोच्चि सेलम पाईपलाईन प्राइवेट लिमिटेड	2.66	5.29	आईओसीएल 50%, बीपीसीएल 50%
21	इन्डियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	2.48	आईओसीएल 50%
22	सुनेत्रा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	42.76	357.05	आईओसीएल 25%
23	इंडियन आयल पानीपत पावर कंसोर्टियम लिमिटेड		0.38	आईओसीएल 50%
24	इंडियन ऑयल रुचि जैव ईंधन एलएलपी	0.13	3.16	आईओसीएल 50%
25	इंडियन ऑइल क्रेडा बायो फ्यूल्स लिमिटेड	6.27	25.13	आईओसीएल 74%
26	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	0.005	0.1	एनटीपीसी 50%, सीआईएल 50%
27	मैसर्स भारत गेटवे टर्मिनल प्रा. लि.	3.02	608.46	कॉनकोर 14.56%
28	मै. कंटेनर गेटवे लिमिटेड	0.07	0.07	कॉनकोर 49%
29	ब्यास रोवूमा एनर्जी मोजाम्बिक लि.	8.94	3.58	ओवीएल 60%, ओआईएल 40%
30	भारत एलएनजी ट्रांसपोर्ट कंपनी 4	4.99	7.11	एससीआई 29.08%
31	टीईआईएल परियोजनाएं लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)	0.14	10.76	ईआईएल 50%
32	जबाल इलियोट कंपनी लिमिटेड (समापन के तहत)	-	6.47	ईआईएल 33.33%
33	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड	0.48	3.93	ईआईएल 49.9598%, एनएफएल 26%
34	रिन ऑयल फैरो एलॉय लिमिटेड	0.05	0.05	आरआईएनएल 50%, एमओआईएल 50%
35	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	356.74	756.43	एमएमटीसी 49.78%, एनएमडीसी 12.87%
36	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.003	0.01	सेल 74%, एनएमडीसी 26%
37	एनएमडीसी-सीडीएमसी लिमिटेड	0.06	1.74	एनएमडीसी 51%
38	झारखण्ड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	0.01	0.05	एनएमडीसी 60%
39	सामटेल एचएएल डिस्प्ले सिस्टम लिमिटेड	3.84	6.43	एचएएल 40%
40	एचएएल एजवुड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.	0.8	13.36	एचएएल 50%
41	टाटा एचएएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2.93	8.48	एचएएल 50%
42	मल्टिरोल परिवहन विमान लिमिटेड	0.13	9.14	एचएएल 50%

क्र. सं.	जेवी कंपनी	2016-17 (लाभ)/हानि के दौरान	31 मार्च 2017 को संचित हानि	जेवी में महारत्न/नवरत्न मिनिरत्न का प्रतिशत भाग
43	एयरोस्पेस और विमानन क्षेत्र कौशल परिषद	0.68	0	एचएएल 50%
44	हेलीकाप्टर इंजन एमआरओ प्रा. लि.	1.2	1.2	एचएएल 50%
45	यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड	47.18	212.71	एमटीएनएल 26.68%, टीसीआईएल 26.66%
46	ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड	-	2,096.05	ओवीएल 49.98%
47	हिमालय ऊर्जा (सीरिया) बीवी	2.17	1,629.23	ओवीएल 50%
48	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड	266.12	247.17	एसपीएमसीआईएल 50%
49	सृष्टि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	0.83	1.08	एचयूडीसीओ 40%
50	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.0014	0.45	आसीएफ 33.33%, एनएफएल 33.33%
51	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.02	0.02	आरसीएफ 69.67%, गेल 29.67%, सीआईएल 29.67%
52	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	22.05	108.44	आरसीएफ 50%, एफएसीटी 50%
53	ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड	547.41	822.85	गेल 70%, ओआईएल 10%, एनआरएल 10.11%
54	महानदी कोयला रेलवे लिमिटेड	0.005	0.01	एमसीएल 64%, आईआरसीओएन 26%
55	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	Nil	0.01	एमसीएल 60%
56	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड	138.4	138.4	गेल 5%
57	गुजरात राज्य ऊर्जा उत्पादन	46.59	248.66	गेल 5.96%,
58	एचपीसीएल शापूरजी एनर्जी प्रा. लि.	0.29	0.97	एचपीसीएल 50%
59	गोदावरी गैस प्रा. लि.	0.89	0.89	एचपीसीएल 26%
60	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	0.01	2.02	एचपीसीएल 74%
61	क्रेडा एचपीसीएल जैव ईंधन लिमिटेड	3.76	21.74	एचपीसीएल 74%
62	बीएनवी गुजरात रेल प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.01	राईट्स 26%
63	डीघी रोहा रेल लिमिटेड	0.07	0.85	आरवीएनएल-26%
64	मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड	5.99	17.15	ओएनजीसी 26%
	कुल	**5702.98**	**16106.55**	

परिशिष्ट XXI

(पैरा 8.1 में यथा संदर्भित)

31 मार्च 2017 को लागू इंड एएस की सूची

क्र. सं.	इंड एएस सं.	शीर्षक
1.	101	भारतीय लेखाकरण मानक का पहली बार अपनाना
2.	102	शेयर आधारित भुगतान
3.	103	व्यापार युग्म
4.	104	बीमा संविदा
5.	105	ब्रिक्री हेतु रखी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तथा बंद परिचालन
6.	106	खनिज संसाधनों के अंवेषण और मूल्यांकन हेतु
7.	107	वित्तीय साधन: प्रकटीकरण
8.	108	ऑपरेटिंग सेगमेंट
9.	109	वित्तीय साधनों
10.	110	समेकित वित्तीय विवरण
11.	111	संयुक्त व्यवस्था
12.	112	अन्य सत्वों के हित का प्रकटीकरण
13.	113	उचित मान माप
14.	114	विनियामक संदर्भ खाते
15.	1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति
16.	2	सूची/विवरणी
17.	7	नकदी प्रवाह का ब्योरा
18.	8	लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों
19.	10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं
20.	11	निर्माण ठेके
21.	12	आयकर
22.	16	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
23.	17	पट्टे
24.	18	राजस्व
25.	19	कर्मचारी लाभ
26.	20	सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए लेखाकरण
27.	21	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव
28.	23	उधार लागत
29.	24	संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

क्र. सं.	इंड एएस सं.	शीर्षक
30.	27	अलग वित्तीय विवरण
31.	28	एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश
32.	29	अति मुद्रास्फिति अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग
33.	32	वित्तीय साधन: प्रस्तुति
34.	33	प्रति शेयर आय
35.	34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
36.	36	परिसंपत्तियों की हानि
37.	37	प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्ति
38.	38	अमूर्त परिसंपत्तियां
39.	40	निवेश संपत्ति
40.	41	कृषि

परिशिष्ट XXII

(पैरा 8.5 में दिये गये संदर्भ के अनुसार)

प्रथम बार इंड एस को पहली बार स्वीकृति के बाद सीपीएसई द्वारा प्राप्त की गई इंड एस 101, छूट/विकल्प प्राप्ति विवरण

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
संचार	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड		हां		हां							बाद की तारीख
संचार	टेलीकोमिनिकेशनस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेडटेड		हां		हां		बाद की तारीख		हां			
संचार	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां	हां		हां		बाद की तारीख					
रक्षा	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड		हां						हां			
रक्षा	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड		हां	हां	हां				हां			बाद की तारीख
रक्षा	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड		हां									बाद की तारीख
रक्षा	एंट्रिक्स निगम लिमिटेड		हां									
ऊर्जा	बीपीसीएल		हां	हां			बाद की तारीख		हां		हां	बाद की तारीख
ऊर्जा	ओएनजीसी		हां	हां	हां				हां			बाद की तारीख

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
ऊर्जा	गेल		हां	हां	हां		बाद की तारीख		हां			बाद की तारीख
ऊर्जा	आईओसीएल		हां	हां	हां		पूर्वव्यापी		हां			बाद की तारीख
ऊर्जा	ऑयल इंडिया लिमिटेड		हां	हां	हां				हां		हां	पूर्वव्यापी
ऊर्जा	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां	हां					हां		हां	
ऊर्जा	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां	हां					हां			
ऊर्जा	नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड		हां						हां		हां	
ऊर्जा	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड		हां		हां		बाद की तारीख		हां		हां	बाद की तारीख
ऊर्जा	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड				हां		बाद की तारीख					
उर्वरक	राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		हां	हां								
उर्वरक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		हां								हां	बाद की तारीख
आधारभूत संरचना	भेल		हां	नहीं			बाद की तारीख		हां			

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
आधारभूत संरचना	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		हां	हां	हां				हां			
आधारभूत संरचना	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड		हां	नहीं					हां			
आधारभूत संरचना	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड		हां	हां					हां			
आधारभूत संरचना	राईट्स लिमिटेड		हां		हां				हां			
आधारभूत संरचना	बीईएमएल लिमिटेड		हां			हां			हां			
आधारभूत संरचना	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		हां						हां			बाद की तारीख
आधारभूत संरचना	रेल विकास निगम लिमिटेड		हां		हां				हां		हां	
आधारभूत संरचना	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		हां		हां				हां			
आधारभूत संरचना	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड		हां									
आधारभूत संरचना	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टुरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां									
धातु	सेल		हां	हां	हां				हां			पूर्वव्यापी

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
धातु	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड		हां				पूर्वव्यापी		हां			बाद की तारीख
धातु	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड		हां						हां			बाद की तारीख
धातु	मिश्र धातु निगम लिमिटेड		हां									
खनन	कोल इंडिया लिमिटेड		हां						हां			बाद की तारीख
खनन	एनएलसी इंडिया लिमिटेड		हां						हां		हां	
खनन	एनएमडीसी लिमिटेड		हां						हां			बाद की तारीख
खनन	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड		हां								हां	बाद की तारीख
खनन	एमएसटीसी लिमिटेड		हां						हां			
खनन	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		हां	नहीं					हां			बाद की तारीख
खनन	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड		हां									बाद की तारीख
खनन	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड		हां	नहीं					हां			बाद की तारीख
खनन	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड		हां	नहीं					हां			बाद की तारीख

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
खनन	साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		हां	नहीं					हां			बाद की तारीख
खनन	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		हां	नहीं					हां			बाद की तारीख
खनन	मोइल लिमिटेड											
खनन	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड		हां									
खनन	केआईओसीएल लिमिटेड		हां									
खनन	एमएमटीसी लिमिटेड		हां									
अन्य	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड		हां						हां		हां	
अन्य	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां	हां								
अन्य	इंडियन ट्रेड प्रोमोशन ऑरगनाइजेशन		हां						हां			
अन्य	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिन्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडटिड		हां						हां			बाद की तारीख
अन्य	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड		हां		हां				हां			बाद की तारीख
अन्य	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमैंटस लिमिटेड		हां	हां	हां							

क्षेत्र	सीपीएसई का नाम	पीपीई/अमूर्त परिसंपत्तियां		इक्विटी पर	लीज वर्गीकरण		कारोबार संगठन	शेयर आधारित भुगतान	सहायक कम्पनी, जेवी ऐसोसीएटस में निवेश डिम्ड लागत		दीर्घावधि-विदेशी मुद्रा	गैर-कमीशनिंग
		उचित मूल्य	भारित मूल्य	एफवीओसीआई	पारगमन तिथि	बाद की तारीख	पूर्वव्यापी/बाद की तारीख	बाद की तारीख	भारित मूल्य	उचित मूल्य	विगत गैप जीएएपी	
शक्ति	एनटीपीसी		हां	हां	हां		बाद की तारीख				हां	
शक्ति	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां	हां					हां		हां	
शक्ति	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		हां						हां		हां	बाद की तारीख
शक्ति	एनएचपीसी लिमिटेड		हां	हां	हां				हां		हां	
शक्ति	एसजेवीएन लिमिटेड		हां	हां	हां				हां		हां	
शक्ति	टीएचडीसी लिमिटेड		हां								हां	
शिपिंग	मझगांव डॉक्स लिमिटेड		हां			हां			हां			
शिपिंग	गार्डन रीच शिपबिल्डरस एंड इंजीनियर्स लिमिटेड		हां									
शिपिंग	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड		हां		हां							बाद की तारीख
शिपिंग	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		हां	हां								
शिपिंग	कामराजर पोर्ट लिमिटेड		हां									बाद की तारीख
परिवहन	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हां	हां	नहीं							हां	पूर्वव्यापी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in